खण्ड-273, अंक-3
बुधवार, 14 आषाढ़, शक संवत् 1889
(5 जुलाई, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 273 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरंभ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७१

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्त राम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी , श्री
इन्द्रलाल, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कामता सिंह, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्णबहादुर, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री

गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपालराम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
धनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिं , श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दूगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
घनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेंलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाल सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री

फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू लाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बुधिराम, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी श्री
बैजनाथ श्री, (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्र ाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखाला ल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री

मही लाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराम, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
यशोदा दवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)

राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
रामअचलसिंह सेंगर, श्री
राम आधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री (आगरा)
राम प्रसाद, श्री (गढ़वाल)
राम प्रसाद, श्री (राय बरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबच , श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटीन, श्री
रूप नाथ, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतला दीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री

श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—उप मुख्य मंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त तथा उद्योग मंत्री श्री प्रभु नारायण सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ५ जुलाई, १९६७

तारांकित प्रश्न

*१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

[५वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०, मुजफ्फरनगर में गबन

*२—श्री वीरेन्द्र सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर क्रय-विक्रय समिति में गत दिसम्बर, १९६६ के बीच करीब ५२,००० रु० गबन हुआ है ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उसमें हाथ है तथा उक्त समय क बीच किस-किस विभागीय अधिकारी न समिति का निरीक्षण किया और कितनी बार ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री जोरावर वर्मा)—

जी हां।

सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०, मुजफ्फरनगर में १२ दिसम्बर, १९६६ से १७ मार्च, १९६७ तक ५०,००० रु० का गबन हुआ । इसमें समिति के मंत्री व्यवस्थापक, एकाउन्टेन्ट एवं गोदाम कीपर और लिपिक एवं खजांची का हाथ प्रतीत होता है । गबन की अवधि में अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर ने १२ मार्च, १९६७ को इस समिति का निरीक्षण किया था।

*३--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गबन की इस बड़ी धनराशि में से कितना रुपया वसूल हो चुका है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जोरावर वर्मा--

गबन की धनराशियों में से अब तक कुछ भी वसूल नहीं हो पाया है। मंत्री, व्यवस्थापक, एकाउन्टेन्ट एवं गोदाम कीपर और लिपिक एवं खजांची को दिनांक १७ अप्रैल, १९६७ से निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध पुलिस में दिनांक १७ व १८ अप्रैल, १९६७ को एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गई है। यह तीनों व्यक्ति इस समय जमानत पर हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री जी बतायेंगे कि यह गबन किस अधिकारी ने किस तारीख को पकड़ा ?

श्री जोरावर वर्मा--

दिनांक १६ अप्रैल, १९६७ को रीजनल एकाउन्ट्स पार्टी ने कागजात का निरीक्षण किया और दिनांक १७ अप्रैल, १९६७ को सबसे पहले उन्हीं को इस गबन का पता लगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १२ मार्च, १९६७ को ए० डी० सी० ओ० ने उस दफ्तर का निरीक्षण किया था, उसने क्या गड़बड़ पायी थी ?

सहकारिता मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)--

मान्यवर, उन्होंने अपनी इन्सपेक्शन रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १२ तारीख की रिपोर्ट में कोई गबन नहीं बताया गया और १७ तारीख को गबन बताया गया तो उस १२ से १७ तारीख तक कितना गबन हुआ ?

श्री गंगाभक्त सिंह--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मंत्री जी को हर प्रश्न के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न गबन के बारे में था कि कितना हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। अब क्या सवाल पूछे जायं ? मैं तो केवल इस समय खेद प्रकाशन के लिए ही खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कोई ऐसा प्रश्न करें कि उनको सूचना की आवश्यकता हो न हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बतायेंगे कि जब अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी ने निरीक्षण किया और उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं बतायी और बाद को ५० हजार रुपये की गड़बड़ निकली तो क्या विभाग ने इस संबंध में उनसे भी जवाब तलब किया है ?

श्री जोरावार वर्मा--

जी हां, उनसे जवाब तलब किया गया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या इसके संबंध में कोई पुलिस में रिपोर्ट हुई और कोई कार्यवाही की गई ?

श्री गंगाभक्त सिंह--

वह सब जमानत पर छूटे हैं और उन पर केस चालू है।

श्री जय नारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर क्रय-विक्रय समिति का इन्तजाम अब एडहाक कमेटी के द्वारा चलाया जा रहा है या चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ?

श्री जोरावर वर्मा--

काम करने वालों की सूची पहले पढ़ दी गई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिस दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई १७-१८ तारीख को और आज ५ तारीख के बीच की अवधि में सरकार या पुलिस ने क्या कार्यवाही की और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्री जोरावर वर्मा--

इसकी सूचना नहीं है।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)--

इस दौरान में संचालक बोर्ड की बैठक अंतिम बार कब हुई ?

श्री जोरावर वर्मा--

इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस ए० डी० सी० ओ० ने निरीक्षण किया और गड़बड़ी लगातार १२ दिसम्बर, १९६६ से चल रही थी और चलती रही तो जब उसने निरीक्षण किया क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि अधिकारी ए० डी० सी० ओ० से मिलकर गबन कर रहे थे ?

श्री जोरावर वर्मा--

यह तो इनवेस्टीगेशन पूरी होने पर ही बताया जा सकता है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस आरोप के लिए अभी कोई चार्जशीट दी गयी है या नहीं ?

श्री जोरावर वर्मा--

अभी कोई चार्जशीट नहीं दी गयी है।

श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती)--

हर बात में श्रीमन्, उनको नोटिस की आवश्यकता है, इसलिए हम सब आपसे प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ भी उनके पास सूचना है उस को उनसे पढ़वा दें।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न का समय है, प्रार्थना का नहीं।

श्री केशवदेव---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संचालक बोर्ड पर क्या कार्यवाही की गई और उसको ससपेंड किया गया या नहीं ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

संचालक मण्डल के खिलाफ अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जो अपराधी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है और पुलिस कार्यवाही कर रही है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों की मुअत्तली के बाद क्रय-विक्रय समिति का कार्यभार किस के सुपुर्द किया गया रजिस्ट्रार के या गैर सरकारी आदमियों के ?

श्री जोरावर वर्मा---

संचालक मण्डल ने ही वहां का कार्यभार संभाला है।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने पूछा कि इस गड़बड़ी के बाद और मुअत्तली के बाद कार्यभार किस को सौंपा गया ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

इसकी सूचना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बड़े गबन के मामले में सरकार कोई विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

श्रीमन् मला पुलिस को दिया हुआ है। पहले उसका निर्णय हो जाय तो उसके बाद जो दोषी पाये ंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की ायगी।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कौन कौन दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध में कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

मंत्री, व स्थापक श्री मदन मोहन अग्रवाल, एकाउन्टेन्ट व गोदाम कीपर श्री सोमदत्त लिपिक व खजांची श्री जगरोशन लाल।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये मंत्री, व्यवस्थापक, एकाउन्टेन्ट व लिपिक श्री जगरोशन लाल कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

श्री जोरावर वर्मा---

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गोदाम में गल्ला रखा गया था उसकी कितने की इंश्योरेन्श थी और जो गबन हुआ वह रुपये पैसे का हुआ या गल्ले का हुआ ? यदि ल्ले का हुआ तो इस गबन में इंश्योरेन्श कम्पनी कितने गल्ले की जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई सरकारी संस्था तो है नहीं। फिर भी यदि सहकारिता मंत्री बता सकें, तो बता दें ?

श्री जोरावर वर्मा—

श्रीमन्, रुपये की गबन की शिकायत है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरा प्रश्न आपने सुना नहीं। यदि नहीं सुना है, तो मुझ से कह दें, मैं इसको दुहराने के लिये माननीय सदस्य से कह दूंगा। माननीय राज बहादुर चन्द जी, इसको दोहरा दें।

श्री राज बहादुर चन्द—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गल्ला गोदाम में रक्खा था उसमें कितना गल्ला इश्योर्ड था और इंश्योर्ड गल्ले में कितने गल्ले के लिये इंश्योरेंस कम्पनी जिम्मेदार है ?

श्री जोरावर वर्मा—

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अभी जिस सूचना के न होने का जिक्र किया गया इस पर तो कोई आश्चर्य नहीं है लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिन पर उत्तर दिये जा सकते हैं और सूचना एकत्रित की जा सकती है। जैसा मैंने पहले ही कहा यह कोई सरकारी संस्था या विभाग तो है नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५०,००० रुपये का गबन हुआ है उसको मंत्री, व्यवस्थापक, एकाउन्टेन्ट आदि ने अपने व्यापार में इनवेस्ट किया हुआ है ?

श्री जोरावर वर्मा—

श्रीमन्, यह मालूम नहीं है कि उन्होंने किस काम में लगाया है।

श्री राम नरेश शुक्ल—

क्या सहकारिता मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि यह जो ५० हजार रुपये का गबन हुआ है यह क्रय-विक्रय समिति की अपनी पूंजी थी या कोआपरेटिव बैंक से कर्जा लिया था ?

श्री अध्यक्ष—

जो गबन हुआ है वह उसकी पूंजी थी, कैपिटल एकाउन्ट था, कर्जा लिया हुआ था कोआपरेटिव बैंक से ?

श्री जोरावर वर्मा—

पूरा एकाउन्ट आ जायेगा सोसायटी का तभी मालूम होगा कि कैपिटल एकाउन्ट का रुपया था या कर्जा लिया हुआ रुपया था।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद))—

क्या मंत्री जी पूरे प्रान्त की सोसाइटियों की जांच कराने की व्यवस्था करेंगे जिससे यह पता चल सके साफ-साफ कि कौन से राजनीतिक दल के व्यक्ति थे जिन्होंने समितियों की रकम को गबन करके खाया है ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जांच कराने का प्रयास हो रहा है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गबन पकड़ा गया यह किस प्रकार का है, किसी खाते में कोई ऐन्ट्री गलत हो गयी है या जानबूझ कर गड़बड़ी की गयी है ? किस तरीके के गबन हुआ है ?

श्री जोरावर वर्मा—

कभी उन्होंने आय कम दिखाई और कभी खर्चा ज्यादा दिखा दिया है । इस तरह के आइटम्स हैं जिनसे गबन हुआ ।

श्रीमती हीरामणि, स्टाफ नर्स, सदर अस्पताल, रायबरेली द्वारा सिविल सर्जन पर आरोप

*४—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर) (अनुस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर अस्पताल, रायबरेली की स्टाफ नर्स के साथ वहां के सिविल सर्जन द्वारा अश्लील व्यवहार किये जाने के संबंध में दिनांक ८ अप्रैल, १९६७ को वहां के किसी एडवोकेट की ओर से मुबलिग ५,००० रुपये की नोटिस सिविल सर्जन को दिया गया है ? यदि हां, तो उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)—

सिविल सर्जन, रायबरेली ने यह सूचना भेजी थी कि तार द्वारा उनको एक ऐसी नोटिस मिली थी और उसमें कहा गया था कि नियमानुसार सेक्शन ८० में एक नोटिस दी जायगी । नियमानुसार नोटिस मिलने के पश्चात् ही सरकार उचित कार्यवाही करेगी ।

*५—श्री राम मूर्ति 'अंचल' (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि श्रीमती हीरामणि, स्टाफ नर्स, सदर अस्पताल, रायबरेली ने उक्त अस्पताल के सिविल सर्जन द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत दिनांक ८ अप्रैल, १९६७ को तार द्वारा मुख्य मंत्री से की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रताप सिंह—

जी हां। जिलाधीश, रायबरेली द्वारा इस पर जांच कराई गई। उनकी रिपोर्ट के अनुसार यह आरोप गलत पाया गया ।

लखनऊ में नया बाजार व केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार, चौक द्वारा गेहूं का क्रय विक्रय

*६—श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लखनऊ स्थित नया बाजार तथा लखनऊ के सहकारी उपभोक्ता भंडार ने जून, १९६६ से दिसम्बर, १९६६ तक कुल कितना गेंहूं तथा चावल किस-किस भाव पर खरीदा तथा बेचा ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

नया बाजार लखनऊ तथा केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, चौक द्वारा जून, १९६६ से दिसम्बर, १९६६ तक खरीदे व बेचे गये गेहूं व चावल का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३७ पर)

कैराना तथा शामली महिला चिकित्सालय में लेडी डाक्टर न होना

*७—श्री मुल्कीराज (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनाना अस्पताल, कैराना में ४ वर्ष से तथा शामली, जिला मुजफ्फरनगर में पिछले २ वर्षों से लेडी डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री कृष्ण बहादुर मिश्र)—

महिला चिकित्सालय, कैराना में २६-९-६२ तथा शामली में ३-४-६५ से कोई लेडी डाक्टर नहीं हैं। प्रदेश में लेडी डाक्टरों की भारी कमी के कारण इन स्थानों में कोई लेडी डाक्टर न भेजी जा सकी।

श्री मुल्कीराज—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन दिनों शामली और कैराना के इन अस्पतालों में लेडी डाक्टर नहीं रही हैं उन दिनों रोगियों के आन का औसत रोजाना क्या रहा है ?

श्री प्रताप सिंह—

श्रीमन्, यह सवाल इस से तो नहीं उठता। सवाल तो यह है कि डाक्टर वहां है या नहीं। रोगियों की संख्या के लिये सूचना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इजाजत इसलिये दी कि उस का असर पड़ सकता है रोगियों की संख्या पर।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मंत्री जी बतायेंगे कि मद्रास से और दूसरे प्रदेशों से जो डाक्टर मंगाने की चेष्टा की है तो क्या उस में लेडी डाक्टर्स भी हैं ?

श्री प्रतापसिंह—

जी हां।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस तरह से डाक्टरों की कमी दूर करने की योजना बनायी है सरकार ने उसी तरह से लेडी डाक्टर्स की कमी को भी दूर करने की कोई योजना बनायी है ?

श्री प्रताप सिंह—

जी हां, योजना बनायी है और लोक सेवा आयोग से कहा है कि ३००-९०० का जो ग्रेड है वह अस्थायी डाक्टरों को भी दे दिया जाय ताकि ज्यादा डाक्टर्स आने लगें और रेलवे तथा मिलिटरी में जाने से रुकें।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

इस प्रदेश में कितने जनाने अस्पताल हैं और उनमें से कितनों में लेडी डाक्टर्स नहीं हैं ?

श्री प्रताप सिंह—

५१२ पदों में से २६१ स्थान रिक्त हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिन मेडिकल कालेजेज में प्रति वर्ष लड़कों का दाखिला किया जाता है तो क्या लेडी डाक्टर्स की संख्या इस दृष्टि से रखी जाती है जिससे प्रदेश के जनाना अस्पतालों में लेडी डाक्टरों की कमी न रहे ?

श्री प्रताप सिंह—

इस साल कोशिश की है कि २५ फीसदी उनकी संख्या और बढ़ा दी जाय जिससे ज्यादा लेडी डाक्टर्स तैयार हो सकें ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

मद्रास से डाक्टर मंगवाये जायंगे उन अस्पतालों के लिये जहां पर कि डाक्टर्स नहीं हैं लेकिन वे जब हिन्दी नहीं जानते होंगे तो यहां कैसे काम करेंगे ?

श्री प्रताप सिंह—

डाक्टरों का किस्सा ऐसा है कि वे उत्तर प्रदेश में जिसे पेनिसिलिन इंजेक्शन कहते हैं उसी को मद्रास में भी पेनिसिलिन इंजेक्शन कहते हैं । इसलिये हिन्दी जानने, न जानने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुल्की राज—

शामली व केराना अस्पताल कब कायम हुये और डाक्टर न होने की शिकायत सरकार के पास कब आई ? उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रताप सिंह—

२६-९-६२ से वहां डाक्टर नहीं हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वहां डाक्टर भेजें ।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)—

जिन अस्पतालों में कई-कई महीने से डाक्टर नहीं हैं और अगर उनके पास के अस्पतालों में डाक्टर हैं तो उन अस्पतालों की देख-रेख की व्यवस्था पास के अस्पतालों से जोड़ दी जाय तो कुछ न कुछ काम चल जायगा ?

श्री प्रताप सिंह—

मेरे मित्र ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव को पहले ही हमने कार्यान्वित कर दिया है और जहां जदीक में एक डाक्टर आसानी से जा सकता है तो हफ्त में दो दिन उन अस्पतालों को देखने के आर्डर्स दे दिये गये ह और वे जाने लग ह ।

*८-९—श्री माता प्रसाद—

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस ल लिय गय]

शाहगंज अस्पताल का राष्ट्रीयकरण

*१०—श्री माता प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जिले के शाहगंज अस्पताल का राष्ट्रीयकरण हो गया है किन्तु साज-सज्जा, औषधि आदि की समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो उपयुक्त व्यवस्था कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

जी हां । साज-सज्जा औषधि आदि की समुचित व्यवस्था है ।

श्री माता प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद शाहगंज अस्पताल में औषधि की किस मात्रा में वृद्धि की गयी है ?

श्री प्रताप सिंह—

पहले ढाई हजार की ग्रान्ट थी। अब ५ हजार की हो गयी है।

श्री माता प्रसाद—

दवाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण के बाद माननीय मंत्री किन किन अन्य सुविधाओं की व्यवस्था इस अस्पताल में कर चुके हैं ?

श्री प्रताप सिंह—

मैं पूरा विवरण दिये देता हूं। दवायें ५,०००, सर्जिकल औजार १,०००, कपड़े १,०००, भोजन १२००, कांटिंजेंसी १,०००, मिसलेनियस ५००, देशी दवायें २०० और इसके अलावा दवाइयों के लिये गत वर्ष १ हजार रुपया अतिरिक्त अनुदान भी दिया गया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

कोई बेड्स इसमें बढ़ाये गये हैं और इमारत में भी कोई बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री प्रताप सिंह—

४ से ६ बैड्स कर दिये गये हैं। ६ बैड्स जनाने कर दिय गय हैं। इमारत नहीं बढ़ाई गयी है।

शाहगंज महिला चिकित्सालय में लेडी डाक्टर न होना

*११—श्री माता प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को सूचना है कि शाहगंज महिला अस्पताल, जौनपुर में कई महीनों से कोई भी लेडी डाक्टर न होने से जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति कब तक हो रही ह ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

प्रदेश में लेडी डाक्टरों की भारी कमी के कारण वहां कोई लेडी डाक्टर भेजना संभव नहीं हो सका है। उचित संख्या में लेडी डाक्टरों के उपलब्ध होने पर वहां एक डाक्टर भेजने की चेष्टा की जायगी।

श्री माता प्रसाद—

आदरणीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल में कब से लेडी डाक्टर नहीं है ? और जैसा कि आपने कहा है कि व्यवस्था कर दी जायगी तो कब तक संभावना है व्यवस्था करने की ?

श्री प्रताप सिंह—

इस अस्पताल में १७ फरवरी, १९६३ से डाक्टरानी नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम इसको आकर्षक बना रहे हैं, वेतन बढ़ाने के लिये लोक सेवा आयोग को लिखा है। इससे ज्यादा डाक्टर अपने आप आने लगेंगे। जो प्रोइवेट सर्विस कर रहें हैं उन्होंने भी दरख्वास्तें दी हैं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में महिला चिकित्सकों की कमी है या महिला चिकित्सक गांवों में या इन अस्पतालों में जाना नहीं चाहतीं ?

श्री प्रताप सिंह--

पिछले बीस साल के आंकड़े अगर हम लेते हैं तो वास्तव में हमारे प्रदेश में डाक्टरों की कमी नहीं है क्योंकि हमारे प्रदेश में जो डाक्टर पास होते हैं वे या तो रेलवे में चले जाते हैं और पांच हजार डाक्टर अमरीका में हैं जिनमें से पांच सौ उत्तर प्रदेश के हैं। विभाग उन कारणों की जांच कर रहा है जिनकी वजह से वे प्रदेश छोड़ने पर बाध्य हुये ।

श्री राममूर्ति---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेश में लेडी डाक्टरों की बहुत कमी है ऐसी कोई योजना बना रहे हैं कि जिसमें आयुर्वेद और होम्योपैथिक के डाक्टर्स स्त्रियों को प्रोत्साहित करें कि वह उसमें ट्रेनिंग लें ?

श्री प्रताप सिंह---

जब से यह कार्यभार हमने संभाला है हम कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक को प्रोत्साहन मिले। इसलिये अगस्त में हमने आयुर्वेद की एक कांफ्रेन्स बुलायी है ताकि हम यह सोच सकें कि यूनिवर्सिटीज जो एफिलियेट नहीं करती हैं तो कोई विश्वविद्यालय खोल सकते हैं जिस से ट्रेनिंग हो और लोग ज्ञानोपार्जन करें ।

महिला चिकित्सालय, रुदौली में डाक्टरनी न होना

*१२---श्री चन्द्रकुमार (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रुदौली में कायम राजकीय स्त्री चिकित्सालय में लेडी डाक्टर सन् १९६२ से निरन्तर दिनांक १० मई, १९६७ तक नहीं रही ? यदि हां, तो सरकार उक्त रुदौली के स्त्री चिकित्सालय म लेडी डाक्टर कब तक भजने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र---

महिला चिकित्सालय रुदौली में दिनांक २७--९--६२ से कोई लेडी डाक्टर नहीं है । प्रदेश में लेडी डाक्टरों की भारी कमी के कारण वहां कोई लेडी डाक्टर न भेजी जा सकी। उचित संख्या में लेडी डाक्टरों के उपलब्ध होने पर वहां एक लेडी डाक्टर भेजने की चेष्टा की जायगी ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

लेडी डाक्टरों की कमी को पूरा करने का जो प्रयास किया जा रहा है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सकों को भी इसके लिये आमंत्रित किया है तो क्या उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सकों को भी इसके लिये आमंत्रित किया है ?

श्री प्रताप सिंह---

अभी तक तो नहीं किया है । माननीय सदस्य अगर कोई योजना रखेंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी इसके लिये तैयार हैं कि प्रदेश में लेडी डाक्टरों की कमी है तो अस्पतालों में जो मैट्रन और नर्सेज वगैरह हैं उनको वहां भेजने के प्रश्न पर विचार किया जाय ?

श्री प्रतापसिंह---

माननीय, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है । ट्रेंड कम्पाउंडरों और फारमाकिस्ट्स को वहां भेजा जा सकता है ।

शराब बनाने की नई योजना

*१३---श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने मई, १९६७ मास के प्रथम पखवाड़े में प्रेस संवाददाताओं को संबोधित करते हुये वाराणसी में यह ऐलान किया था कि प्रदेशीय सरकार सस्ती और कम नशे वाली शराब बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस स्कीम के डिटेल क्या हैं और कब तक यह कार्यान्वित होने वाली है ?

आबकारी मंत्री (श्री अख्तर अली खां)---

जी हां । पूरी स्कीक अभी नहीं बनी है परन्तु मोटे तौर पर यह है कि प्रदेश में जहां पर इस समय २५० और ३५० अन्डर प्रूफ शराब सप्लाई की जाती है वहां ५०० अंडर प्रूफ देशी शराब (सादी) भी सप्लाई की जावे । ५०० अन्डर प्रूफ सादी देशी शराब का प्रयोग करने के लिये डिस्टिलरीज व वेयर हाउसों में कुछ इन्तजाम करने पड़ेंगे । जहां जहां संभव होगा २५० व ३५० अन्डर प्रूफ के साथ साथ ५०० अन्डर प्रूफ शराब की सप्लाई भी शुरू की जायगी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कच्ची और सस्ती नई शराब बनने वाली है इसको किसी सरकारी कारखाने में बनने का सवाल है या प्राइवेट शराब बनाने वालों के कारखाने में ही बनने का सवाल है ?

श्री अख्तर अली खां---

मान्यवर, सरकार शराब का कारखाना बनाने का इरादा नहीं रखती है । जो कारखाने चल रहे हैं उन्हीं म बनवाकर बची जायगी ।

श्री राममूर्ति---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रदेश के शराब पीने वाले ज्यादा तेज या कम नशे वाली शराब पीना पसन्द करते हैं ?

श्री अख्तर अली खां---

मान्यवर, इसके मुताल्लिक सही अर्ज तो नहीं कर सकता हूं लेकिन जिन लोगों का नशा उतर गया है उनको ज्यादा तेज शराब चाहिये और जिनका नहीं उतरा उनको कम तेज शराब चाहिये ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो पिछड़े हुये इलाके हैं उनमें शराब की दुकानें बन्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री अख्तर अली खां---

मान्यवर, अभी ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है । सिर्फ इतना है कि पहाड़ के कुछ इलाकों में कुछ ख्वाहिश जाहिर की थी जहां ५ दुकानें बन्द कर दी गई हैं ।

श्री ए० सी० ग्राइस---

क्या मंत्री जी कानपुर मिल के फाटकों पर जो शराब की दुकानें हैं, उनको बन्द कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आप बहुत दूर ले गये ।

श्री अख्तर अली खां—

अभी तक कोई ऐसा सुझाव नहीं आया जिस पर विचार किया जा सके ।

श्री गेंदासिंह—

इस योजना के चलाने से सरकार को क्या लाभ है ?

श्री अख्तर अली खां—

मान्यवर, इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि यह योजना चल रही है, बन्द नहीं है । कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कच्ची शराब की ज्यादा जरूरत थी या मध्य प्रदेश में ५० परसेंट अंडर प्रूफ शराब बिकती है । इससे इल्लीसिट डिस्टीलेशन कम होगा और जो तेज शराब इस्तेमाल करते हैं उनकी सेहत पर असर नहीं होगा ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि नशाबन्दी में जो यह बदलाव कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है आर्थिक लाभ या शराब ज्यादा पिलाना चाहते हैं ?

श्री अख्तर अली खाँ—

यह तो कोई इरादा नहीं है कि शराब ज्यादा पिलायी जाय। जो शराब का प्रयोग हो चुका है अगर मान्यवर इजाजत दें तो मैं आंकड़े पेश कर दूं ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि इसका मंशा क्या है, आमदनी बढ़े या पीने वालों का सुधार हो ?

श्री अख्तर अली खाँ—

आमदनी बढ़ाने का कोई खयाल नहीं है। लेकिन इल्लिसिट डिस्टिलेशन को कर्ब करने में यह मददगार हो सकती है । अभी तक ३५० अंडरप्रूफ शराब बनती थी, अब ५०० अंडरप्रूफ बनायी जायगी ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

इस नयी योजना को बनाने के संबंध में उनके पास अब तक क्या क्या निश्चय ऐसे हो चुके हैं जिनको उन्होंने लागू कर दिया है और कौन से निश्चय बाकी हैं जिन्हें बाद में करेंगे ?

श्री अख्तर अली खाँ—

अभी तक कोई निश्चय नहीं किया । यह सिर्फ खयालात थे कि किस तरह से इल्लिसिट डिस्टिलशन को कब किया जा सकता है ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जो शराब की योजना है इसके गांधी जी बहुत विरोधी थे, इस प्रदेश में यह योजना बन्द कर दी गयी अब फिर क्यों खोली जा रही है, इसका क्या कारण है ?

श्री अख्तर अली खाँ—

मान्यवर, इस योजना पर तजुरबा किया गया, कुछ जगह कानूनन शराब बन्द की गयी लकिन वह कामयाब नहीं हुई । अब ड्राई डे कर दिया गया है । दूसरे, प्रचार के जरिये से

इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेबर कालोनीज और गरीब बस्तियों में प्रचार किया जा रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नये किस्म की शराब बनाने की योजना है इससे शराबबन्दी का कार्यक्रम कम होने के बजाय इसको बढ़ावा मिलेगा, यह माननीय मंत्री जी को अपने तजुरबे से राय हो गयी है कि इससे कम नुकसान होगा ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अपनी सूचना के आधार पर बताया है, अपने अनुभव के आधार पर नहीं।

श्री अख्तर अली खाँ—

जो नयी योजना बतायी, यह नयी योजना नहीं है। झांसी, जालौन, बांदा, गोरखपुर जिलों में इसका प्रयोग हो रहा है। वहां पर इल्लिसिट डिस्टिलेशन था। वहां पर ठेकेदार अपनी शराब तोड़ते थे। उसको कम करने के लिये ५०० अन्डरप्रूफ शराब डाली गयी और वह अब तक चल रही है।

श्री अध्यक्ष—

(बहुगुणा जी के खड़े होने पर) मुझे खेद है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकूंगा, क्योंकि बहुत लोग खड़े हैं। एक को समय देने से मामला हल नहीं होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ बड़े लोगों में शराब ज्यादा चलाने के लिये मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस समय प्रश्नों के समय कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं लूंगा।

(श्री हरीशकुमार गंगवार के प्रयास करने पर) मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था प्रश्नों के क्रम के संबंध में है या इस प्रश्न के संबंध में है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आपके सामने जो माइक का डंडा लगा हुआ है उसके कारण से, मुझे आपकी आई कैच नहीं कर पाती है। इसलिये आप कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें कि इसकी फोल्डिंग हो जाए।

श्री अध्यक्ष—

यदि किसी को कोई भ्रम हो जाए, तो मैं उसका प्रबन्ध नहीं कर सकूंगा।

उन्नाव जिले में वन भूमि

*१४—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में वन विभाग के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि है और इसमें से कितने पर वन लगाये जा चुके हैं तथा उनसे क्या वार्षिक आय होती है ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जिला उन्नाव में वनविभाग के अन्तर्गत ३६०७२.८६ एकड़ भूमि है। इस भूमि में से ४८७ एकड़ भूमि पर वन विभाग द्वारा वन लगाये जा चुके हैं। यह वन हाल ही में लगाये हैं और इनके पौधे प्रौढ़ावस्था को प्राप्त नहीं हो सके हैं, अतएव अभी तक इन वनों से कोई आय नहीं हुई है।

*१५—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या सरकार उन्नाव जिले में वन विभाग के अधिकार की ऐसी भूमि को जो कृषि योग्य है और बेकार पड़ी है उसको भूमिहीनों में वितरण कराके खेती की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सरकार की नीति है कि किसी को भी वन भूमि कृषि हेतु वितरण न की जाये। अतएव कृषि हेतु भूमिहीनों को वन भूमि के वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में भूमि वन विभाग के अधिकार में कब से और किस प्रकार से आई ? और अब तक केवल ४८७ एकड़ में ही क्यों वन लगाये गये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उन्नाव जिले में शासकीय आदेश–विज्ञप्ति दिनांक ११–१०–५२ के अनुसार ४११६९.५२ एकड़ भूमि वन विभाग के मातहत निहित की गई और इसमें से जो हस्तान्तरित की गई वह ३५९८२.८६ एकड़ भूमि है, जो हमें दी गई और उस पर धीरे धीरे वन लगाये गये।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इसके पूर्व की सरकार ने, जब उसमें माननीय चौधरी चरण सिंह जी वन मंत्री थे, यह व्यवस्था की थी कि किसानों के खेतों के बीच में वनविभाग की जो भूमि हो और जो एकजाई न हो उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाएगा ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी भूमि का सर्वे करा कर उसे भूमिहीनों में बांटने की कृपा करेगी ?

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)—

उत्तर प्रदेश में जो वनों की औसत भूमि है वह पहले से कम है, उसको देखते हुये वन की भूमि किसानों को देना उपयुक्त नहीं है।

श्रीमती बेनी बाई—

अध्यक्ष जी की इधर दृष्टि पड़ती ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार कहना उचित नहीं है। सब मेम्बर्स एक साथ खड़े हो जाएं और मैं सबको देख लूं, यह सम्भव नहीं है। सारे माननीय सदस्य कभी इधर से और कभी उधर से, शिकायत करें यह उचित नहीं है और न शोभा देता है।

श्री रमाबल्लभ मिश्र (जिला बरली)—

क्या माननीय वन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस सन् में उनको यह भूमि हस्तान्तरित हुई और कितने दिनों में कौन सी तारीख तक करीब ४०० एकड़ पर वन लगाये जा सके और यदि इसमें किसी अधिकारी की गफलत हुई तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामचन्द्र विकल—

सन् ५२ में जमींदारी उन्मूलन के बाद यह भूमि आई और उस पर बन्दोबस्त अभी हमारा जारी है और जब तक बन्दोबस्त न हो जाए मैं उस पर नहीं कह सकता। इस बार भी ७६ एकड़ में हम बन लगा रहे हैं और जैसे जैसे हमारे आर्थिक साधन बढ़ रहे हैं हम बन लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

कितने समय के अन्दर उन भूमियों पर जो जंगलात विभाग ने ली है जंगलात खड़े किये जायेंगे ?

श्री रामचन्द्र विकल—

इसके लिये तो कोई अवधि निश्चित करना मुनासिब नहीं है लेकिन जितने ही आर्थिक साधन बढ़ेंगे हम बन लगाते जायेंगे और जहां पर बन नहीं होगा उसकी उपयोगिता ग्रामीण लोगों के लिये मवेशी चराने और दूसरे कामों के लिये बराबर रहेगी।

श्री चन्द्रशेखर (जिला बाराणसी)—

जिस जमीन पर जंगल लगाये जा चुके हैं उसको नहीं लेकिन जो जमीन बची हुई है उसपर जब तक जंगल नहीं लगा दिये जाते तब तक उसको पट्टे पर उठायेंगे ?

श्री रामचन्द्र विकल—

ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या वन मंत्री को यह ज्ञात है कि उन्नाव जिले की जो भूमि वन विभाग के अधिकार में है उनमें से अधिकांश किसानों के कब्जे में है और वह जोत बो रहे हैं, उदाहरण के लिये हंसनगंज तहसील में फिरोजाबाद गांव और उस गांव के किसानों को वनविभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है कि वे उसको छोड़ दें ? तो क्या उस संबंध में सरकार कोई आदेश देगी कि जिन किसानों का जमीन पर कब्जा है वह उनके कब्जे में रहे ?

श्री रामचन्द्र विकल—

ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है लेकिन अगर किसानों ने नाजायज क जा वन विभाग की भूमि पर कर रखा है तो मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि उसको छुड़वा दें वरना कानूनी कार्यवाही होगी ही।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

क्या पूरी उत्तर प्रदेश में जो बड़े ऊसर के प्लाट्स हैं उस पर सरकार बन लगाने की सोच रही है ?

श्री रामचन्द्र विकल—

ऊसर भूमि को ठीक कराने के लिये अगर गांव सभ यें मदद चाहें तो वन विभाग उनको बीज और पौधे देती है और जो ऊसर बन विभाग के क जे में है उसमें योजनान्तर्गत सुधार वगैरह के लिये बबूल आदि के पेड़ लगाये जा रहे हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी इलाकों में जो वन विभाग की जमीन है उसके लिये क्या कोई नियम है कि कितने एकड़ का कम्पैक्ट प्लाट हो तब उसपर सरकारी वन लगे ? यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है ? दूसरा इसी से संबंधित उन्नाव जिले में क्या उस मात्रा के प्लाट हैं और क्या सरकार उनको छोड़ने की कृपा करेगी ?

श्री रामचन्द्र विकल—

ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है लेकिन अधिक से अधिक बन लग सकें यह सरकार की नीति है ।

*१६—श्री ऊदल—

[२६ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया ।]

भरावन तथा बेनीगंज डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होना तथा हरदोई जिले में नसबन्दी

*१७—श्री अंगने लाल (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जिले की भरवन तथा बेनीगंज की डिस्पेन्सरियों में क्रमशः एक वर्ष से तथा ३ वर्ष से डाक्टर नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कृष्णबहादुर—

भरावन डिस्पेन्सरी में दिनांक १-१-६६ से डाक्टर नहीं हैं । उचित संख्या में डाक्टर उपलब्ध न होने के कारण इस चिकित्सालय में डाक्टर की तैनाती नहीं की जा सकी ।

बेनीगंज डिस्पेन्सरी जिला परिषद्, हरदोई के अधीन है । इसके संबंध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१८—श्री अंगने लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी, १९६६ से मार्च, १९६७ तक हरदोई जिले में कितने व्यक्तियों ने नसबन्दी कराई ?

श्री कृष्ण बहादुर—

जनवरी, १९६६ से मार्च, १९६७ तक हरदोई जिले में १६ महिलाओं तथा ५४९ पुरुषों ने नसबन्दी कराई ।

श्री अंगने लाल—

क्या माननीय चिकित्सा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भरावन डिस्पेंसरी में डाक्टर की पोस्टिंग कबतक करा सकेंगे ?

श्री कृष्ण बहादुर—

जैसे ही डाक्टर उपल ध हो जायंगे वहां भेज दिये जायेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस अवधि में ५४९ पुरुषों ने अपनी नसबन्दी कराई तो उनमें अविवाहित और ५० वर्ष से अधिक के आयु के कितने थे ?

श्री कृष्ण बहादुर—

कोई नहीं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को देखते हुये क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करने जा रही है कि जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और खाली हैं उनमें जल्दी ही डाक्टर नियुक्त कर दे ?

श्री प्रताप सिंह—

इस कमी को पूरा करने के लिये जो मैंने पांच सूत्री कार्यक्रम बताया है उसके मातहत काम किया जा रहा है। रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर ६० कर दिया गया है जो पहले ५८ थी। इसके अलावा पी० एम० एस० का भेद मिटा दिया गया है और दो स्केल एक ३००–६०० और दूसरा ६००–१२५० कर दिया गया है। इससे हम आशा करते हैं कि हमारा टारगेट पूरा हो जायगा।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति की पत्नी से भी मालूम कर लिया जाता है जैसा कि कानून में प्राविधान है ?

श्री कृष्णबहादुर—

जी हां।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जनवरी, १९६६ से मार्च, ६७ तक आपका नसबन्दी का टारगेट क्या था और उसमें कितनी कमी रह गई ?

श्री कृष्णबहादुर—

हरदोई जिले में टारगेट ५,७०० का था जिसमें ४ फीसदी यानी १९३ लोगों ने कराई तथा आइ० यू० सी० डी० के अन्तर्गत २,८०० का टारगेट था जिसमें १,९७४ ने अर्थात् ७० फीसदी ने कराई।

श्री माता प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नसबन्दी योजना को सफल बनाने के लिये सरकार कौन सा विशेष प्रयास करने जा रही है ?

श्री प्रताप सिंह—

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के पैटर्न पर हर ब्लाक में एक लेडी डाक्टर का स्टाफ नियुक्त करके इस योजना को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

खीरी जिले में कंजरवेटर श्री नकवी तथा वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच

*१९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, फारेस्ट कन्ट्रेक्टर्स असोसियेशन साउथ खीरी फारेस्ट डिवीजन ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक २८ मई, १९६७ से दिनांक ३१ मई, १९६७ तक मुख्य मंत्री, वन मंत्री, वन सचिव, चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट को, सेन्ट्रल सर्किल के कंजरवेटर श्रीनकवी तथा वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दिया है जिन्होंने वन विभाग की लकड़ी को एक ठेकेदार श्री बक्शीश अहमद को सस्ते दर पर तथा अनियमित रूप से दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मुख्य मंत्री, वन मंत्री, वन सचिव और चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट के पास तो ऐसा कोई पत्र अध्यक्ष, फारेस्ट कन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन साउथ खीरी, से प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है परन्तु इनका एक २८-५-६७ का प्रार्थना पत्र जो उप मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है जिसमें सेन्ट्रल सर्किल के कंजरवेटर श्री नकवी तथा वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की गई हैं। उसमें ठेकेदार श्री बखशीश अहमद को अनियमित रूप से सस्ते दर पर लकड़ी दिये जाने का भी आरोप है। इन मामलों पर जांच की जा रही है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब एक कंजरवेटर के खिलाफ शिकायत है तो उस की जांच किस के द्वारा करायी जा रही है ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जी० एन० सिंह, उप मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग द्वारा।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रार्थना पत्र में ऐसे भी आरोप हैं कि इन ठेकेदार साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के इन्कम टैक्स का ८५ हजार रुपया मार लिया है, उसे उन से वसूल किया जाय ? यदि हां तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामचन्द्र विकल—

यह सब उस जांच से संबंध रखता है जो करायी जा रही है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी का ध्यान इस प्रार्थना पत्र के पेज ४ पर गया है जिस में सबूत के लिये ११ कागज गिनाये गये हैं। क्या ये कागज जांच कर्ता को उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्रीजी जांचकर्ता को इस प्रकार के आदेश देंगे कि वे इन कागजों को हासिल कर के इन की बिना पर जांच करें ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जांच के लिये जो जो आवश्यक साधन होंगे वह सब अपनाये जायंगे।

खमियां ब्लाक की वन भूमि पर कब्जा

*२०—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत माह अप्रैल व मई से तराई-भावर वन विभाग के खमियां ब्लाक की वन भूमि में कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है ? यदि हां, तो उनके मुखिया कौन हैं ? कहां के रहने वाले हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, गत माह मार्च, अप्रैल व मई से तराई भावर वन खंड के खमियां ब्लाक की वन भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रयत्न करने वालों की संख्या बहुत है और यह कहना कि उनके कौन मुखिया हैं, कठिन है।

*२१—श्री इन्द्रपाल—

क्या यह सही है कि इस भूमि पर जबरन कब्जा कराने वालों ने हजारों रुपया "कुमायूं भूमिहीन समिति" के नाम से वसूल करके एक अराजकता पैदा कर रखी है? यदि हां, तो सरकार इसको रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

अनेक सूत्रों से वन विभाग को रसीदें प्राप्त हुई हैं उनसे विदित होता है कि कुमायूं भूमिहीन समिति के नाम से रुपया वसूल किया गया है। यह पता नहीं है कि कुल कितना रुपया वसूल हुआ है। वन विभाग इसकी रोकथाम करने में असमर्थ है क्योंकि इस पर कार्यवाही पैसा देने वाले की शिकायत पर ही हो सकती है जहां तक नाजायज कब्जा रोकने का सवाल है इसपर वन विभाग सतर्क है और अभी तक ७१ ऐसे अपराधी जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया था वैधानिक तरीके से गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

श्री इन्द्रलाल—

क्या वन मंत्री यह बतायेंगे कि इन्हीं व्यक्तियों में से जिन्होंने कि वहां जबरदस्ती कब्जा किया और करने का प्रयास कर रहे हैं, एक मुखिया श्री काशीलाल का कोई शिकायती पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है?

श्री रामचन्द्र विकल—

इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य शिकायत करेंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी।

अवैध रूप से शिकार करने वाले सरकारी कर्मचारी

*२२—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाइल्ड लाइफ वार्डन तथा उनके कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा १५ अक्तूबर, १९६६ से १५ अप्रैल, १९६७ तक कितने अवैध रूप से शिकार खेलते पकड़े गये और उसमें से सरकारी कर्मचारी कितने हैं।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

१५ अक्टूबर, १९६६ से १५ अप्रैल, १९६७ तक, वन्य जन्तु अभिरक्षण संगठन (वाइल्ड लाइफ प्रीजर्वेशन आर्गेनाइजेशन) के कर्मचारियों द्वारा ३५१ व्यक्ति अवैध रूप से शिकार खेलते पकड़े गये जिनमें १७ सरकारी नौकर हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ये सरकारी नौकर किस पद पर हैं और उन पर क्या जुर्माना किया गया और क्या उनको ब्लैक लिस्ट भी किया गया?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

१७ कर्मचारी हैं और वे विभिन्न विभागों के हैं। उन से रुपया वसूल किया गया है और कुछ रह गये हैं जिन से रुपया वसूल हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उन को ब्लैक लिस्ट किया गया है अथवा नहीं?

नोटः—तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रामचन्द्र विकल—

उन की जांच करा कर उनसे जुर्माने की शक्ल में धनराशि वसूल की गयी है और वन विभाग के जिन कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ है उन्हें हम प्रोत्साहित कर रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

विदेशी शराब की दुकानें नीलाम करने पर विचार

१—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है अभी तक आबकारी कमिश्नर की जगह खाली पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अख्तर अली खां—

जी नहीं ।

२—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देशी शराब की दुकानों की तरह विदेशी शराबों की दूकान भी नीलाम किया करेगी ? इस नीलाम से सरकार को कितनी आय बढ़ेगी ?

श्री अख्तर अली खां—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अस्तु इस विषय में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

कतिपय विषय

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

प्रश्नों के संबंध में मुझे निवेदन करना है कि आम तौर से यह प्रथा है कि किसी सदस्य के नाम से अगर ३ प्रश्न तक आ जावें तो वह तारांकित रहेंगे और अगर ज्यादा होते हैं तो अतारांकित हो जाते हैं। माननीय नेकराम शर्मा के प्रश्न अतारांकित कर दिये गये इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गंगवार ने शायद नियम पढ़ना छोड़ दिया है। नियमों में है कि दो से अधिक होने पर अतारांकित कर दिये जायंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

उनके तो केवल दो ही प्रश्न थे।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने वापस ले लिये हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। कल बहुगुणा जी ने कहा था कि दारुल शफा में पानी नहीं आ रहा है, २४ घंटे हो गये और अब भी नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर किसी माननीय सदस्य को व्यक्तिगत या सामूहिक असुविधा हो तो कृपा कर के सदन का समय लेने से पहले मुझे उससे अवगत कराने का कष्ट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक संभव हो, आपके उस कष्ट को दूर करने में सहायक हो सकूं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

व्यवस्था का प्रश्न है। कल श्रीमन् का ध्यान आकृष्ट किया था कि दारुल शफा बी० सी० ए० ब्लाक में पानी नहीं आ रहा है, बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है तो विभागीय मिनिस्टर का ध्यान आकृष्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज फिर वही हालत है। जब विधायकों की यह दुर्दशा है तो अन्य लोगों का क्या होगा ? वाटर सप्लाई या किसी अन्य मुहकमें की क्या हालत है आज ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसी संबंध में एक बात कही, वही बात आपने फिर दोहरा दी। माननीय मुक्तिनाथ राय ने भी इसी ओर ध्यान खींचा था। व्यवस्था के प्रश्न में आप बुर्व्यवस्था पैदा करते हैं, यह उचित नहीं है।

जहां तक कठिनाई का प्रश्न है मैं फिर दोहराता हूं कि उस विषय में मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन फिर भी मेरा कर्त्तव्य है कि अगर सदन के सदस्यों को कोई कठिनाई होती हो तो मैं यथाशीघ्र यथासंभव सहायता करूं। मैं समस्त माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अगर इस प्रकार की कठिनाई हो तो बजाय इसके कि सदन में जिसका कोई प्राविधान नहीं है, आप मेरा ध्यान आकृष्ट करें, कृपा करके व्यक्तिगत रूप में अवगत करा दें या ऐसा आवश्यक नहीं समझते हों तो जो संबंधित मंत्री हों उनसे सीधे बात करें और उनको लिखें।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)--

जो डिबेट चल रही है उसके विषय में व्यवस्था का प्रश्न है। कई दिनों से कटौती के ऊपर जो विवाद हुआ करता है इस संबंध में आप कोई दोनों पक्षों....

श्री अध्यक्ष--

चेतराम जी, जब कटौती पर वाद-विवाद हो और आपको उस संबंध में कोई व्यवस्था उठानी हो, तो उसी वक्त उठाइयेगा।

सहकारी बैंकों में नामांकन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

चार विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें मेरे पास आयी हैं, जिनका विषय एक ही सा है। एक आयी है माननीय मुरलीधर पांडेय की ओर से, एक श्री रमाशंकर अग्रवाल की ओर से, एक श्री मलिखान सिंह की ओर से, एक श्री रघुनाथ सिंह (झांसी) की ओर से। इनमें जिले अलग-अलग हैं, लेकिन विषय एक ही है

"कल दिनांक ४-७-६७ को आदरणीय सदन में माननीय कृष्णानन्द राय तथा माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने यह घोषणा की थी कि माननीय सहकारिता मंत्री ने सहकारी बैंकों में जनसंघ के सदस्यों के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति का नामांकन कदापि नहीं किया। इस बात को उन्होंने बड़ी दृढ़ता से रखा और इस प्रश्न में मेरी स्पष्ट जानकारी है कि मेरे जिले वाराणसी के बैंक में संचालक के लिये श्री प्रधानी वकील का नामांकन हुआ। यह न तो जनसंघ के सदस्य हैं और न कभी रहे थे। इनका संबंध दूसरे दल से है। इसी प्रकार माननीय सदस्य ने जानबूझ कर गलत सूचना देकर आदरणीय सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है और इससे विशेषाधिकार की अवहेलना होती है।

[श्री अध्यक्ष---]

इसी प्रकार की माननीय रमाशंकर अग्रवाल की शिकायत है कि बुलन्दशहर के बैंक में संचालक के लिये श्री वीरेन्द्र स्वरूप तथा पी० सी० एफ० में श्री गया प्रसाद सिंह एक्स एम० एल० ए० का नामांकन हुआ है। यह न तो जनसंघ के सदस्य हैं और न कभी रहे थे। इनका संबंध दूसरे दल से है।

माननीय मलखान सिंह ने कहा है कि सुलतानपुर के बैंक के संचालक के लिये श्री रामनाथ पांडेय का नामांकन हुआ है। यह न तो जन संघ के सदस्य हैं और न रहे हैं।

एक माननीय रघुनाथ सिंह का है, उन्होंने कहा है कि झांसी के बैंक के लिये श्री नन्द किशोर दा बोरिया का नामांकन हुआ है और उनका भी संबंध जनसंघ दल से न है न रहा है।

इस पर व्यवस्था देने से पूर्व जो कुछ माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य तथा माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा है और किन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको मैं देखना चाहूंगा। मैं यह भी चाहूंगा कि उसके पहले माननीय सहकारिता मंत्री, चूंकि कल भी इस विषय पर बहुत चर्चा हुई, आज भी कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है, मेरे पास उनकी एक सूची भेज दें जिनका नामांकन हुआ है और यह भी बता दें कि उनकी जानकारी में वे किस-किस दल के हैं, इसके बाद ही मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)---

श्रीमन्, आप नियम ६३-विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में जो है--उसे देखने की कृपा करें। उसके अन्त में लिखा है "परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति के बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।" माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य और माननीय कृष्णानन्द राय ने कल सदन के समक्ष यह घोषणा की थी कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जनसंघ के सदस्यों के अलावा और किसी सदस्य को नामांकित नहीं किया है। अतः इस पर विचार सदन में हो सकता है। मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने यह नहीं कहा है कि यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रश्न उठाया जा सकता है यदि मैं उसे स्वीकार कर लूं और उसको ग्राह्य मानूं। विशेषाधिकार समिति तो इस समय है ही नहीं।

श्री रमाशंकर अग्रवाल---

उस पर तो सदन कार्यवाही कर सकता है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि उक्त नियम ६३ के अन्तर्गत क्या यह सदन उस पर विचार कर सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

जो नियम आपने बताया यह तो उस घटना के संबंध में है जो सदन में घटे और तुरन्त यह सदन उस पर कोई विचार करे और कार्यवाही करे। यह कल की बात है, कल किसी माननीय सदस्य ने नोटिस नहीं दिया, तो अब इस प्रश्न पर मुझे विचार करना पड़ेगा, मैं अपना कोई मत व्यक्त अभी नहीं कर रहा हूं। मत व्यक्त करने से पूर्व मैं कार्यवाही मंगा कर देखूंगा, और इस बीच माननीय सहकारिता मंत्री से मैं वह लिस्ट भी मांग रहा हूं, उसके बाद कोई निर्णय दूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मेरा एक निवेदन है उस संबंध में....

श्री अध्यक्ष--

लेकिन जब मैं इस विषय को लूंगा तब....

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि जब हमने आपको निश्चित सूचना दे दी उसको या तो माननीय सदस्य यह कहें कि जनसंघ के हैं। आपको यह तो मान लेना चाहिये। दूसरी बात यह है कि आप तो और मामले को बढ़ा रहे हैं। आप सुलझाने में नहीं बल्कि बढ़ाने में कदम उठा रहे हैं। उसका कारण यह है कि अब सूची मंगाने से और जो व्यवस्था दे देते हैं उसका संबंध उससे नहीं है। जब एक बात आपने तय कर दी कि माननीय रामायणराय, माननीय कृष्णानन्द राय या लक्ष्मीरमण आचार्य का वक्तव्य देख लेंगे तो ही ठीक है। उन्होंने स्पष्ट यह बात कही कि जनसंघ के अलावा किसी और के सदस्य नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरीश कुमार खड़े हुये हैं और इनकी व्यवस्था चल रही है। जब प्रश्न हो रहा है, या व्यवस्था हो रही हो तो और माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न न करने की कृपा करें।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

श्रीमन्, दो माननीय सदस्यों ने यह स्पष्ट कहा कि वहां जनसंघ के अलावा नामीनेशन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--

आप एक बात कह चुके। एक तो अप्रासंगिक है यह सब। इस समय मैं यह विषय नहीं ले रहा था।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

अप्रासांगिक तो श्रीमन्, आपने स्वयं किया है। इसको आपने इतना बढ़ाया है यह कहकर कि लिस्ट दे दें।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न मेरे सामने आया है उस पर सारे लोग व्यवस्था एक साथ उठा दें तो ठीक नहीं होगा। मैं सारे माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कुछ सदन की गरिमा और महिमा बनाये रखने के लिये आक्षेपात्मक बातें यहां पर कहना अशोभनीय है। एक ही बात का कोई मतलब निकालना भी ठीक नहीं, जल्दी करना भी ठीक नहीं है। मैंने कहा कि अपनी व्यवस्था देने के पूर्व मैं पिछली प्रोसीडिंग्स को देखना आवश्यक समझता हूं। मुझे वह सहायक होगी, अगर सहकारिता मंत्री सूचना दे सकेंगे। अगर मेरे बात करने पर ही सूचना प्राप्त हो सकेगी तो मैं सूचना की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। इसलिये मुझे सहायता मिलेगी। आपकी बात समझने के लिये मैंने सहकारिता मंत्री से सूचना मांगी। हरीशकुमार गंगवार जी ने जो इतना लम्बा चौड़ा वक्तव्य दिया उसे मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं व्यवस्था दूं और उससे असंतोष हो तो उसको दूर करने के लिये और तरीके हैं। सदन में इस प्रकार की चर्चा करना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता था कि माननीय रमाशंकर अग्रवाल और श्री गंगवार साहिब ने जो अभी प्रश्न उठाया था उसमें मैं उन को नोटिस देता हूं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सदन इसी समय धारा ६३ के अन्तर्गत कार्य करे और आपके विरुद्ध अभी सदन के अवमान का प्रश्न उठाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने जो बात कही कि वे तैयार हैं सो तो ठीक है लेकिन मैं उसे नहीं लेना चाहता। जब तक मैं अच्छी तरह से संतुष्ट न हो जाऊं तब तक मैं उसको लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मेरे खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं

श्री अध्यक्ष—

जब मैं इस विषय को इस समय ले नहीं रहा हूं तो आपके भाषण करने का यह कोई मौका नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल कोई पार्टी का सवाल नहीं होता है। माननीय कृष्णानन्द राय जी और माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी आपको एक तरह से फोर्स कर रहे हैं कि आप फैसला दें। मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। अगर सबूत ठीक नहीं मिले तो इकबाली मुलजिम भी कोर्ट से छूट जाते हैं। आपने जो रास्ता पकड़ा है वह बहुत ही अच्छा है, इन्हें नहीं बोलने देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपने मेरी सहायता की, मैं इसके लिये आपका कृतज्ञ हूं।

श्री अब्दुल मुईज खाँ (जिला बस्ती)—

जो नियम माननीय सदस्य ने पढ़ा है, कुछ मिसप्रिंट के कारण सारा भ्रम पैदा हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप कानून जानते हैं तो मैं आपसे यह भी आशा करता हूं कि आप यह समझते होंगे कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, इंटरप्रिटेशन का है।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

जो लोग आपकी आज्ञा के बगैर बोलने लगते हैं उन्हें आप बोलने की अनुमति दे देते हैं। जो सज्जनता के साथ आराम से खड़े होते हैं उनको किसी तरह से बोलने की सुविधा नहीं है। आप स्पष्ट रूप से व्यवस्था दें कि प्रोसीडिंग्स चलते समय जो अव्यस्था पैदा करता उसे क्या दंड आपकी ओर से होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने अनुभव से जो सुझाव देंगे मैं उन पर विचार करूंगा।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

मैं हरीशकुमार गंगवार के खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)—

जब आपने व्यवस्था दे दी कि इस विषय को लेने के लिये अब तैयार नहीं हैं, और इस पर आप अध्ययन करेंगे और बाद में लेंगे और उस समय माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा, तो फिर भी माननीय सदस्यों को बोलते रहना .....

श्री अध्यक्ष—

तुलसी दास जी की चौपाई जो है वही इसका जवाब हो सकती है ।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय उप मुख्य मंत्री अनुदान प्रस्तुत करेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमान्, मैं आपका ध्यान संविधान की धारा १६३ और १६४ की ओर दिलाना चाहता हूं। उप मुख्य मंत्री के पद का कोई प्राविधान नहीं है । १६३ में और १६४ में है कि एक चीफ मिनिस्टर होंगे और मिनिस्टर होंगे । चीफ मिनिस्टर को गवर्नर एप्वाइंट करेंगे और दूसरे मिनिस्टरों को गवर्नर चीफ मिनिस्टर की सलाह पर नियुक्त करेंगे । कहीं उप मुख्य मंत्री का इसमें नाम नहीं है, इसके लिये कोई व्यवस्था या प्राविधान नहीं है । न हमारे यहां आज तक कोई उप मुख्य मंत्री बना है । यह संविधान का वायलेशन है । शेड्यूल में शपथ की बात है जिसमें भी यह है कि जब मिनिस्टर कसम लेगा तो यह कहेगा कि बिना फीयर और फेवर के मैं संविधान और कानून के मुताबिक कार्य करूंगा । मुख्य मंत्री ने उस समय घोषणा की थी उप मुख्य मंत्री नहीं बनेगा । जनसंघ पार्टी का प्रैशर पड़ा और मुख्य मंत्री ने इस डर से कहीं ऐसा न हो कि जनसंघ का यूनिट बाहर चला जाय उनको उप मुख्य मंत्री बना दिया। उन्हें फेवर किया। यह शपथ का वायलेशन है। आपने उप मुख्य मंत्री कहकर उन्हें बुलाया और यही एजेंडे में छपा है । अगर शिक्षा मंत्री की हैसियत से वह अनुदान पेश करते तो ठीक हो सकता था । इसलिये मेरा निवेदन है कि उप मुख्य मंत्री इस अनुदान को पेश नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी ने अपने पक्ष में संविधान की धारा १६३ और १६४ का हवाला दिया । इन्हीं के बिलकुल समकक्ष धारायें ७४ और ७५ हैं, जिनमें लोकसभा में मिनिस्टर्स बनते हैं । मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता हूं कि पहले क्या नहीं हुआ या पहले यहां कोई उप मुख्य मंत्री नहीं बनाया गया । अगर केवल इसी निगाह से देखें तो केंद्र में पहले सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए और आज भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद हैं । अगर केवल परम्परा को देखें तो केंद्र से हमें यह परम्परा मिलती है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं जो हमारे उप मुख्य मंत्री के समकक्ष हैं। एक माना हुआ इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत यह है कि जिस चीज का निगेटिव प्राविधान नहीं होता है, प्रोहिबिशन के अन्तर्गत किया जाता है। वह चीज हो सकती है । तो जहां मिनिस्टर शब्द का प्रयोग आया है, उसमें स्टेट मिनिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं आया है। तो फिर जब डिप्टी मिनिस्टर हो सकते हैं, स्टेट मिनिस्टर हो सकते हैं, उसी तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं । उसमें कहीं उसका प्रोहीबिसन नहीं है।

[श्री अध्यक्ष—]

माननीय नेकराम शर्मा जी ने एक शेड्यूल पढ़ कर सुनाया और उन्होंने कहा कि यह नियम और संविधान के अनुकूल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह संविधान के प्रतिकूल नहीं है। संविधान में सारी बातों का विश्लेषण नहीं हो सकता। एक बेसिक धारा है, उस धारा के अन्तर्गत काम न किया जाय तो वह संविधान के प्रतिकूल हो जाता है। स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिये इसमें कहीं निषेधात्मक प्राविधान नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि उप-मुख्य मंत्री का होना संविधान के बिलकुल विरुद्ध नहीं है, और इससिये उप मुख्य मंत्री द्वारा अनुदान का प्रस्तुत किया जाना बिलकुल वैध है।

(श्री नेकराम शर्मा के खड़े होने पर)

मैं आशा करता हूं कि मेरी व्यवस्था के बाद अब आगे इस पर विवाद नहीं होगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा नम्र निवेदन यह है कि आपने लोकसभा और परम्परा की बात कही ...

श्री अध्यक्ष—

फिर तो यह डिस्कशन हो जायगा मेरी व्यवस्था पर। मैं आपको आश्वासन देता हूं और हर माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मेरी व्यवस्था के बाद अगर कोई माननीय सदस्य इस बात से मुझे आश्वस्त कर दे कि मेरी व्यवस्था संविधान, परम्पराओं या किसी रूलिंग के आधार पर गलत है तो मुझे बड़ा हर्ष होगा, मैं स्वयं दूसरे दिन या जब भी समझूंगा यथासमय उसमें संशोधन कर दूंगा लेकिन उस पर यहां कोई विवाद नहीं हो सकता।

श्री नेकराम शर्मा—

यह सही है कि आपकी व्यवस्था के बाद उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता लेकिन आज अगर कोई गलत कार्य हो जायगा, क्योंकि आज ही माननीय उप मुख्य मंत्री अनुदान प्रस्तुत करने जा रहे हैं और वह पास हो जाय और कल आप उसे समझ कर व्यवस्था अपनी बदलें तो सारा कार्य तब तक सम्पन्न हो चुका होगा।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी कोई आशंका मेरे सामने नहीं है वरना उसी समय मैं उनको रोक देता।

उप मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १६,९२,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत होने वाल परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, १६,९२,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—शिक्षा

*श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३४,८४,५१,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष पिछले वर्ष की शिक्षा की प्रगति और इस वर्ष के बजट के आंकड़े प्रस्तुत हैं । मैं शिक्षा के सम्बन्ध में जो वर्तमान सरकार नीतियों का पुनर्निर्धारण करना चाहती है, उस विषय में मैं अपने विचार रखूंगा । पिछले वर्ष शिक्षा का बजट ४६ करोड़ का था, वह इस वर्ष बढ़ कर ५१ करोड़ का हो गया है परन्तु इतनी वृद्धि मेरे विचार में आज की शिक्षा की स्थिति को देखते हुए अपने प्रदेश में पर्याप्त नहीं है । फिर भी इस बात को महसूस करते हुए कि प्रदेश के अन्दर जो वर्तमान खाद्यान्न संकट हैं, और अन्य आर्थिक कठिनाइयां हैं, जो जन जीवन में व्याप्त हो गयी हैं, उनको दूर करने के लिये, उनको प्राथमिकता दी जाय, उन पर अधिक व्यय किया जाय । इस प्रकार की कुछ मजबूरियों को देखते हुए शिक्षा के लिये और अधिक धन उपलब्ध करना संभव नहीं हो सका ।

श्रीमन्, पिछले बीस सालों में जो शिक्षा का चित्र इस प्रदेश में निर्माण हुआ या देश में निर्माण हुआ, मुझसे संबंधित प्रदेश की बात है, उससे एक बड़ी निराशा सारे समाज में व्याप्त हो गयी हैं और जो आशायें स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रदेश की जनता ने लगायी थीं, आज बीस वर्ष के बाद जब मैं उस सारे चित्र को देखता हूं तो मुझे दिखायी पड़ता है कि जनता के मन में निराशा व्याप्त है, इससे मुझे आश्चर्य नहीं होता क्योंकि शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जो एक पवित्र क्षेत्र है, जहां पर आदर्शवाद का निर्माण होता है । जहां से मानव कल्याण की ओर बढ़ते हुए, योग्यता संवादन करते हुए, नर से नारायण की ओर प्रगति करता है और उत्तरोत्तर विकास करते हुए संसार के अन्दर राष्ट्र के गौरव को ऊंचा करने के लिये अपने व्यक्तित्व का प्रयोग करेगा । लेकिन मुझे दुख है, प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि पिछले २० वर्षों में यह शिक्षा का क्षेत्र अपना गौरव नहीं रख पाया जिसकी रक्षा उसने सदा से की थी । यह एक ऐसे क्षेत्र था जो क्षेत्र कभी भ्रष्टाचार से व्याप्त नहीं रहा था, जिसका स्तर कभी नीचे नहीं गिरा था, चाहे भारत गुलाम रहा हो अथवा आजाद रहा हो, हजारों वर्ष के शिक्षा के इतिहास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह सदा गौरवशाली रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि गुलामी के काल में भी ऐसे-ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया कि जिनके कारण संसार के अन्दर अब भी हमारे देश का मस्तक ऊंचा है । लेकिन दुर्भाग्य से पिछले २० वर्षों के अन्दर शिक्षा का वह गौरव धीरे-धीरे कम होता चला गया, जिसको सोच कर आज सिर शर्म से नीचे झुक जाता है । आज शिक्षा का क्षेत्र एक व्यापार बन गया है । भ्रष्टाचार ने शिक्षा संस्थाओं को घेर लिया है जिन्होंने अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये विद्यालयों का निर्माण किया है और सरकार के द्वारा दिये हुए अनुदान का दुरुपयोग हो रहा है ।

जब से मैं यहां इस काम के लिये बैठा हूं, मैंने हजारों स्कूलों से भ्रष्टाचार की बू आती हुई पायी है । इसने हमारे शिक्षा के स्तर को गिराया है । इसके लिये मैं १-२ उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं । अभी इलाहाबाद में एक विद्यालय की जांच से पता चला कि १५ अध्यापकों के नाम १० साल से दिखाये गये हैं कि वे काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है और १० वर्ष से सरकार से अनुदान भी लिया जा रहा है और झूठमूठ वेतन दिया हुआ सरकार को दिखाया जाता है । इतने लंबे कार्य में भी कोई जांच न हो पायी और न कोई रोक ही लग पायी, इससे आश्चर्य होता है और संसार को भी आश्चर्य होगा क्योंकि शिक्षा के ऊपर ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामप्रकाश—]

देश और प्रदेश के गौरव का दायित्व आता है। शिक्षा संस्थाओं में, सार्वजनिक जीवन में, संस्कृति में और सभी क्षेत्रों में जो बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे सारे प्रदेश की शिक्षा के एक चित्र का अन्दाजा लगता है। आज हमारे यहां सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जिनके भवन नहीं हैं और जहां भवन हैं वहां विद्यार्थी नहीं हैं, मान्यता प्राप्त है और अनुदान भी मिल रहे हैं। उन को देख कर ऐसा आवश्यक जान पड़ता है कि इसके लिये प्रदेश के सभी विद्यालयों की जांच करानी पड़ेगी।

इसके अलावा यह पता नहीं लगता कि कितनी और गड़बड़ियां प्रदेश के शैक्षिक संस्थाओं में चली आती हैं। एक ओर इतना अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है और दूसरी ओर उससे भी खतरनाक और परेशानी की एक चीज यह है कि आज शिक्षक और विद्यार्थियों में चारों ओर राजनीति ने अपना प्रवेश पा लिया है। हमारे शिक्षा मन्दिरों का उद्देश्य यह नहीं रहा कि प्रदेश की आम जनता में से ऐसे पुष्प, ऐसे होनहार बालक जिनमें भगवान ने प्रतिभा और सामर्थ्य भरी है उनकी योग्यता का विकास हो और वे राजनीति और गुटबन्दी से अपने को अलग रखकर शिक्षा और सरस्वती की अराधना में प्रदेश और देश का मस्तक संसार के सामने ऊचा कर सकें। यह हमारी आकांक्षा थी लेकिन हमें दुख होता है जब हम देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में स्थान-स्थान पर गुटबन्दी है और राजनीति के वातावरण से शिक्षा को दूषित कर दिया गया है और कितने ही योग्य विद्यार्थी जो शिक्षा के लिये उत्सुक है, जो सरस्वती की पूजा करते हैं उनको वह अवसर नहीं मिलता, वह स्थान नहीं मिलता और वह मार्ग उन के लिये प्रशस्त नहीं है जो स्थान और आदर्श भारत में भारतीय परम्परा में सदैव विद्यमान थे। यह सब होने का परिणाम यह निकला कि जो व्यक्ति योग्यता रखते हैं उनको विकास का अवसर नहीं मिलता क्योंकि वह गुटबन्दी के शिकार हो जाते हैं और योग्यता के आधार पर उन को स्थान मिलेगा और अपनी प्रतिभा के आधार पर जो योग्यता वह प्राप्त करेंगे उसके आधार पर वह सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, इस तरह की आशा सार्वजनिक जीवन से निकल गई है और हर व्यक्ति यह प्रयत्न करता है कि योग्यता की तो आवश्यकता नहीं है अगर अपने सम्बन्ध गुट विशेष से बना लूंगा, कुछ लोगों का कृपापात्र बन जाऊंगा तो विश्वविद्यालय में बड़े-बड़े स्थान पर नौकरी मिल जायगी। इस अवधि में योग्यता के स्थान पर शिक्षा के दूसरे मापदंड घुसे हैं लेकिन सबसे बड़ी खराबी जब इस तरह से विद्यार्थियों के और शिक्षकों के जीवन में प्रभाव डालेगी तो साधारण विद्यार्थी जो विद्यालय में आता है एक लक्ष्य लेकर आता है उस का लक्ष्य क्या साकार होगा? वह किस ओर जायगा, वह क्यों परिश्रम करेगा? इस तरह से लोअरिंग आफ स्टेंडर्ड होकर चारों ओर शिक्षा और योग्यता का अभाव दिखाई देता है और आज शिक्षा के पूरे क्षेत्र में एक बड़ा प्रश्न पैदा हो गया है कि हम शिक्षा का किस तरह से सुधार करें और किस तरह से उचित माप दंड की स्थापना कर सकें जिससे एक विद्यार्थी को यह सन्तोष हो सके कि यदि वह उत्तरोत्तर अपनी योग्यता बढ़ाता जायगा तो उसको उस का फल मिलेगा वह प्रयत्न करे और प्रेरित हो आगे बढ़ने के लिये यह हमारे सामने बड़ा भारी प्रश्न है।

इसके अतिरिक्त आज सारे प्रदेश में जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था दिखाई पड़ती है उसको देखकर बड़ा खेद होता है और यह सोचना है कि इस परिस्थिति में प्रदेश के लिये शिक्षा की अब क्या व्यवस्था हो और किस प्रकार हो, उसकी योजना कैसे बनाई जाय। हमारे यहां कितने ही प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं, डिग्री कालेजेज हैं, प्राविधिक संस्थायें हैं लेकिन उनमें शिक्षा का स्तर इन २० साल में इतना पिछड़ा रहा है कि उनका भविष्य इस तरह से हम उज्ज्वल नहीं बना सके। जहां जिसका प्रभाव पड़ गया, जहां जिसने थोड़ी दौड़-धूप कर ली जहां कहीं किसी ने अपना प्रभाव निर्मित कर लिया वहीं एक विद्यालय को जन्म उसने दे दिया, बिना किसी योजना के इन विद्यालयों का विकास स्थान स्थान पर हुआ है। ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां विद्यालय है तो विद्यार्थी नहीं और विद्यार्थी हैं तो विद्यालय नहीं, एक हेपहेजर्ड तरीके से इन शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण हुआ है। शिक्षा का जो निर्माण

यहां हुआ है सारी परिस्थितियां यहां ऐसी हैं जिनको हमें सुलझाना है। वर्तमान सरकार ने थोड़े दिनों से कार्य संभाला है और इस प्रकार के भीषण रोग को जो, शिक्षा में व्याप्त है, दूर करने के लिये बहुत समय की आवश्यकता है, संशोधन करने की आवश्यकता है और उसको दिशा में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तभी शिक्षा में सुधार हो सकता है।

बजट में तो आंकड़े दिये हुये हैं कि कहां पर कितना धन व्यय होगा, कितनी सुविधायें बढ़ाई गयी हैं। केवल इसमें इन बातों का विवरण दिया गया है। लेकिन वास्तव में शिक्षा में यदि आप चाहते हैं कि जो मौलिक खराबियां हैं, उनको दूर किया जाय तो शिक्षा की नीतियों को बदलना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और धीरे धीरे संशोधन करके सारे शिक्षा जीवन में एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जायगा। यह ठीक है, इतनी गम्भीर बुराइयों को दूर करने के लिये २ महीनों में नीतियों का परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि हमारी संस्कृति गलत डाल दी गयी है, परम्परायें गलत डाल दी गयी हैं तो उस दिशा में सुधार करने के लिये, परिवर्तन करने के लिये समय और पर्याप्त विचार की आवश्यकता है। इसलिये ये सारी चीजें धीरे-धीरे सरकार के निर्णयों के द्वारा समाप्त की जायेंगी।

श्रीमन्, वास्तव में जो हमारा एजूकेशन कमीशन, अखिल भारतीय एजूकेशन कमीशन बनाया गया था उसने भी इस ओर इंगित किया है और देश भर के शिक्षा के जीवन को देखते हुए उसने जो कहा है उसका एक वाक्य, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं पढ़ना चाहता हूं। इसके पृष्ठ ६५ पर लिखा हुआ है—

"Judged from this point of view, it becomes evident that the present system of education, designed to meet the needs of an imperial administration within the limitations set by a feudal and traditional society, will need radical changes if it is to meet the purposes of a modernising democratic and socialistic society-changes in objectives in content, in teaching methods, in programmes, in the size and composition of the student body, in the selection and professional preparation of teachers, and in organisation. In fact what is needed is a revolution in education which in turn will set in motion the much desired social economic and cultural revution."

उन्होंने कहा कि जो हमारी आज की वर्तमान शिक्षा की प्रणाली का तरीका है वह साम्राज्यवादी आधार पर चल रहा है और वह आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थायें हैं, उनके अनुकूल जीवन का निर्माण करने में असमर्थ है। अगर हम इन चीजों का निर्माण करना चाहते हैं शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा शिक्षा के संगठन में, विद्यार्थियों के सेलेक्शन में, टीचर्स की नियुक्ति में और शिक्षा के सारे स्तर को ऊंचा करने के लिये भी प्रयास करना पड़ेगा। जब तक इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो शिक्षा की जो आवश्यकतायें हैं वे पूरी नहीं होंगी।

ये जो हमारे शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, उनकी राय है। इसलिये मैंने जो कुछ कहा है वह सही स्थिति से अलग जाकर नहीं कहा है लेकिन हर शिक्षा विशेषज्ञ की यही राय है और वे अनुभव कर रहे हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता है और क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि परिवर्तन कैसा चाहिये। उसकी दिशा क्या होगी? श्रीमन्, जब तक शिक्षा के क्षेत्र में सुसंस्कृतिक परम्पराओं का निर्माण नहीं होगा और विद्यालयों में जाने वाले विद्यार्थी उन संस्कारों को जो उसके जीवन के अन्दर उदात्त भावनाओं का सृजन करें नहीं सीखेंगे तो शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। अगर हम जीवन के अन्दर उस प्रकार की प्रेरणा देने के लिये वातावरण का निर्माण नहीं करते और वहां पर भ्रष्टाचार, गुटबन्दी और स्वार्थ की भावनाओं का चारों ओर वातावरण दिखाई देता है तो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आना असम्भव है।

[श्री रामप्रकाश]

मैं श्रीमन्, एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां कहा जाता है कि हमारे विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं। हमारे अध्यापक के अन्दर कोई आदर्शवाद नहीं है और इसलिये शिक्षा के अन्दर समस्यायें हैं। परन्तु श्रीमन्, मेरा ऐसा विचार है कि यह सरासर अन्याय है इन विद्यार्थियों के साथ जिनकी धमनियों में वही रक्त बहता है जिस रक्त के आधार पर पाकिस्तान की लड़ाई में जो संघर्ष हुआ २० से २४ वर्ष के नौजवान विश्वविद्यालयों से निकले हुये उन्होंने जो असामान्य कौशल दिखाया, असामान्य बलिदान दिया और पैटन टैंकस से लड़े और जिन्होंने, जिस सेना के माथे पर कलंक का टीका लग चुका था चीनी हमले के समय उस कलंक के टीके को धो दिया अपने बलिदान से। मैं उन बच्चों की याद दिलाना चाहता हूं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कहना अन्याय है कि हमारे विद्यार्थी के अन्दर कोई सामर्थ्य नहीं है। उनके अन्दर विकार प्रवेश कर दिया गया है और यह हमारी व्यवस्था का परिणाम है, वातावरण का परिणाम है। हर चीज को राजनीतिक आधार पर देखने की जो परम्परा का निर्माण कर दिया है उसने हर जगह खराबियां पैदा कर दी हैं। शिक्षा के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां की गईं और इस आधार पर सारे प्रदेश का वातावरण खराब कर दिया गया। तो इसलिये अगर जो चीन के आक्रमण के समय कलंक का टीका लगा था उस टीके को धोने के लिये विद्यार्थी प्राप्त हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, आज संसार के अन्दर जो हमारे देश के माथे पर कलंक का टीका लगा हुआ है कि वहां पर स्टेडर्ड लो जा रहा है, योग्यता का सम्पादन नहीं हो रहा है, इस प्रकार के कलंक के टीके को धोने के लिये आज के यही विद्यार्थी सक्षम हैं, यही अध्यापक सक्षम हैं। लेकिन परिवर्तन उसके लिये करना होगा, एक आदर्शवादी व्यवस्था का निर्माण करना होगा।

आदर्शवादी व्यवस्था का कैसे निर्माण होगा, परिवर्तन कैसे आयेगा? श्रीमन्, उस सम्बन्ध में कुछ बातें मैं यहां पर रखने की कोशिश करूंगा। आज हमारे यहां जो परीक्षा पद्धति है, जिस तरह से डिवीजन देने की चली आ रही है पुरानी परम्परा, उसको परिवर्तन करने का विचार नहीं किया गया। विद्यार्थी समझता है कि केवल परीक्षा में प्रश्न-पत्र का उत्तर देना है और उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जायगा और उसके आधार पर उसे नौकरी मिलेगी। और इसलिये केवल तीन घंटे की परीक्षा जिसमें कुछ सवाल होते हैं वही एक मात्र सारा उसकी योग्यता का माप दंड बना दिया गया। अगर इस भावना का निर्माण करना है कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, केवल कुछ प्रश्नों के उत्तर रट लिये उतना ही पर्याप्त नहीं है, तो इसके साथ-साथ उसका जीवन क्या है, उसका कालेज के अन्दर व्यवहार क्या है, उसकी अपने विषय पर कितनी मास्टरी है इस बात का अगर मूल्यांकन करना हो और उस मूल्यांकन के आधार पर अगर उसे अपने भावी जीवन में आगे बढ़ना है, यह चित्र उसके सामने पेश हो जाय तो उसके सारे जीवन की दिशा में परिवर्तन आयेगा। हमारे शिक्षा आयोग ने इस बात को बार-बार लिखा है कि हमारी परीक्षा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता है। उसमें सुधार करने से नया मोड़ आ सकता है। विद्यार्थियों के सामने लक्ष्य क्या होगा, आदर्श क्या होगा, कैसे वह आगे बढ़ें। आज साधारण विद्यार्थी अपने को लक्ष्य विहीन अनुभव करता है, कोई उसके जीवन में आकांक्षा नहीं है, कहां वह जाना चाहता है, एक स्थान पर जाता है वहां उसे स्थान नहीं मिलता, दूसरे स्थान पर जगह नहीं मिली, तीसरे स्थान पर पहुंच जाता है, और इसलिये उसका जीवन लक्ष्य विहीन हो गया है। कोई मन में महत्वाकांक्षा का निर्माण नहीं होता और वह काम नहीं करता।

दूसरा परिवर्तन जो हमें करना पड़ेगा विद्यार्थी के जीवन में, एक ऐसी आकांक्षा का निर्माण करना है, यही नहीं कि हम केवल कुछ पैसा प्राप्त करने के लिये आर्थिक जीवन को सुखी बनाने के लिये काम करेंगे, बल्कि उसके जीवन के अन्दर एक आध्यात्मिक प्रेरणा होनी चाहिये कि मैं इस देश की सेवा करने के लिये हूं, मैं समाज का गौरव ऊंचा करूंगा, समाज की कठिनाइयों को दूर करने के लिये आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार की भावना आज के विद्यालय निर्माण करने में असमर्थ हो रहे हैं।

आज हमको दिखाई पड़ता है कि हमारी सेवाओं में भ्रष्टाचार है। अगर हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो इसका उपाय केवल यह नहीं है कि बड़ी बड़ी कार्यवाही की जाय, बड़े दंड दिये जायं। स्थायी सुधार इससे नहीं होगा। हमारे विश्वविद्यालय का छात्र जो विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलता है अगर कोई विश्वविद्यालय उनमें स्वस्थ वातावरण भरता है और इस भावना का निर्माण करता है कि जब उनके विद्यार्थी विद्यालयों से निकलें तो उच्च चरित्र निर्माण तथा आदर्श का ध्येय ले कर निकलें। अगर इस तरह का लक्ष्य लेकर विश्वविद्यालय से विद्यार्थी निकलेंगे तो सारे प्रदेश में एक नये जीवन व नयी दिशा का प्रादुर्भाव होगा। मेरा अनुभव है कि छोटे-छोटे बालक व नौजवान देश तथा प्रदेश की दिशा को बदल सकते है और वे सारी पुरानी परम्पराओं को दूर कर सकते हैं। उनमें सामर्थ्य भरी हुई है और वे क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकते हैं लेकिन इस ध्येय की पूर्ति किसी गुटबन्दी अथवा वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिये नहीं हो सकती। अगर इन उदात्त भावनाओं से सारा वातावरण पूर्ण है तो यह श्रेष्ठता लाई जा सकती है। अगर इस तरह का आदर्शमय वातावरण हम शिक्षा के क्षेत्र में लायेंगे तो सारे देश की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

हमारे देश में विद्यालयों से निकलने वाले इंजीनियर्स जो योजनायें बनाते हैं वे करोड़ों रुपये की बनती हैं। अगर कोई इंजीनियर ईमानदारी से, राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण होकर उस योजना को बनाकर खड़ी कर दे तो उससे सारे देश व प्रदेश का हित होता है। इस प्रकार के चित्र का अभाव दिखाई देता है। अगर टेक्निकल एजूकेशन के जो केन्द्र हैं वहां पर विद्यार्थी के अन्दर इस आकांक्षा को भरा जा सके और शिक्षा प्राप्त करते समय वह यह समझ ले कि यह रोग है, उसे उससे संघर्ष करना है और उसके अन्दर साहस हो नये कदम उठाने का, क्षमता हो काम करने और राष्ट्र के प्रहरी के नाते सेवा करने की तो शिक्षा ऐसा बड़ा क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत देश के अन्दर वह एक बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकता है। इस परिवर्तन की दिशा को हमें लाना होगा लेकिन इस परिवर्तन की दिशा को प्राप्त करने के लिये जो सबसे मौलिक आवश्यकता है वह भाषा की है। मुझे आश्चर्य है कि २० साल तक हिन्दी के प्रति अनुराग रखने के बाद भी जन जीवन में अंग्रेजी को हटा कर हिन्दी नहीं ला पाये और शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से हिन्दी को हम स्थापित नहीं कर पाये। जब तक इस देश व प्रदेश के नौजवान गांव में निवास करनेवाली अधिकांश जनता को अपनी भाषा हिन्दी के आधार पर काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है तब तक यह देश अथवा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता, देश में परिवर्तन नहीं आ सकता। अंग्रेजी तो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिये वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है और ये वे लोग हैं जिनके हृदय से भारतीय संस्कृति हट चुकी है और ऐसे लोग प्रदेश के अन्दर शिक्षा में परिवर्तन नहीं ला सकते। परिवर्तन वही लायेगा जो गांव के जीवन में पला है, हिन्दी के वातावरण में पला है, और अगर वह आगे आयेगा तो आपको देश की शिक्षा में मौलिक परिवर्तन दिखाई देगा। इसलिये यह मौलिक जरूरत थी अपने देश के जन जीवन को आगे बढ़ाने के लिये। उसकी उपेक्षा की गयी।

आज हमारे प्रदेश में जो व्यवस्था लागू है उसमें छठी कक्षा से अंग्रेजी हम पढ़ाते हैं और उस से छुटकारा हमको नहीं मिलता है, वह आगे चलती जाती है। वर्तमान सरकार इस विषय में गंभीर परिवर्तन करने का विचार कर रही है और हमने निश्चय किया है कि हाई स्कूल के अन्दर ९वीं और १० वीं कक्षा में हिन्दी और गणित, दो अनिवार्य विषय रहें, बाकी तीन विषय ऐच्छिक कर दिये जायं। जिसको अंग्रेजी पढ़ना हो वह पढ़े, जिसको न पढ़ना हो वह न पढ़े। एक छोटा सा वर्ग जो तमाम शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है हो सकता है उसके लिये पुस्तकालय का उपयोग करने के लिये अंग्रेजी की भी थोड़ी बहुत शिक्षा की आवश्यकता हो, वह अंग्रेजी विषय ले ले। आज जो सब को अंग्रेजी पढ़ाने से ही स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है उसको हम ऊपर उठायेंगे। वह अंग्रेजी में भी योग्यता प्राप्त करेगा लेकिन साधारण बालक के लिये अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार हाई स्कूल और इंटरमीडियट में जो चार विषय हैं उसमें एक भाषा हो और

[श्री राम प्रकाश]

विषय ऐच्छिक रख दिये जायें। हाई स्कूल और इंटरमीडियेट में अंगरेजी को अनिवार्य विषय से हटा दिया जायगा। कक्षा ६,७ ८ में अखिल भारतीय नीति के अनुसार त्रिभाषा फार्मूला लागू है और यहां पर जब बालकों को हम अंगरेजी, हिन्दी और एक भाषा और पढ़ाते हैं उस विषय में भी वर्तमान सरकार विचार कर रही है। परन्तु चूंकि अखिल भारतीय नीति के आधार पर सारे देश का संचालन होना चाहिये इसलिये उनसे विचार विनिमय करने के बाद कोई रास्ता निकाला जायगा। अभी दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। उस में मैंने यह देखा कि मद्रास और बंगाल को छोड़कर बाकी सब प्रदेश हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। केवल मद्रास और बंगाल के हिन्दी का विरोध करने के कारण आज सारे देश पर अंगरेजी थोपी गई है। अगर किसी प्रकार यह हो सका कि जो अखिल भारतीय परीक्षायें हैं उनमें से अंग्रेजी का स्थान हटा दिया जाय तो सारे देश के अन्दर हिन्दी को बोलने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। यह तो केन्द्रीय सरकार के निर्णय पर है। मैंने केवल इसलिये चर्चा की कि किन मजबूरियों से हम कक्षा ६,७ और ८ में अंग्रेजी को विद्यमान किये हुये हैं।

अब मैं शिक्षा के जो तीन-चार पहलू हैं उन पर संक्षेप में बातें करूंगा। पहला है प्राथमिक शिक्षा। सारे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हुआ है मैं इसको मानता हूं और विस्तार यहां तक किया कि इस समय प्राथमिक विद्यालयों में सौ प्रतिशत बालक और साठ प्रतिशत बालिकाओं ने प्रवेश प्राप्त किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, योजना का अभाव होने पर क्या होता है। जो एक बार विचार आ गया वही होता गया। विस्तार की बात सामने आ गयी, विस्तार करते चले गये। लेकिन शिक्षा का स्तर क्या होगा, अध्यापकों की आवश्यकता क्या होगी और अध्यापकों का व्यवहार क्या होगा, इस बारे में हम कोई अच्छी प्रगति नहीं कर सके। जहां कम से कम एक अध्यापक ४० विद्यार्थियों के लिये होना चाहिये वहां इस स्तर के बाद ५५ विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है। सोचना चाहिये कि इस शिक्षा का क्या होगा। ५५ लड़कों के ऊपर एक अध्यापक रहेगा जो उनको शिक्षा देगा तो शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। वास्तव में ४० भी अधिक हैं, इससे कम होने चाहिये। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ है कि अध्यापकों का अनुपात कम होता चल गया है। अब यह देखने की आवश्यकता हो गई है कि कैसे इसको संभाला जाय। इस वर्ष आर्थिक कठिनाई होने के बावजूद ६ हजार नये अध्यापक रखने का निश्चय किया गया है और उनके कारण थोड़ी बहुत स्थिति सुधरेगी। विस्तार को इस समय रोका जा रहा है। यह जरूरी है कि विस्तार उसी मात्रा में होना चाहिये जिस मात्रा में शिक्षा का स्तर गिरने न पाये। शिक्षा के स्तर को हमें उठाना होगा। अगर उपलब्धियां नहीं हैं, साधन नहीं हैं तो हम धीरे-धीरे विस्तार करेंगे लेकिन साधारण बालक जो पढ़ने आता है उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके जीवन में विकास के लिये समुचित शिक्षा न दे सकें ऐसी व्यवस्था करना ठीक नहीं होगा।

इसलिये प्राइमरी एजूकेशन में हमें विचार करना होगा। लेकिन इससे अधिक समस्या यह है कि आजकल प्राइमरी शिक्षा जिला परिषदों के हाथ में है। इन जिला परिषदों और गवर्नमेंट का इस पर इफेक्टिव कंट्रोल है। इसलिये खींचतानी रहती है और किसी तरह की व्यवस्था नहीं होती है। जिला परिषदों का जो आचरण रहा है उसके संबंध में मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह शिक्षा के हित में नहीं है। हो सकता है कि स्वायत्त शासन के हित में, राज्य के विकेन्द्रीयकरण के लिये और जनता को स्वायत्त शासन की सुविधा देने के लिये यह कहा जाय कि जिला परिषदों को शिक्षा का नियंत्रण देना चाहिये। लेकिन जहां तक शिक्षा का उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त करने में जिला परिषदों का व्यवहार बाधक हो रहा है। आजकल देखने में आता है कि अध्यापकों का स्थानान्तरण राजनीतिक करणों से किया जाता है। एक अध्यापक को २०/४० मील दूर भेज दिया जाता है। आजकल शिक्षा का महत्व नहीं है बल्कि चाटुकारिता का सवाल है। इसलिये इसमें उन्नति करने में विषम समस्या हो गई है।

श्री नेकराम शर्मा—

यह बताइये कि आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---

अभी मंत्री जी कई मिनट और बोल रहे हैं, जरा सुनिये।

श्री रामप्रकाश---

इस समय ६० हजार प्राइमरी विद्यालय हैं और करीब ९४ लाख बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इतनी बड़ी संख्या बालकों की, जिला परिषदों क हाथ में हो और यहां की स्थिति क्या है ? उसका यदि मैं वर्णन करूंगा तो आपको आश्चर्य होगा और भौचक्के रह जायेंगे यह सुनकर कि जिला परिषदों में क्या होता है ?

पंच वर्षीय योजना में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये, जो शिक्षा के लिये पहली आवश्यकता है इसके लिये ५ करोड़ रुपया दिया गया ५० हजार भवन निर्माण करने के लिये और अभी तक रिपोर्ट है कि केवल ९ हजार भवन पूरे हो सके हैं। सारा रुपया न जाने किस किस के पास पड़ा हुआ है। उसका उपयोग नहीं हुआ है और ३ करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है। जब बजट में भवन निर्माण के लिये रुपया रखने का सवाल आया तो सोचा गया कि इतना रुपया पड़ा हुआ है, उसका उपयोग किया जाय।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)---

बच्चों की भावना पर क्या असर पड़ा ?

श्री रामप्रकाश---

इस बजट में कुछ रुपया रखने के बजाय वह निश्चय किया गया है कि ३ करोड़ रुपया जो पड़ा हुआ है उसको वसूल किया जायेगा और जितने ऐसे भवन हैं जो पूरे नहीं हुये हैं, उनको पूरा किया जायेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

किस एजेंसी के द्वारा करेंगे ?

श्री रामप्रकाश---

यह विचार करने के बाद होगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं चाहूंगा कि आपस में बातचीत न हो। कोई माननीय सदस्य अगर प्रश्न करें और माननीय मंत्री रुक जायं और उत्तर देना चाहें तो ठीक है। वैसे चारों तरफ से बौछार ठीक नहीं है।

श्री केशवदेव---

क्या इस नीति पर विचार कर रहे हैं कि जिला परिषदों से स्कूल ले लिये जायेंगे और मास्टरों का यहां से तबादला हुआ करेगा ?

श्री राम प्रकाश---

मैंने केवल अभी यह बताया कि क्या स्थिति है। इसका उपाय क्या है बाद में बताऊंगा।

श्रीमन्, दूसरे ट्रेनिंग के बारे में, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था के संबंध में जब मैंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय जिनमें बालक पहली बार प्रवेश करता है, कोई भी शिक्षा का प्रेमी चाहेगा कि हम वहां अच्छे से अच्छा अध्यापक दे सकें। लेकिन श्रीमन्, ट्रेनिंग के लिये ऐसे लोगों के नामिनेशन किये गये जिनकी योग्यता श्रेष्ठ नहीं थी, जो सिफारिश के आधार पर या किसी आधार पर वहां भेज दिये गये। ट्रेंड होने के कारण अनिवार्य

[श्री रामप्रकाश]

हो गया कि उनको स्थान दिया जाय। मेरे सामने एक प्रश्न उठ गया है। इस साल जो सेलेक्शन हो रहा है जिलों में सरकार ने आदेश भेज दिये हैं कि सारा सेलेक्शन योग्यता के आधार पर होगा, उनके मार्क्स के आधार पर होगा। सारे प्रदेश में शान्ति छायी हुई है कि योग्यता से व्यक्ति रखे जायेंगे, सिफारिश नहीं करानी है। अपने आप जो योग्यतम है वह सामने आ जायगा। ये व्यक्ति जब विद्यालयों में जायेंगे तो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ जायगा। लेकिन पिछले वर्षों में शायद नियम ऐसा था एक विद्यालय से पांच नामिनेशन किये जायेंगे। उसके हिसाब से एक हजार नामिनेशन होने चाहिये। पता नहीं कैसे चार हजार नामिनेशंस किये गये और वह भी अयोग्य लोगों के। यह सारी परम्परा होने के कारण आज हमारे सामने एक समस्या है। यद्यपि हमने तय कि कर लिया है कि अगले वर्ष से नामिनेशंस नहीं करेंगे। (व्यवधान) जो आपने किया है उसको भुगत रहे हैं। पुरानी परम्परा होने के कारण मेरे पास प्रार्थना-पत्र आ चुके हैं उसमें बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने जिलों में अप्लाई नहीं किया होगा, वह अपने अधिकार से वंचित रह जायेंगे यह व्यवस्था न होनी चाहिये, यह मेरे पास समस्या है। फिर भी विचार चल रहा है कि किस आधार पर यह किया जाय। शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, जिला परिषदों में राजनीति के कारण जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, अभी हम निर्णय पर नहीं पहुचे हैं लेकिन इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जितने विद्यालयों के हेडमास्टर हैं उन सबकी सेवायें प्राविंशलाइज कर दी जायं। यह एक मात्र तरीका हो सकता है कि जिला परिषद् में जो कमियां हैं उनसे शिक्षा मंदिरों को दूर रखने का। यद्यपि स्कूल जिला परिषद् के होंगे लेकिन उनके अन्दर जो विकार पैदा करना चाहते हैं वह न पैदा कर पायें।

प्राथमिक विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनकी उपलब्धियों, वेतन और भत्ता की ओर भी सरकार का ध्यान है।

श्री अध्यक्ष—

अभी थोड़े से मिनट लेंगे? बीस मिनट हो चुके। वैसे जितना आप चाहें।

श्री रामप्रकाश—

दस पन्द्रह मिनट तो ले लूंगा। जहां तक हमारे प्राथमिक विद्यालयों और हायर सेकेन्डरी स्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रश्न है, उनकी उपलब्धियां आज के सामाजिक जीवन को देखते हुये कम हैं, इस बात का सरकार अनुभव करती है, लेकिन जो हमारी इच्छा है कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को १५० रुपया मासिक वेतन हम दे सकें, उस इच्छा की पूर्ति के लिये बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है और शिक्षा मंत्री सम्मेलन में इस विषय पर जब विचार हुआ तो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि १०० में से ८० प्रतिशत खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करेगी और इस विषय में हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे। मैं चाहता हूं कि जल्दी ही यह केन्द्रीय सरकार का निर्णय हो जाये जिस आधार पर हम भी अपना निर्णय ले सकें। लेकिन अभी केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय इस बारे में नहीं किया है, लेकिन मुझे आशा है कि वह शीघ्र ही निर्णय करेगी और तदनुसार यहां की सरकार भी उस दिशा में कदम उठायेगी। जो वहां पार्लियामेन्टरी कमेटी बनी है उसमें भी यह विचार पुनः दोहराया गया है जिससे हमें काफी आशा है।

हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों के लिये सैद्धान्तिक रूप में हमने यह स्वीकार किया है कि उनके वेतन मान और सुविधायें बढ़ाई जायं और जैसा लगान माफी आदि अन्य विषयों में सरकार विचार कर रही है और शीघ्र निर्णय लेने वाली है, उसी प्रकार से हमारे अध्यापक बन्धुओं को क्या क्या सुविधायें दी जायें, इस पर हम निर्णय लेंगे। जो माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें अभी एक प्रश्न उठा था कि जो अंग्रेजी में विद्यार्थी फेल हो गये थे उनको पास कर दिया जाय। एक ऐसी मांग इस प्रदेश में उठी थी, लेकिन मैंने इस पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की तो मुझे दिखाई पड़ा

कि एक तो इंटरमीडएट में पौने दो लाख विद्यार्थियों में केवल १८ हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हुये हैं और साढ़े चार लाख हाई स्कूल में बैठने वाले छात्रों में से २९ हजार केवल ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुये हैं। इसलिये कोई ऐसी बड़ी ये संख्या नहीं थी और दूसरे शायद शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक समझा गया और इसीलिये सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया। जो सुविधायें इस वर्ष बजट में...

श्री केशवदेव--

(माइक के खराब हो जाने पर) आपके बोलने से बिजली चली गई और माईक फेल हो गया, यह असगुन है, सगुन नहीं है, आपकी योजना सफल नहीं होगी।

श्री रामप्रकाश--

जो विशेष सुविधायें दी गई हैं, उनका विवरण मैं संक्षेप में रख रहा हूं। इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को इंसेंटिव देने के लिये कि वे अपनी योग्यता को बढ़ावें, ५० हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है।

कई सदस्य--

यह तो बहुत बड़ी धनराशि है (व्यंग्य से)

श्री अध्यक्ष--

यदि सारे सदस्य एक साथ बोलेंगे तो मंत्रीजी जवाब नहीं दे पायेंगे। अभी इस पर दो दिन विवाद चलेगा और उस पर मंत्री जी आखिर में जवाब देंगे।

श्री राम प्रकाश--

इस साल १४९ जूनियर बेसिक स्कूल्स बालिकाओं के लिये प्रारम्भ किये जायेंगे और १२० सीनियर बेसिक स्कूल्स में जनरल साइन्स प्रारम्भ किया जायगा।

श्री केशवदेव--

प्रारंम्भिक स्कूल्स कितने हैं जरा बता दें...

श्री अध्यक्ष--

आप जरा सुनें। (व्यवधान) माननीय शिक्षा मंत्री खड़े हुये हैं।

एक सदस्य--

कितनी संस्थायें हैं जिन पर यह ५० हजार रुपया खर्च होगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह चाहूंगा कि आप पहले माननीय मंत्री जी को सुन लें। आपको बाद में समय मिलेगा उस समय आप प्रश्न करें।

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, साइन्स एजूकेशन में प्रयोगशालाओं के लिये जो अनुदान दिये जायेंगे उसके लिये इस वर्ष ८ लाख १२ हजार रुपये रखे गये हैं। इनमें से ४० हजार रुपया लेबोरेटरीज के लिये, १० हजार रुपया इंक्विपमेंट के लिये इंटरमीडियेट कालेजेज में और हाई स्कूलों में लेबोरेटरी के लिये ३० हजार रुपया और ६ हजार रुपया इक्विपमेंट के लिये रहेगा। इस तरह से ७३ विद्यालयों में ३८ इंटरमीडिएट के, और ३५ हाई स्कूल्स के ४ लाख २१ हजार रुपया है। इसी तरह से ५० स्कूल्स जिनमें ४० बालकों के और १० बालिकाओं के होंगे जो एडीशनल साइन्स लेबोरेटरीज बनायेंगे उनके लिये दिया जायगा। उनके लिये २० लाख रुपये का प्राविजन किया गया है साइन्स प्रयोगशालाओं को बढ़ाने के लिये और पुस्तकालयों के विकास के लिये। ५५ सरकारी और

[श्री राम प्रकाश]

७५ सहायता प्राप्त विद्यालयों में २ लाख ३० हजार रुपया रखा गया है। इसके साथ जो विज्ञान के अध्यापक हैं उनको प्रेरणा देने के लिये वे अपनी योग्यता को बढ़ावें, ४० हजार रुपया रखा गया है। मेरी टोरियस विद्यार्थियों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ५ लाख रुपया छात्रवृत्ति के लिये रखा गया है। इसके साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिये पहले सरकार का विचार था कि कुमायूं विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय परन्तु किन्हीं कारणों से वह स्थापित नहीं हो सका लेकिन पुरानी सरकार ने जो आश्वासन दिया था, उसकी पूर्ति के लिये सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि कुमायूं विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाय।

इसके अतिरिक्त जो डिग्री कालेजेज प्रदेश में सबसे अच्छे गिने जायेंगे ऐसे १० विद्यालयों को ७५ हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जायगा। इसके अतिरिक्त निर्धन छात्रों को पुस्तकें प्राप्त करने के लिये सहकारिता के आधार पर पुस्तकालयों के निर्माण की जो योजना थी उसमें गोरखपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में यह योजना चल रही थी, इस वर्ष इस योजना का लखनऊ में प्रारम्भ किया जायगा और लखनऊ के लिये ५० हजार और गोरखपुर और इलाहाबाद में प्रत्येक के लिये २५-२५ हजार रखा गया है और इसमें १ रुपया देने पर पुस्तकें विद्यार्थियों को साल भर के लिये मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त २० लाख रुपये का और अनुदान विश्वविद्यालयों के लिये रखा गया है। प्रयाग विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स ३ वर्ष का प्रारम्भ किया जा रहा है। वहां के विद्यार्थियों को अभी तक जो शिक्षा प्राप्त करते थे उनको डिग्री प्राप्त करने के बाद देश में कहीं पर भी रिकग्नीशन नहीं था। उनके सामने समस्या थी कि वह किस तरह से अपने भविष्य को बनायें। तो सारा विचार करने के बाद इस वर्ष से यह व्यवस्था संभव हो सकी है। इस तरह से मैंने संक्षेप में कुछ बातों को रखने का प्रयास किया है कि अपने यहां इन सुविधाओं को सरकार ने देने का निश्चय किया है और इस निश्चय के साथ जो सब से महत्वपूर्ण बात मैं आगे कहना चाहता हूं वह यह कि जितनी बातों की ओर मैंने संकेत किया है उन सारी बातों को शिक्षा क्षेत्र में लाने के लिये, शिक्षा क्षेत्र को वे दिशायें देने के लिये, सारे परिवर्तन करने के लिये मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि मन्त्रालय या निदेशालय द्वारा हमारी शिक्षा का जितना विस्तार हुआ है उसका निर्देश और ठीक प्रकार से उसका निरीक्षण प्रदेश स्तर पर नहीं हो पाता। इसलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सारी समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर होना चाहिये।

आज हमारे पास हजारों की संख्या में लोग शिकायत भेजते हैं। प्रतिदिन उनका निपटारा नहीं हो पाता। सारे प्रदेश के कोने-कोने से अध्यापक और प्रबन्धक समितियों के लोग लखनऊ दौड़ते आते हैं। ऐसी सारी समस्यायें जिला स्तर पर तय हो सकें यह तय किया गया है कि हर जिले में एक शिक्षा समिति बनाई जाय जिस शिक्षा समिति में अधिकारियों के अतिरिक्त शिक्षा के विशेषज्ञ रहेंगे। अध्यापकों के प्रतिनिधि रहेंगे और प्रबन्धक समिति के प्रतिनिधि रहेंगे। यह शिक्षा समिति सारे विद्यालयों का चाहे वे प्राथमिक हों या उच्च माध्यमिक हों, सब विद्यालयों का वह निरीक्षण करेगी। उनको जो अनुदान दिया जाता है उसका ठीक प्रकार से प्रयोग होता है या नहीं होता है, वहां क्या गलती है इन सब बातों का वह निरीक्षण करेगी। जो भी शिकायत वहां पैदा होगी उसकी जांच करने की व्यवस्था करेगी। प्रादेशिक स्तर पर भी एक समिति का निर्माण किया जायगा जिस समिति के अन्दर अध्यापकों के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि और प्रबन्धक समिति के प्रतिनिधि रहेंगे। यह समिति शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा देने के लिये, नये लक्ष्य की प्राप्ति के लिये समय-समय पर विचार करते हुये अपना निर्णय करेगी। उसके आधार पर सारी शिक्षा का संचालन होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने उत्तराखंड के बारे में कोई भी प्रकाश नहीं डाला। मैंने सुना है कि वहां का अनुदान बहुत कम हो गया है यह कहां तक सत्य है?

श्री अध्यक्ष—

उनको दूसरी बार अवसर होगा। यह बात उन तक पहुंचा दें तब वह इसका उत्तर दे देंगे।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय क्लैरिफिकेशन के लिये कोई अवसर नहीं है। माननीय शिक्षा मन्त्री एक बार फिर बोलेंगे। जो प्रश्न आपके मन में हो अगर दूसरे लोग उसको कह दें, तो उसका जवाब आ जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—

एक बात मैं सुन नहीं पाया। मन्त्री जी ने प्रिन्सिपल की या हेड मास्टर की पोस्ट को प्राविन्शलाइज़ करने के लिये कहा। तो ये पोस्ट हाई स्कूल की या इन्टरमीडियेट कालेज की है जिसको प्राविन्शलाइज किया जायगा ? इसको जरा क्लीयर कर दें।

श्री राम प्रकाश—

उस समय मैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में बोल रहा था। प्राथमिक शिक्षा में जो जिला परिषद् की गड़बड़ियां हैं उनसे उसे मुक्त करने का विचार है। वह प्राविंशियलाइजेशन की बात मैंने प्राथमिक विद्यालयों के हेड मास्टर्स के लिये कही थी।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

श्रीमन्, आपको इस बात के लिये बार-बार टोकते हुए जरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं देखता हूं कि जो लोग विरोधी पक्ष में हैं वे काफी अनुभवी हैं, उनको प्रशासन का अनुभव है लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया है कि वे इतना उछलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद जिन माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी हो वे कह लें, लेकिन इस तरह से अव्यवस्था डालने, बाधा उत्पन्न करने की बात कहां तक उचित है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह बिलकुल गलत है कि सब लोग खड़े हो जायं। जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब मैं दूंगा। मलखानसिंह जी, आप को इधर बैठने का काफी तजुर्बा है। मैंने इस विषय पर अपनी व्यवस्था दे दी है। उसे बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक †रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करना तथा राजकाज के सभी अंगों में राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रयोग करना तथा दूसरी समकक्ष भाषाओं का भी विकास करना। (२) हाई स्कूल तक लड़कों तथा इंटर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना। (३) राजकीय तथा निजी विद्यालयों के अध्यापकों को समान कार्य के लिये समान वेतन-क्रम के सिद्धान्त को स्वीकार करके वेतन-क्रम समान करना और प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन-क्रम १५० रुपये प्रति मास करना। (४) अनुसूचित तथा पिछड़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†अन्य कटौती के प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३९-२४१ पर।

[श्री रामावध राय]

जातियों की शिक्षा को मुफ्त देना तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके हितों की रक्षा करना । (५) विश्वविद्यालय के प्रटानामो में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना ।

(इस समय १ बजकर २९ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, आप स्वयं इस प्रदेश के इने गिने शिक्षा शास्त्रियों में हैं । आज जो दायित्व मेरे कंधों पर है उसका अनुभव आप स्वयं करते होंगे । माननीय शिक्षा मंत्री जी आज जिस परम्परा में आते हैं, उसकी ओर जब मैं दृष्टिपात करता हूं और जिस बजट को उन्हों ने प्रस्तुत किया है उसकी ओर देखता हूं तो मुझे एक ही बात याद आ जाती है । जिस प्रदेश में बुद्ध, तुलसी और कबीर जैसे विद्वान हुये, जिसमें डाक्ट सम्पूर्णानन्द जैसे शिक्षा मंत्री रहे, उस प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुन कर ऐसा लगता था मानो काशी के किसी घाट पर कोई पंडित कथा बांच रहा हो, जिसे चिन्ता न हो कि यजमान मंत्री के अर्थ समझते हैं अथवा नहीं, किन्तु उस की दृष्टि केवल दक्षिणा के पैसों पर हो । श्रीमन्, मुझे महान् आश्चर्य हुआ उस समय जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि पिछले ३० वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हमारी अधोगति हुई है और उसके सुधार के लिये जो उन्होंने दिशायें संकेत कीं उसमें सबसे पहली बात उन्होंने कही कि "हम शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि विद्यालयों में आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचलन करें" । एक ऐसा देश जिसका सेकुलिज्म में विश्वास हो, जिस देश के लोगों के जीवन का नया मूल्य जनतंत्र और समाजवाद हो, जिस देश में हिन्दुओं के अतिरिक्त और भी जातियां रहती हों उस देश और प्रदेश का शिक्षा मंत्री एक ऐसा भाषण करे जिसके तहत में उन माइनारिटीज को जो उनके माने हुए धर्म में विश्वास नहीं करती हैं कुछ इस तरह की बू आये कि जो उनके धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध प्रचलन करने वाला हो, इससे बढ़ कर दुख का विषय नहीं हो सकता है ।

प्रदेश के दुर्भाग्य की बात है कि आज हमने इनके जैसा शिक्षा मंत्री प्राप्त किया है । इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया उसके आंकड़ों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपका कहना है कि कुछ सूखा की स्थिति है, कुछ हम अन्न उत्पादन करना चाहते हैं इसलिये शिक्षा के बजट में हम बढ़ोत्तरी नहीं कर सके । बढ़ोत्तरी की बात तो जाने दीजिये, योजनाओं में अपने कटौती की है जो चलने वाली योजनायें थीं जिसको सुनकर आश्चर्य होगा । एक तरफ छात्रों की बहादुरी की बड़ी चर्चा कर रहे थे । शिक्षा का स्तर गिर गया, अज्ञान का अन्धकार भर गया, राम प्रकाश के प्रकाश से पिछले २० साल प्रकाशित नहीं हो सके । पाकिस्तान की लड़ाई की चर्चा करते हैं और बड़े गर्व के साथ सीना तान कर कहते हैं कि बड़ा बहादुरी का काम किया हमारे नौजवानों ने लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति का प्रचलन करना चाहते हैं वह कीलर को जन्म दे सकती है ? उस प्रकार की शिक्षा पद्धति अब्दुल हमीद जैसे बहादुरों को जन्म दे सकती है ? पाकिस्तान की लड़ाई में जो शहादत के गीत गाते हैं उन शहीदों के रक्त से वह गंगा प्रवाहित हुई जिसे हम सेकुलरिज्म की गंगा, एक धर्म निरपेक्ष राज्य की गंगा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । आप कीलर और हमीद को एक तरफ पैदा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा की बात करते हैं । माननीय, कौन नहीं जानता है कि हिन्दुस्तान एक धार्मिक और आध्यात्मिक देश रहा है, लेकिन साथ ही साथ आज दुनिया के किस विचारक को यह नहीं मालूम है कि ज्ञान की गंगा जब वास्तविकता के मरुस्थल में पहुंचती है तो सूख जाया करती है । सत्यनारायण बाबा की कथा सुनते वक्त हर आदमी को सच बोलने की इच्छा होती है, लेकिन जब वास्तविकता की दुनिया में पहुंचता है तो वह ज्ञान की गंगा उसके वास्तविकता के मरुस्थल में सूख जाया करती है । इसीलिये हमारे नियोजकों ने पिछले २० साल में केवल गेहूं पैदा करने का फैसला नहीं किया, गेहूं के साथ वह गुलाब भी पैदा करना चाहते थे, परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि आपको ये आंखें गेहूं और गुलाब की समन्वयता हमारी योजनाओं में देख नहीं पाती है और आप केवल उन गुलाबों

की चर्चा करते हैं जो आप जैसे रईसों के उद्यान की शोभा बढ़ाते हैं। आपने छात्रों के स्कालरशिप्स में कटौती की है। पिछले साल कन्या शिक्षा को बढ़ाने के लिये कुछ अध्यापिकाओं के क्वार्टर का प्रावीजन हुआ था। आपने श्रीमन्, और कटौती कहां की है? कटौती है जिला स्तर पर पुस्तकालयों में। केवल अलमोड़ा और बहेड़ी का पुस्तकालय बच गया है जिनके अनुदानों में कटौती नहीं की गयी है, बाकी सब के अनुदान काट दिये गये हैं।

श्रीमन्, यह पुस्तिका जो बंटी है इसमें १०० फीसदी प्राइमरी शिक्षा की जो बात कही गयी है उसके लिये अगर किसी को बधाई दी जा सकती है तो वह हमारे पिछले शिक्षा मंत्री को दी जा सकती है। पहली बार, सन १९५७ में जब मैं विधायक चुन कर आया था उस समय माननीय कमलापति जी इस सदन में शिक्षा मंत्री का दायित्व सम्भाले हुये थे, और उस समय जब हमने यह देखा था कि हमारे यहां लिट्रेसी केवल १७ परसेंट है तो हमारा माथा लज्जा से झुक गया था। आज इस १०० फीसदी या माननीय मंत्री जी के शब्दों में ८५ फीसदी तक जो शिक्षा बढ़ी है, वह मान्यवर, किसकी बदौलत बढ़ी? माननीय मंत्री जी इस पर कहते हैं कि शिक्षा जगत की ओर जब मैं देखता हूं तो घोर निराशा पैदा होती है। जिसकी जैसी मनःस्थिति होती है उसको वैसा ही दिखायी पड़ता है। हमारे प्रदेश में शिक्षा जगत में जो महान क्रान्ति हुई उसमें उनको निराशा ही दिखाई पड़ी, यह हमारा दुर्भाग्य है।

अब मैं मान्यवर बजट के कुछ आंकड़ों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सन् १९६६-६७ में छात्रवृत्ति के लिये ६० लाख ९८ हजार कुछ रुपया रखा गया था। इस वर्ष माननीय मंत्री जी ने ५५ लाख ४५ हजार कुछ कर दिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद् में राष्ट्रीय सेना छात्र दल के लिये पिछले वर्ष जहां ९६ लाख ४० हजार कुछ रुपये थे वह इस वर्ष ८७ लाख १३ हजार ६०० रुपये ही रखे गये हैं। यह श्रीमन्, लड़ाई की तैयारी हो रही है। इलाहाबाद में एक सेन्ट्रल लाइब्रेरी है उस तक के अनुदान को कम कर दिया है। माननीय मंत्री जी शिक्षा जगत में इन्कलाब करना चाहते हैं और इसलिये उन्होंने पिछले साल से ५ करोड़ रुपया ज्यादा रखा है। इसका रहस्य क्या है? पहली सरकार ने शिक्षकों के वेतन आदि के मामलों में कुछ फैसला किया था। उन फैसलों के चलते वेतन पर कुछ खर्च बढ़ा। चार करोड़ रुपया मान्यवर, पिछले साल प्लान आइटम पर खर्च होना था। इस साल आप कितना खर्च करने वाले हैं, पांच करोड़ रुपया महज। ७५ लाख का शिक्षा और टैक्नीकल एजूकेशन का टोटल प्लान है पांच वर्ष का। आप स्वयं विद्वान हैं, विचार कीजिये। ७५ करोड़ रुपया लगभग खर्च करना है पांच साल में। पिछले साल चार करोड़ ११ लाख रुपया खर्च किया, इस साल रक्खा है पांच करोड़ रुपया। जाहिर है इनको कम से कम इस साल दस करोड़ रुपया प्लान आइटम पर खर्च करना चाहिये था। महज एक करोड़ इन्होंने बढ़ाया। उससे हमको तो सन्तोष होता है। जो ७५ करोड़ रुपया हमने अपने पांच वर्षों के लिये निश्चित कर रक्खा है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार ने मान्यता भी दे रक्खी है उस ७५ करोड़ रुपये को पांच वर्ष के भीतर ये शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर पायेंगे? नहीं खर्च कर सकेंगे। यही गति अगर आपकी रही तो मुझे शुबहा है कि आपने बजट के आंकड़ों को देखा भी है या नहीं।

मैं, मान्यवर, १९ सूत्री कार्यक्रम की क्या चर्चा करूं। कौन नहीं जानता कि यह ऐलान किया गया था कि दसवें दर्जे तक हम छात्रों की शिक्षा मुफ्त करेंगे। हमारी पिछली सरकार ने कन्याओं की शिक्षा को दसवें दर्जे तक माफ कर रक्खा था। लड़कों की फीस छठवें तक माफ थी। आपने तीरन्दाजी करने की सोची। आपने कहा कि दसवें तक माफ कर देंगे। इस बजट साहित्य में है कहीं प्राविधान कि फीस माफ की जावेगी? मैं जानना चाहता हूं कि जिस कोठारी कमीशन की आप चर्चा करते हैं उस कोठारी कमीशन ने भी १५० रुपये प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिये कहा है कि कम से कम वेतन मिलना चाहिये। आपके १९ सूत्री कार्यक्रम में भी है। ८० फीसदी केन्द्रीय सरकार देने के लिये जब तैयार है आप कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार जब योजना को फाइनलाईज कर देगी, आपने क्यों उपक्रम किया

[श्री र घ ण राय]

इस काम को करने के लिये । मैं जानना चाहता हूं कि जब आप जवाब देने के लिये खड़े हों तो यह सदन आपसे जानना चाहेगा कि पिछले दो महीनों के भीतर १५० रु० प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को देने के लिये आपने क्या क्या प्रयास किये हैं। बड़ी डींग मारी गई थी कि समान काम करने वालों को समान वेतन दिया जायेगा। कहां है समान वेतन का वह बजट। बड़ी मजबूरियों की चर्चा की जाती है, धनाभाव की चर्चा की जाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस समय यह ऐलान किया गया था उस समय भी इस प्रदेश में सूखा पड़ा था। और बात तो जाने दीजिये। कोई कहेगा कि सरकार के आने के पहिले के वे वायदे हैं। उन वायदों पर मैं क्या चर्चा करूं। मैं माननीय की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री होने के बाद इन्होंने इस बात को कहा कि एक महीने के भीतर इसमें फैसला होकर रहेगा। मैं तो सारी बात आपकी सेवा में उद्धृत करना चाहता हूं। हमें समाचार पत्रों द्वारा ही जानकारी होती है। नेशनल हैराल्ड के एक प्रतिनिधि ने स्पेशल इन्टरव्यू लिया था। स्वतंत्र भारत के सम्वाददाता ने वह पूछी थी। इन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि हम एक महीने के भीतर अध्यापकों के वेतन की जो विषमता और असमानता है उसको दूर करेंगे। और आज इस बात को ये कहते हैं कि क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है इसलिये हम अध्यापकों का वेतन नहीं बढ़ाना चाहते। मैं अपने शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि ये विद्यालय की प्राचीर हैं, उसकी दीवारें हैं, और उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उसका पठन पाठन, उसके जीवन का प्राण हुआ करता है। ऐसे विद्यालयों के प्राण आदि आप लेकर मारना चाहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का और कुछ भी नहीं हो सकता।

इन्होंने परीक्षा पद्धति के बारे में बड़ा एलान किया, ये कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने वाले हैं। हमें परेशानी है, मैंने तो बहुत पढ़ा लेकिन दो महीने के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी प्राबलम्स हैं, उनके सम्बन्ध में इनकी क्या साफ नीति है, मुझे लाइब्रेरी में भी अखबारों की कोई कटिंग पढ़ने को नहीं मिली। शिक्षा के सम्बन्ध में जो कटिंग रखी गयी है उनको मैंने बहुत पढ़ा है। माननीय मंत्री कभी तो कहते हैं कि द्विभाषी फार्मूला चालू करेंगे क्योंकि साउथ के बहुत से स्टेट्स हिन्दी को कम्पलसरी तौर पर पढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं और जब माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम त्रिभाषा फार्मूला को मानते हैं तो फिर माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम त्रिभाषा फार्मूला को चालू करेंगे।

श्रीमन्, आपने स्वयं पढ़ा होगा, इन्होंने कहा कि हम माध्यमिक परिषद को तोड़ना चाहते हैं और प्रदेश के चुने हुये १०० विद्यालयों को वह काम देना चाहते हैं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है उसका ब्योरा जरा पढ़ लिया जाय। अगर चाहेंगे तो इस सेवक की सेवा भी आपकी सेवा में उपलब्ध होगी। एक बार नहीं, कई बार आज भी इन प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत है। एक राधाकृष्ण अग्रवाल कमेटी बनी थी जिसमें माननीय श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी शामिल थे और संविद के एक सोशलिस्ट नेता माननीय देवी प्रसाद मिश्र भी उसमें शामिल थे। ये सब बड़े विद्वान हैं और उन्होंने हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट बोर्ड की परीक्षा पद्धति की उस रिपोर्ट में भूरि भूरि प्रशंसा की है और उन्होंने कुछ जरूरी सुझाव भी दिये हैं। अग्रवाल साहब का तो कहना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् को एक्जामिनेशन के लिये एक, पाठ्य पुस्तकों के लिये एक, और शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने के काम के लिये एक, इस तरह से दो तीन रीजन में बांट देना चाहिये जिससे कि काम में आसानी हो जाय।

कोठारी कमीशन ने तो हिन्दुस्तान के उन सभी राज्यों से जहां प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स चालू है कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दो वर्ष का इंटरमीडियेट कोर्स चालू है उसी तरह से सन १९६८ तक अपने यहां भी चालू कर दें लेकिन मालूम होता है किसी भ्रमवश माननीय मंत्री जी की दृष्टि उधर नहीं गयी है। कोठारी कमीशन ने परीक्षा पद्धति में परिवर्तन व

परिवर्द्धन के लिये जो कुछ सिफारिश की है, उस सम्बन्ध में समय मिलने पर मैं बाद में बतलाऊंगा। लेकिन जहां तक हमारी माध्यमिक परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का सम्बन्ध है, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां से किसी को इलाहाबाद भेज कर किसी कापी में नम्बर बढ़वा तो लें, कभी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अब जिला कमेटीज बनेंगी तो इम्तहान लिया करेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सी परीक्षायें इस देश व प्रदेश में प्रचलित हैं जिन पर सरकार का किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वहां छात्रों की क्या हालत है, शिक्षा का क्या स्तर है, वहां विद्यार्थियों द्वारा नकल करने की क्या स्थिति है, इसे आप सब अच्छी तरह से जानते हैं।

मान्यवर, इन्होंने अनुशासन के बारे में बहुत चर्चा की। मैं उनकी सेवा में केवल कोठारी कमीशन ने जो कुछ अनुशासन के बारे में कहा है, उसकी एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं। कोठारी कमीशन ने अनुशासनहीनता के जहां जहां कारण बताये हैं वहां उन्होंने यह कहा है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कारण विद्यालयों में सीट्स की कमी, योग्य अध्यापकों का अभाव, अध्यापकों और छात्रों के आपसी संबंधों का अभाव है। वहीं उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही और आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने भी यही बात कही कि १८ वर्ष तक के बालकों को किसी भी राजनैतिक समुदाय में किसी भी ऐसे संगठन में हिस्सा नहीं लेना चाहिये जो प्रेमवासिन हो, लोगों को अन्धकार में रखे। श्रीमन्, मैंने कम्युनिस्ट शिक्षा पद्धति को भी पढ़ा है और हिटलर के गुरु नीत्से की शिक्षा पद्धति को भी पढ़ा है, उनको देखते हुये जो इनकी ओर से शिशु मंदिर चलाये गये हैं, जो विवेकानन्द विद्यालय खोले गये हैं, उनके द्वारा किसी भी ढंग से अपरिपक्व बालकों को नाना प्रकार के प्रेजुडिसेज का शिकार बनाया जाता है। हमारे देश की शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद और जनतंत्र के मूल्यों का निर्माण युवकों द्वारा हो, ऐसा होना चाहिये। परन्तु मान्यवर, इस प्रेमवास द्वारा आपके बच्चों को किसी जाति विशेष और धर्म विशेष से नफरत करना सिखाया जायगा, भला उससे देश में जनतंत्र और समाजवाद की रक्षा किस प्रकार से हो सकेगी।

मैं तो अपने सोशलिस्ट बन्धुओं को, प्रजा सोशलिस्टों को और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से बस कहना चाहता हूं कि वे मेरी बातों को भले ही बिलकुल सुनने की कृपा न करें, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो भाषण आज दिया है उसको आद्योपान्त पढ़ लें और यह देख लें कि शिक्षा जगत में जो वे परिवर्तन लाना चाहते हैं उससे हमारे राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जिस समय नये मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, मैं जानता हूं कि सिविल सप्लाइज बाबू झारखंडे राय जी को क्यों दिया गया, मैं जानता हूं कि माननीय प्रभु-नारायण सिंह को लेबर और इंडस्ट्रीज क्यों दिया गया और इनको केडर बिल्डिंग के लिये एजूकेशन क्यों दिया गया। इन्होंने जिन १०० स्कूलों का जिक्र किया है कि वे परीक्षा लेंगे, ये १०० स्कूल्स वहीं होंगे जो इनके कृपापात्र होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे एक मित्र आये थे जिन्होंने वहां छात्र संघ की स्थापना की थी, वे आज कल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में हैं, उन्होंने मुझसे कुछ तथ्य उद्घाटित किये। उनसे जब मैंने पूछा कि वार्षिक परीक्षा के समय कुछ लोग नियमित रूप से शाखा को अटैंड करने कैसे चले जाते हैं। तो उत्तर मिला कि कारण उसका यह है कि आखिर में प्रेक्टिकल में तो उत्तर प्रोफेसर को ही देने हैं जो उस शाखा का संचालक है। अभी क्या है अभी तो पूरे तरीके से नहीं, अभी तो केवल आंशिक रूप से ही उस प्रदेश के ऊपर जिस प्रदेश ने सूर और तुलसी को पैदा किया, इन प्रेमवासिन को पैदा किया है। अगर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दलों ने उनको ऐसा ही मौका दिया तो आप हमारी चिन्ता तो छोड़ दीजिये, हमने तो जो कुछ किया है वह किया है बाकी यह जो आप के द्वारा प्रस्तुत पुस्तक है इसमें देखें कि यह १७ से ८५ प्रतिशत तक विद्यार्थियों की संख्या को क्या आपने इन २—३ मास में बढ़ाया है? मैं जानना चाहता हूं कि विद्यार्थियों की संख्या में, विद्यालय की संख्या में जो यह वृद्धि हुई है उसके लिये क्या उनको श्रेय दें? उन्होंने कहा कि मनमाने ढंग से लोगों ने जगह-जगह पर विद्यालय खोल दिये हैं। उनको यह नहीं मालूम है कि शिक्षा

[श्री रामायण राय]

संस्थाओं के संगठन में अगर सरकार को श्रेय है तो सबसे ज्यादा उन लोगों को श्रेय है जो शिक्षा प्रेमी थे, जिन्होंने हाई स्कूल और इन्टर कालेजेज अपने यहां खोले, उनका कोई मामूली योगदान नहीं है। अगर इस बजट के अवसर पर उन को मैं बधाई न दूं तो यह अनुचित बात होगी। उनका कहना यह है कि ऐसे लोगों को संचालक का काम न करना चाहिये और यह जिलों में समिति बनाने जा रहे हैं या परीक्षा के लिये १०० स्कूलों को वह काम देने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों की बात क्या कहूं, उन्होंने नेशनल हेराल्ड के प्रतिनिधि से कहा कि हम यह करना चाहते हैं कि आज तक जो पाठ्य पुस्तकें लिखी गई हैं ये कहां तक राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हैं। मुझे सुबहा होता है कि उनके इरादे क्या हैं। दर्शनशास्त्र के किसी विद्वान का कहना है कि हम बहुधा वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। एक निश्चित दर्शन और विचार में विश्वास करने वाले व्यक्ति से आप और आशा ही क्या कर सकते हैं, वह रामप्रकाश हैं तो हम हम रामायणराय हैं, वह तो सूर्य के प्रकाश को भी प्रदेश में गुप्त कर डालेंगे। धन्य है हमारा प्रदेश और यहां के लोग जो आज इन जैसे शिक्षा मंत्री को बरदाश्त कर रहे हैं।

(इस समय २ बजे उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुए।)

अन्त में मैं निवेदन करूंगा सदन के अपने तमाम मित्रों से कि जिन का समाजवाद, जनतन्त्र और जीवन के नये मूल्यों में विश्वास है कि शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा जगत में जो अन्धकार फैलाने का प्रयास किया है उसके ऊपर बिना दलगत भेदभाव और विश्वासों को रखे अपने विश्वासों के अनुरूप अपने विचारों को व्यक्त करें और इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मेरे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दें।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वाद विवाद में जो लोग हिस्सा लें, उनके नाम दोनों पक्षों की ओर से आया करते हैं, तो क्या केवल उन्हीं व्यक्तियों को पुकारा जाता है जिनके नाम उन सूचियों में होते हैं या दूसरों के नाम भी आप आवाहन कर लिया करते हैं।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं एक नया सदस्य हूं और जब से मैं यहां पर आया हूं मैंने देखा है कि हर बार माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न लेकर खड़े हो जाते हैं जबकि उनको कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य को व्यवस्था का अर्थ समझा दें?

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूची यहां पर आती हैं वे केवल सूचनार्थ होती हैं। उनसे सहायता भले ही ली जाय लेकिन जिस माननीय सदस्य की ओर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता का ध्यान आकर्षित होता है, उसको ही बुलाया जाता है। सूची उसका निर्देश नहीं है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने अभी कहा कि जिस ओर पीठासीन अध्यक्ष की नजर पड़ जाती है, उसको ही बुला लिया जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि नजर पड़ने का आधार क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

ध्यान आकर्षित होने में बहुत सी बातें होती हैं, जिन पर ध्यान देना पड़ता है।

श्री जगपत सिंह (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आज सदन के समक्ष शिक्षा के आय व्ययक को रखते हुए अपने भाषण में बताया है कि गत वर्ष से इस वर्ष में उन्होंने ५ करोड़ रुपये की

वृद्धि की है। यह तो शिक्षा क्षेत्र में बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम शिक्षा की दिशा में एक सही कदम उठा है। यद्यपि हम जानते हैं कि इस ५ करोड़ की धनराशि में लगभग एक करोड़ रुपया वह शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के भत्तों के लिये और कुछ वार्षिक वृद्धियों के लिये है परन्तु फिर भी प्रतीक रूप में यह अनुदान बढ़ाया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमन्, सदन में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा की गयी। उसमें पहला वाक्य जो है वह यह है कि हम अपने देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण स्कूल और विद्यालयों के कमरों में करते हैं। श्रीमन्, कमरों में उपकरण होते हैं। उनमें मुख्य उपकरण हमारे अध्यापक हैं। जितना भी आप इन अध्यापकों के लिये कर सकेंगे उतनी ही शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। आज जो अध्यापकों की दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। जितने यहां पर माननीय सदस्य हैं, वे जिला परिषदों के पदेन सदस्य भी होते हैं। क्या वे प्रदेश भर में एक भी जिला परिषद का नाम बता सकते हैं जहां पर परिषदों में अध्यापकों को एक मास में वेतन मिल जाता हो ? ३ या ४ महीनों में उनको वेतन दिया जाना एक साधारण सी बात है। बहुत सी तो ऐसी भी जिला परिषदें हैं, जहां पर ६–६ महीनों में और साल भर तक भी वेतन नहीं मिला है। ऐसे भी उदाहरण देखने में आये हैं कि परिषदों में अध्यापक रख लिए जाते हैं और धनाभाव के कारण उन्हें कुछ दिन नौकरी में रखने के पश्चात् यह कह कर कि सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है, निकाल दिया जाता है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

माननीय सदस्य ने अभी कहा कि एक भी जिला परिषद ऐसा नहीं है जहां पर अध्यापकों को ठीक समय से वेतन मिल पाता हो। मैं अपने जिले झांसी का ही उदाहरण देता हूं जहां पर अध्यापकों को हर माह ७ तारीख को वेतन दे दिया जाता है।

श्री जगपत सिंह—

उन अध्यापकों के स्थानान्तरण....

श्री इन्द्रमणी—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा कि सब जिला परिषदों के पास शिक्षा का काम है। मैं बताता हूं कि उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी, पिथौरागढ़ में कोई भी जिला परिषद् नहीं है जिनके पास शिक्षा की व्यवस्था हो। इसलिये ऐसी गलत बात नहीं कहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जगपत सिंह—

जिला परिषद् में कार्य करने वाले अध्यापकों के स्थानान्तरण वर्ष के ३६५ दिन तक होते रहते हैं और जिस प्रकार से स्थानान्तरण होते हैं जिला परिषद् के अध्यक्षों द्वारा वह हम सब जानते हैं। यदि उसके सुधार के लिये कोई योजना बनायी जाती है, तो उस योजना से पहले ही सशंकित हो जाना और उसका प्रयोग न करना और अपनी ओर से कोई इस प्रकार की योजना न देना यह तो एक नकारात्मक बात है। इससे कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को यह दुख भोगते हुये बहुत दिन हो गये हैं, उन की व्यवस्था होना चाहिये, उनका वेतन नियमित रूप से मिलना चाहिये, उन का अधिकार उन को मिलना चाहिये और शासन द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

[श्री जगपति सिंह]

अध्यापकों के चयन में भी मैंने देखा, यहां से बी० टी० सी० के लिये जो प्राइमरी के अध्यापक लिये जाते हैं उनके चयन के लिये शासन की ओर से प्रत्येक जिले में एक समिति बनी हुई है जिसमें वहां का जिला विद्यालय निरीक्षक और तत्संबंधी विद्यालय का प्रधानाचार्य भी होता है। वह समिति एजूकेशन में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी है और वह चयन करती है। मैं तो इसका औचित्य तनिक भी नहीं समझता कि जब जिला स्तर पर शासन ने शिक्षा विदों की एक समिति बना दी है तो फिर सरकार द्वारा यहां से कोई भी व्यक्ति नामजद किया जाय। वहां तो आप उन को नियमों से बांध देते हैं कि योग्यतम का चयन कीजिये और यहां से जिसको चाहते हैं उसको भेज देते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह पद्धति जो पुराने जमाने से चली आ रही है वह उचित नहीं है और अगर वर्तमान सरकार भी यही कर रही है तो मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं कर रही है क्योंकि किसी भी नौकरी में, अध्यापकों को छोड़ कर, ऐसा नहीं है जिसमें सरकार द्वारा मनोनयन होता हो।

परीक्षाओं के लिये बहुत बात कही गयी है। इंटरमीडियेट, हाई स्कूल परीक्षाओं के लिये माननीय अध्यक्ष जी नहीं हैं, वह तो सदन की ओर से बोर्ड के मेम्बर भी हैं और इतने दिनों का उनको अनुभव है, वे यह जानते हैं कि इन परीक्षाओं में आज क्या हो रहा है और इन परीक्षाओं के बारे में जिस समय से परीक्षा शुरू हुई है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इनका तीन घंटे का प्रश्न पत्र अवश्य होगा, ५० नम्बर का अवश्य होगा और वही परिपाटी जो बाप दादों के समय से चलती आयी है आज तक वही चलती आ रही है। वहां क्या होता है। बोर्ड में आप देखते हैं कि एक एक अध्यापक के पास तीन, तीन, चार-चार एग्जामिनेशन्स की कापियां आती हैं और उसको समय १५, २० दिन का रहता है। जो भी अध्यापक होता है, जो जितना ही बड़ा अध्यापक है उसे उतनी ही अधिक कापियां जांच के लिये मिलती हैं। उन १५-२० दिनों में १-२ हजार कापियां जांचते हैं और उस समय अपना कार्य भी करते हैं, सभी उस समय परीक्षा के सुपरिंटेंडेंट होते हैं, वह उनको भी देखते हैं। जिस तरह से ये परीक्षायें होती हैं सभी लोगों को उनका ज्ञान है और मैं समझता हूं कि यह अत्यावश्यक है कि अगर शिक्षा में कोई परिवर्तन होना है, किसी को प्राथमिकता मिलनी है तो परीक्षा प्रणाली में सुधार सबसे प्रथम लाना चाहिये। आप देखते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड में दो, ढाई लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहते हैं। मान्यवर, एक विद्यार्थी का एक वर्ष में पढ़ने का व्यय यदि ८० रु० मासिक लगायें तो साल में १००० रु० व्यय होता है। १०० विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहते हैं तो १ लाख रु० का वेस्टेज होता है और जहां डेढ, दो लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं तो कितना वेस्टेज होता है इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। यह विषय ऐसा नहीं है जिसको दलगत राजनीति में लिया जाय। यह हमारे देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का सवाल है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय।

जिस समय परीक्षायें होती हैं उस समय बिना पुलिस के उनका संचालन नहीं चल सकता। परीक्षा के जो अवीक्षक हैं उनको मैजिस्ट्रेट वाली पावर्स दे दी गयी हैं और इनविजिलेटर्स की सरकारी कर्मचारी की कैटेगरी में गणना होने लगती है। किन्तु इस के होते हुये भी कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें दुर्घटनायें न होती हों, एक आध हत्या और मार पीट की घटनायें न होती हों। मिर्जापुर के एक अध्यापक ने इनविजिलेशन के वक्त जब एक विद्यार्थी को पकड़ा तो उनको छुरा मार दिया गया। एक थानेदार की अगर हत्या होती तो उस गांव की क्या दशा होती। अध्यापक की हत्या हो जाती है तो कुछ नहीं किया जाता है। परीक्षा की जो प्रणाली है उस पर विचार किया जाय। इस वर्ष ५० हजार रुपये पारितोषिक के रूप में अध्यापकों को दिये गये हैं लेकिन यह धनराशि बहुत कम है और केवल प्रतीक मात्र है। लेकिन यह सही दिशा का निर्देश करती है। पिछले २० वर्ष में प्रगति अवश्य हुई है फिर भी उत्तर प्रदेश शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ है और उसका कारण यही है कि हमने कोई योजनागत कार्य नहीं किया। राज्य में २०० डिग्री कालेजेज हैं। ४० में केवल १०० लड़के हैं।

४० ऐसे हैं जिनमें १०० से २०० लड़के हैं। शेष में काफी अधिक हैं। लेकिन हुआ यह है कि जहां विद्यालय की आवश्यकता नहीं थी वहां विद्यालय खोल दिये गये और जहां आवश्यकता थी वहां नहीं खुले। उसका कारण आपका यह नियम है कि तीन वर्ष तक जो विद्यालय अपने खर्चे से चलेगा, अपनी इमारत जिसके पास होगी, जिस विद्यालय की अपनी कमेटी होगी, खेल का मैदान होगा उसको आप थोड़ा सा रुपया अनुदान के रूप में दे देंगे। रेल, सड़क आदि आप बनाते हैं लेकिन जहां आदमी बनाने का काम होता है उस पर आप खर्च करने को तैयार नहीं। ३ वर्ष तक विद्यालय अपने खर्च से चल जाय तो आप थोड़ी सी मदद दे देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री योगेश्वर प्रसाद (जिला चमोली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस आय व्ययक पर जो कटौती की रकम है उसके समर्थन में अपने कुछ विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस शिक्षा संबंधी बजट पर मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुना। उनके भाषण से मैं बहुत कुछ आशा करता था। क्रांतिकारी शब्द का भी उन्होंने स्थान स्थान पर अपने भाषण में बहुत प्रयोग किया लेकिन जैसी कि किसी भी सरकार की बहुत स्पष्ट नीति होनी चाहिये जिससे कि राज्य की नीति संबंधी बात स्पष्ट हो और जनता में उत्साह हो इस तरह की बात हमारे सामने कोई भी नहीं आयी और इससे उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी भारी निराशा होगी। उनके पिछले १९ सूत्री प्रोग्राम को भी मैंने देखा। उसमें आपकी शिक्षा संबंधी प्रतिज्ञाओं और घोषणाओं को भी देखा। मैं बार बार उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। माना कि आपको केवल ढाई महीने ही हुये हैं और इस अवधि में कोई बड़ी बात नहीं हो सकती थी लेकिन कम से कम ८वीं श्रेणी तक आप विद्यार्थियों को शुल्क से मुक्ति प्रदान करने की घोषणा ही कर देते। माना कि वित्त की कठिनाइयां आपके सामने है लेकिन इतना तो करते। मगर वह भी आप नहीं कर सके जबकि पिछली सरकार के समय में छठवीं श्रेणी तक फीस तो मुक्त है ही। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार से कन्याओं की शिक्षा का शुल्क १० वीं श्रेणी तक मुक्त है। मैं नीति संबंधी बहुत सी बातें न कह कर जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है, उसका जो उद्देश्य है वह आपके माध्यम से पढ़ देना चाहता हूं।

"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—चमोली जिले व उत्तराखंड में वर्तमान वर्ष व योजना में शिक्षा की उपेक्षा करना और उत्तराखंड में नये विद्यालयों के खोले जाने और गैर सरकारी विद्यालयों से किसी एक के भी प्रांतीयकरण की कोई व्यवस्था व घोषणा न होना इस संबंध में सुझाव देना व आलोचना करना तथा शिक्षा नीति पर विचार प्रकट करना व सुझाव देना।"

जहां तक वर्तमान शिक्षा का स्वरूप है, मैं देखता हूं कि यह शिक्षा उद्देश्यहीन और लक्ष्यहीन है। आज जो पढ़े लिखे लोग निकलते हैं वे ज्यादा से ज्यादा बाबूगीरी और नौकरी का ही उद्देश्य लेकर निकलते हैं। यह न तो उन्हें स्वावलम्बन की ओर ले जाती हैं और न भारतीय परम्पराओं के अनुरूप ही है। जिस शिक्षा के द्वारा स्वावलम्बन न हो उससे बहुत ऊंची ऊंची आशा करना व्यर्थ है। हमारे देश में कई कमेटियां बनीं। उन्होंने राय दी कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिये। लेकिन उसके मुताबिक कोई अधिक कार्य नहीं हो पाया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार फिर से शिक्षा विशारदों की एक कमेटी बनाये जो इस पर विचार करे कि ये कमियां किस प्रकार दूर हों।

आज अनुशासनहीनता की आपने भी चर्चा की। इससे ज्यादा दुख और अफसोस की बात क्या हो सकती है कि आज गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वह इस हद तक पहुंच गये हैं कि यदि कोई अध्यापक नकल करने पर रोक लगाता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। आप जानते हैं कि लखनऊ में ही एक प्रिंसिपल पर इस बात के लिये गोली चली।

[श्री योगेश्वर प्रसाद]

मैं इन बातों पर ज्यादा न कह कर उत्तराखंड के तीन जिलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के तीन जिलों की सरहद चीन से लगी हुई है, चमोली में बद्रीनाथ और केदारनाथ पड़ते हैं, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। शिक्षा की दिशा में और आर्थिक दिशा में इन तीन जिलों की हालत और जिलों से बहुत पिछड़ी हुई है। सरकार ने जहां तक मुझे मालूम हुआ है पंडित जवाहरलाल जी की राय और प्रेरणा से उत्तराखंड को एक पृथक डिवीजन बनाया है और इसके लिये अलग से धनराशि दी है।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, पिछली सरकार ने धीरे-धीरे उत्तराखंड में आधारिक माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विद्यालयों को बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन मैं इस बजट में देखता हूं कि आपने उत्तराखंड की मद में एक भी प्राइमरी, पाठशाला हाई स्कूल व इंटर कालेज के खोलने की घोषणा नहीं की है। इससे बड़ा धक्का जनता को और क्या लगेगा? चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में जिला परिषद नहीं हैं। वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही अन्तरिम जिला परिषदों की सारी सत्ता है। प्रदेश के अन्य जिलों में जिला परिषद् हैं। उनके द्वारा प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल वगैरा खुलते हैं। तो वहां उत्तराखंड में जिला परिषदों के न होने से यह कार्य सरकार द्वारा ही होता है। मुझे अफसोस है कि जनता को बड़ा सदमा लगेगा कि इन ५ वर्षों में कोई विद्यालय नहीं खुलेगा। मेरा क्षेत्र कर्ण प्रयाग है, उसमें एक खिरसू ब्लाक है जो जिला गढ़वाल का भाग है जिसमें चार पट्टी हैं, १५० प्राइमरी स्कूलों और ५० जूनियर हाई स्कूलों की मांग है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की ओर से मांग है। लेकिन आपने ५ वर्षों में न तो जिला चमोली में और न तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी प्राइमरी हाई स्कूल व इंटर कालेज की स्थापना का बजट में निश्चय प्रगट किया है। यह बड़े अफसोस की बात है। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ प्राइमरी, कुछ जूनियर व कुछ हाई स्कूल और इंटर कालेज खोले थे और कुछ का प्रांतीयकरण किया था। लेकिन इस बजट में कुछ भी नहीं है। जब २० माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूलों के खोलने की मांग मेरे निर्वाचन क्षेत्र की है तो चमोली जिले की बात तो अलग है।

पिछली मई में गोचर इंटर कालेज का एक शिष्ट मंडल आप के शिक्षा मंत्री के पास आया था। गौचर कालेज को जनता ने जन्म दिया। पहले यह जूनियर हाई स्कूल था, फिर हाई स्कूल हुआ और अब इंटर कालेज है। २,३ वर्षों से सरकार ने कुछ अनुदान देना शुरू किया है लेकिन वह अपर्याप्त है। उत्तराखंड की जनता में बहुत गरीबी है और लोग इसको चंदे से चलाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में इस कारण मास्टर नहीं मिलते हैं कि समय से तनख्वाह नहीं मिलती है। उस डैपूटेशन को आपने आश्वासन दिया था और मैंने समाचारपत्रों में भी पढ़ा था और शिष्ट मंडल ने भी मुझे बतलाया कि शिक्षा मंत्री जी ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है कि चमोली जिले के गोचर इंटर कालेज का प्रांतीयकरण कर दिया जायेगा। अब इसका जल्द से जल्द प्रांतीयकरण कर दिया जाय। इसके अलावा गढ़वाल के खिरसू ब्लाक में एक खेड़ाखाल हाई स्कूल है जिसको जनता चलाती है और नैनीसैन हाई स्कूल व पैतोली स्कूल इन तीनों का प्रांतीयकरण किया जाय यह संबंधित जनता की मांग है। बछवां बरिमा खनसर का गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल है, उसके उच्चीकरण के लिये उसका एक डेपुटेशन आप से मिला था। बछवां बीणा खनसर के डेपुटेशन ने उच्चीकरण की मांग की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कर्णप्रयाग में खिरसू ब्लाक विकास खंड गढ़वाल की चार पट्टियां हैं। इसके सहित लगभग पचास जूनियर हाई स्कूलों की मांग वहां की जनता की है। आप अपने बजट पर फिर से विचार कीजिये ताकि पिछड़े हुए उन लोगों में असंतोष न पैदा हो। विद्यालयों के लिये बजट में धनराशि रखिये। अंग्रेजी जमाने में दुर्दशा की हालत रही, कांग्रेसी गवर्नमेंट ने उत्तराखंड की जनता को कुछ आगे बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने एक दम से शिक्षा की प्रगति

को खत्म कर दिया। पांच वर्ष में आपने केवल दस जूनियर हाई स्कूलों का उत्तराखंड के तीन जिलों के लिये प्राविधान किया है। यह बहुत कम है। एक मांग मैंने बहुत दिनों से की है कि चमोली जिले में डिप्लोमा कोर्स का पालिटेक्निक कालेज खोलें ताकि वहां के लड़कों को प्राविधिक शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। आपने उसका कोई प्राविधान नहीं किया है, उसका प्राविधान होना चाहिये। इस मांग को पूरी कीजिये। यह मांग उत्तराखंड की प्लानिंग कमेटी ने बार-बार उत्तराखंड के विकास के लिये की लेकिन उस पर भी गौर नहीं किया गया। इस देश में नागा हिल्स, नेफा, लद्दाख से लेकर यहां उत्तराखंड तक जो दुर्भाग्य पूर्ण गरीबी व शिक्षा की कमी की स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में है, इन तीन जिलों और गढ़वाल और कुमायूं के चार जिले, गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा और टेहरी-गढ़वाल, इनके लिये आपको विशेष रूप से शिक्षा का प्राविधान करना चाहिये। उत्तराखंड की प्रगति के लिये अवश्य ही प्राविधान होना चाहिये क्योंकि उत्तराखंड का एक विशेष उद्देश्य से वहां के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु निर्माण किया गया है। मैं आशा व जोरदार अनुरोध करता हूं कि आप इन सुझावों पर विचार करेंगे और मेरी इन तमाम मांगों को जो मैंने जनता की तरफ से रखी हैं उन्हें इस वर्ष या कम से कम पांच वर्षों में अवश्य पूरा करेंगे।

*श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको यहां पर प्रथम बार बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं भी उप मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कटौती के प्रस्ताव पर माननीय रामायण राय जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रारंभ में कहा कि शायद राम प्रकाश जी किसी स्थान पर कथावाचक के रूप में कोई बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि रामायण राय इनका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि उन्होंने कथावाचक के रूप में यहां भाषण किया। जब से कांग्रेस शासन हटा है तब से हमारे कांग्रेसी भाइयों को इस बात का मलाल हो रहा है कि क्यों कांग्रेस राज्य समाप्त हो गया। गैर कांग्रेसी सरकार जो प्रदेश में स्थापित हुई है.....

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

वैधानिक आपत्ति है। शिक्षा बजट पर माननीय सदस्य न बोल कर कांग्रेस.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं यह कह रहा था कि हम भी उनके अर्थों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जिस उद्देश्य से यह बात की है। मैं बताना चाहता हूं कि वे इसमें सफल नहीं होंगे। सबसे पहले पण्डित कमलापति त्रिपाठी ने बजट की सामान्य चर्चा के समय समाजवाद के नाम पर समाजवादी भाइयों को सुझाव दिया कि वह सरकार बनायें, हम उसका समर्थन करेंगे और सहयोग देंगे और उसी बात को रामायण राय जी ने पुनः दोहराया है। समाजवादियों ने २० साल तक आपके राज्य को, आपकी नीतियों को अच्छी तरह परख लिया है कि आप कभी भी समाजवाद पर नहीं चले हैं, जिसके फलस्वरूप आपने आज देश को हर क्षेत्र में दुर्दिन देखने पर विवश कर दिया है, देश को आर्थिक दृष्टि से जर्जर बना दिया है और तरह-तरह के दुर्भिक्ष आज पड़ रहे हैं। ये सब उनके सामने हैं। समाजवादी भाई अच्छी तरह जानते हैं कि जो यह संगम बना है वह बहुत ही पवित्र गठबन्धन है और उसमें समाजवाद की रूपरेखा जनसंघ के साथ रहकर फलवती हो सकती है। इसलिए वे आज जनसंघ के साथ बैठे हैं और मजबूती से बैठते रहेंगे। इसलिए आप संयुक्त विधायक दल में फूट डालकर अपने कुत्सित मंसूबे पूरे नहीं कर सकेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

---

*अवसर के भाषण का पुनर्संशोधन नहीं किया।

[श्री मोहनलाल कपूर]

इस प्रकार से मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो राम प्रकाश जी ने बात रखी है, उसमें कोई साम्प्रदायिकता की बात नहीं है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो निंदनीय हो। धर्म के आधार पर शिक्षा नीति को चलाने की बात है। धर्म शब्द का कुछ लोगों ने गलत प्रयोग किया है। धर्म का आशय आध्यात्मिक भावना से है और आध्यात्मिक भावना का मतलब है नैतिक मूल्यों का प्रचलन। शिक्षा पद्धति को नैतिकता के आधार पर चलाना और छात्रों में नैतिकता की भावना को बढ़ाना ही इस सरकार की शिक्षा नीति है। आज महात्मा गांधी का चित्र हमने अपने सामने इसीलिए लगा रखा है कि उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में नैतिक मूल्यों को अधिकाधिक महत्व दिया था। इसी प्रकार शिक्षा में नैतिकता आनी चाहिए और उसकी नैतिकता का आधार शिक्षा बनना चाहिए और जिस प्रकार आपने नैतिकता को हटा दिया है उसका उदाहरण हमारे सब के सामने है। विद्यालयों को अनुदान देने में आपने जो फार्मूला अब तक अपना रखा था वह कोई फार्मूला नहीं था, वह केवल शासकों की इच्छा से, मनमानी से और अपने गर्हित स्वार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से अनुदान देना उनका फार्मूला था। मैं एक विद्यालय के अनुदान के विषय में शिक्षा मंत्री श्री कैलाश प्रकाश से मिलने आया और उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अनुदान देने का हमारा कोई फार्मूला नहीं है, वह हमारा राजनैतिक दृष्टिकोण है, हम जिस विद्यालय को देना चाहेंगे देंगे और जिसको नहीं देना चाहेंगे उसको नहीं देंगे।

(व्यवधान)

इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कक्षा एक से पांच तक जो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण या राज्यकरण किया है, उसके पीछे भी एक ही बात है। मैं मेरठ के बारे में जानता हूं कि किस प्रकार लोगों को पुस्तकें छापने का अधिकार दिया गया। जिनके पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं हैं और न वे प्रकाशक हैं लेकिन उनको किताबें छापने को दी गईं। जिस प्रकार मोटर का परमिट देकर और किताबें छापने का अधिकार देकर आपने लोगों को पाला है हम उस प्रकार की पद्धति अब नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने परिवर्तन किया है और परिवर्तन किया है दृष्टिकोण में। हम चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में सिफारिश और संबंध न चलें और इसी की पूर्ति के लिए रामप्रकाश जी ने कहा है कि हम योग्यता के आधार पर बी० टी० सी० के लिए लोगों को लेंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यालयों को अनुदान देने के फार्मूले का लोगों को पता नहीं है, आप उस फार्मूले को स्पष्ट घोषित करें कि फार्मूला क्या है। आप अनुदान के हिस्से में ९५ प्रतिशत उस विद्यालय को दें और ५ प्रतिशत प्रबंधक समिति करे। इस प्रकार आप अनुदान व्यवस्था में भी परिवर्तन करें। आपने जो बात बताई कि नैतिक आधार पर शिक्षा में परिवर्तन होगा वह बिलकुल ठीक है। लेकिन हमारे उधर के भाई धर्म का शब्द कह कर मुसलमानों को और ईसाइयों को बरगलाते हैं। वह अब कांग्रेस के बरगलाने में नहीं आवेंगे क्योंकि वे समझने लगे हैं कि यह पद्धति सबके लिए बराबर लागू होगी। आज ये कांग्रेस के लोग साम्प्रदायिकता और प्रांतीयता फैलाकर देश के टुकड़े-टुकड़े बनाने में लगे हुए हैं और राजनीतिक गन्दगी, और फूट को संयुक्त विधान दल के बीच में डालना चाहते हैं, अब वह आप नहीं डाल सकते।

अब मैं अपने चन्द सुझाव शिक्षा मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे यहां का अध्यापक शिक्षा का विन्दु है और इस नाते उसको संतुष्ट रखना परमावश्यक है और आपने कहा कि आपका मंत्रिमण्डल उनके लिए विचार कर रहा है। मैं कहता हूं कि ८ तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं और प्रदेश का हर अध्यापक आपकी ओर आंख लगाये हुए है कि आप उनके लिए क्या करने वाले हैं।

कटौती के प्रस्ताव में रखा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन माननीय रामायण राय की सरकार ने जे० टी० सी० के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए १०० रुपये और गैरसरकारी स्कूलों के लिए ६० रुपये, एच० टी० सी० अध्यापकों

के लिए सरकारी स्कूलों में अधिकतम १८० और गैरसरकारी स्कूलों के लिए १२० रुपये यानी ६० रुपये का अन्तर है, सी० टी० ग्रेड १३० रुपये से आरंभ होकर २५० तक सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए और गैरसरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए ७५ से २०० तक, यह भी ४० से ५० रुपये तक का अन्तर है और एल० टी० ग्रेड सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए १५०-३५० और गैर सरकारी स्कूलों के लिए १२०-३०० है इसमें भी ३० और ५० का अन्तर है। तो यह जो असमानता पिछली सरकार ने बनायी है मैं चाहता हूं अध्यापकों के निमित्त और इस प्रदेश की जनता की शिक्षा के लिए जरूरी है कि इसमें परिवर्तन हो और जितनी जल्दी आप इस असमानता को दूर करेंगे उतनी ही जल्दी आपको इ छाओं की पूर्ति इन अध्यापकों के द्वारा होगी क्योंकि बिना उनकी सहायता प्राप्त किए आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए यथाशक्ति उस विषमता को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयत्न करें।

शिक्षा का दूसरा विन्दु विद्यार्थी है। उसके होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आजतक आपने भी माना है और जो लोग कटौती का प्रस्ताव लाये हैं उनका कहना है कि हमें सर्वांगीण रूप से हर क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि आप अंग्रेजी को केवल जूनियर स्कूलों के लिए या केवल हाई स्कूल तक के लिए ही ऐच्छिक न बनायें, आपको स्नातक क्षेत्र तक अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय बनाना होगा। साथ ही यू० पी० सेवा आयोग में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है उसको हटाकर हिन्दी की अनिवार्यता लानी होगी। तभी आप हिन्दी ला सकते हैं। हाई स्कूल में आज भी अंग्रेजी ऐच्छिक है लेकिन उसको न लेने पर संस्कृत लेनी पड़ेगी। दूसरे यह भी है कि जो अंग्रजी नहीं लेंगे वे भूगोल नहीं ले सकते, इतिहास नहीं ले सकते। मैं यह कहता हूं कि यह स्वतंत्र रूप से छोड़ दें कि वह अंग्रेजी ऐच्छिक लें या न लें लेकिन वह किसी विषय को ले सकते हैं और हिन्दी को नीचे प्राइमरी से लेकर स्नातक स्तर तक अनिवार्य विषय बना दें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने और एक बार चरणसिंह जी ने भी प्रश्नों के उत्तर में यह बताया था कि इस साल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पास नहीं कर सकते परन्तु उन भोले विद्यार्थियों की तरफ से जो गरीब हैं, आज भुखमरी अलग है उनकी तरफ से ध्यान दिलाते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि यह एक अपव्यय उनकी एनर्जीज का हो रहा है और पैसे का भी, आप इस पर ध्यान दें। आपने बताया कि १८ हजार इन्टर-मीडिएट में फेल हैं और २९ हजार हाई स्कूल में फेल हैं। यह बहुत बड़ा नम्बर है। मेरे पास इस प्रकार के उदाहरण हैं और शिक्षा मंत्री जी मांगेंगे तो मैं दूंगा जिन्होंने हर विषय में ६० प्रतिशत और ५० प्रतिशत पाये हैं, ऐसी कन्याओं को मैं जानता हूं जो केवल अंग्रेजी में फेल हैं और उसके कारण वह अनुत्तीर्ण हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं—अगर आप इस विषय को ऐच्छिक कर दें तो दूसरी बात है, किन्तु जो विद्यार्थी १५ प्रतिशत अंग्रेजी में नम्बर ले आये हैं, उनको उत्तीर्ण करने का विचार करें। मैं इस बात को आपके सामने प्रदेश की भावना और इस सदन की भावना को समझकर व्यक्त कर रहा हूं कि आप इस बात की व्यवस्था करें।

जहां तक अध्यापकों की सुरक्षा की बात कही जाती है कि १९५८ में हमने कानून बनाया और उनको सुरक्षा प्रदान कर दी तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिले के स्तर पर एक एक अध्यापक परेशान है। जिसको निकाला जाता है, जिसको कचहरी से पास करवाकर या विद्यालय स्तर पर हुकुम दिया जाता है तो उस अध्यापक को वेतन नहीं मिलता है। जिस बात की उसके लिये चेष्टा की गई सुरक्षा देने की उससे उसको लाभ नहीं पहुंचता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि १९५८ के ऐक्ट में पूरा संशोधन करके इस प्रकार से उसको बनाया जाय जिससे अध्यापक अपनी सुरक्षा का अनुभव करे और अनुभव करके वह ऐसा सोचे कि शिक्षा जगत में कुछ परिवर्तन हुआ है और शिक्षकों की आवाज को सुना जाता है।

दूसरी बात मैं अध्यापकों के लिए जो लाभत्रयी योजना है उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। उस योजना के संबंध में भी बड़ी समस्यायें हैं। अध्यापक जिस समय अवकाश

[श्री मोहनलाल गुप्त]

लेता है उस समय उसका सब हिसाब लगाया जाता है । इस हिसाब-किताब में १०, ५ साल लग जाते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि उस भविष्य निधि के लिए सरकार यह आदेश दे कि वह हर अध्यापक का हिसाब, जब वह स्थायी हो जाय, लगाकर सरकारी अंश प्रति वर्ष उसके हिसाब से उसके खाते में जमा कर दे जिससे उसको ब्याज का भी लाभ मिलता रहे । इससे यह होगा कि जब वह अवकाश लेगा तो उसको तुरन्त फण्ड मिल जायगा । इसके साथ ही साथ यह भी माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक यह है कि जो अध्यापकों के बच्चे पढ़ते हैं वह उसी स्कूल में यदि पढ़ते हैं तो उनकी फीस माफ की जाती है । मेरा निवेदन यह है कि अध्यापक का बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े और अध्यापक किसी भी स्कूल में पढ़ाता हो जहां पर वह बच्चा पढ़ता हो उसकी फीस वहीं पर माफ होना चाहिए । यह सुविधा जरूर दी गई है अध्यापकों को लेकिन उससे उनको उतना लाभ नहीं हो रहा है । अध्यापकों को और उनके बच्चों को चिकित्सा की सुविधा देने की बात कही गई है परन्तु मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में तो मैं नहीं जानता लेकिन मेरठ में जानता हूं कि वहां पर उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है । मेरा निवेदन है कि अध्यापक बहुत कम वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति है । उसको इस प्रकार की सुविधा देना सरकार का परम कर्त्तव्य है । इन शब्दों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री ने जो अनुदान सदन के समक्ष उपस्थित किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं...

श्री विश्वनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, आप ऐसे लोगों को ही मौका देते हैं जो कई बार इस सदन में बोल चुके हैं । मैं कई दिन से प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन मुझको अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है । हमको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका इस प्रकार से कहना उचित नहीं है । जहां तक संभव होता है सबको समय देने का प्रयत्न किया जाता है ।

श्री श्रीराम तिवारी---

मुझे आशा थी कि जैसा माननीय उप मुख्य मंत्री अपने भाषणों में बाहर कहते रहे हैं, घोषित करते रहे हैं, वह कोई क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा जगत में लाने वाले हैं, १९ सूत्री और ३३ सूत्री कार्यक्रम में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लावेंगे । लेकिन मान्यवर, बजट को देखने के पश्चात् और उप मुख्य मंत्री का लच्छेदार भाषण सुनने के उपरांत मुझे बड़ी निराशा हुई । संयुक्त विधायक दल ने यह घोषणा की थी कि वह हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा । लेकिन बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं है और न ही शिक्षा मंत्री जी ने इसकी कोई घोषणा की है । इसी प्रकार समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्वीकार करके प्रदेश के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनों को समान करने की घोषणा भी इसमें नहीं की गयी है । मान्यवर, इस समय स्थिति यह है कि एक तरफ तो गैर सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को एक वेतन दिया जाता है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को दूसरा वेतन-क्रम दिया जाता है । प्रशिक्षित स्नातक जो हैं गैर सरकारी स्कूलों में उनको १२०-३०० का ग्रेड दिया जाता है और वही काम करने वाले सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापक हैं उनको १५०-३५० का ग्रेड है । सी० टी० ग्रेड के अध्यापकों को ७५-२०० का गैर सरकारी स्कूलों में ग्रेड है और सरकारी स्कूलों में १२०-२५० का ग्रेड है । इसी प्रकार प्रधानाचार्य हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के जो हैं उनका

सरकारी स्कूलों में ग्रेड है २२५-४२५ और सरकारी स्कूलों में है २५०-८५० रुपये। इन्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों का ग्रेड गैर सरकारी स्कूलों में २५०-६७५ रुपये और सरकारी स्कूलों में २५०-८५० रुपये। इसी प्रकार लेक्चरार ग्रेड गैर सरकारी स्कूलों में १७५-३५० रुपये है और सरकारी स्कूलों में २५०-४५० रुपये है।

हमारी सरकार ने अध्यापकों के लिए बहुत सी चीजें की थी जिनका प्रकाशन उप मुख्य मंत्री जी ने किया है। इस बजट में सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं आंकड़ों से नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आप मुझे इतना समय नहीं देंगे, लेकिन जो किताब उन्होंने यहां बटवाई है उसका वह स्वयं अध्ययन करें और उधर के सदस्यगण भी उसे देखें कि आजादी के पहले हमारी शिक्षा की क्या स्थिति थी, कितने छात्र थे और आज क्या स्थिति है। अध्यापकों के संबंध में हमारी सरकार ने बहुत परिवर्तन किए थे। लाभत्रयी योजना भी हमारी ही थी, लेकिन हमारी नीति रही है कि हम धीरे-धीरे चलते और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि घोषणा तो कर दी लेकिन बात की ढपोरशंख वाली। ढपोरशंख ने कहा कि एक लोगे? तो कहा कि लेंगे। फिर उसने कहा कि दो लोगे? तो जवाब मिला कि लेंगे? लेकिन दिया कुछ नहीं। आज वही स्थिति यहां है। अपने १९-सूत्री कार्यक्रम में इस सरकार ने तीसरे सूत्र में वायदा किया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जायगा, लेकिन उस दिशा में किया कुछ नहीं गया। इसी प्रकार चिकित्सा की सुविधा भी गैर सरकारी अध्यापकों को उसी तरह से मिलनी चाहिए जैसे सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को मिलती है। मान्यवर, बड़ा शोर था कि सेकेन्ड्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों का प्रांतीयकरण होने जा रहा है। अखबारों में पढ़ा था। मैंने कहा कि चलो, यह अच्छा हुआ। बहुत जगह प्राइवेट मैनेजमेंट से प्रधानाचार्य परेशान रहते हैं। लेकिन आज जब माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुना और क्लैरिफिकेशन हुआ तो 'खोदा पहाड़ और निकला चूहा।' उन्होंने बताया कि प्रांतीयकरण करने जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टरों का जो थोड़ा वेतन पाते हैं। वह हेडमास्टर अगर उन्नाव रहता है तो ट्रांस्फर करेंगे उत्तराखण्ड और बुलन्द-शहर से आजमगढ़ को। यह अल्प वेतन-भोगी अध्यापक के हित में है या अहित में है यह सदन ही समझ सकता है। यह भी घोषणा की गयी थी कि प्राइमरी अध्यापकों का वेतन डेढ़ सौ कर दिया जायगा, लेकिन उस प्रश्न को मंत्री जी आज टाल गये। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार ८० प्रतिशत देने के लिए तैयार है, तो क्या यहां की सरकार प्रांत की २० परसेंट भी नहीं कर सकती है जबकि उसने निश्चय किया था कि डेढ़ सौ रुपया देंगे प्राइमरी अध्यापक को? कहा गया कि राजकाज में सभी अंगों से अंग्रेजी हटाकर पूरे प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से घोषणा की गयी थी उससे मालूम होता था कि घोषणा के बाद ही सारा काम हिन्दी में होने लगेगा, लेकिन अभी तक उसमें भी प्रगति नहीं हुई। अब ३३ सूत्री कार्यक्रम की बात करना ही बेकार है, क्योंकि जब १९ सूत्री कार्यक्रम में कुछ नहीं हुआ है तो ३३ सूत्री का क्या कहना है।

अब मैं बजट की ओर ध्यान दिलाऊंगा। बजट में कहा गया है कि विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ायी जायगी। १४८ कन्या जूनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे। इस प्रदेश में ५४ जिले हैं, हर एक में ३ स्कूलों का भी औसत नहीं आता---यह प्रगति है जो करने जा रहे हैं शिक्षा में। ५० अनुवर्ती कक्षाएं महिलाओं की खोलने के लिए कहा है। हिसाब लगाया जाय तो डेढ़ स्कूल प्रत्येक जिले का भी नहीं आता है। ८० स्कूल बेसिक लड़कों के खोले जायेंगे। इस प्रकार से व्यवस्था रखी गयी है। कहते हैं कि ५ करोड़ बढ़ा दिया। किन परिस्थितियों में बढ़ाया, यह तो माननीय रामायण राय ने बताया है, लेकिन घटा कहां है? राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की ग्रांट पिछले बजट में २८,५०,९०० थी, अब वह २८,३२,००० कर दी गयी। बालक प्रशिक्षण विद्यालयों की ७९,७०,५०० थी, अब वह ७६,०२,१०० कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक सैनिक विद्यालयों के लिए, जबकि यह आवश्यक है कि सैनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय, तो यह क्या कर रहे हैं कि मिलिटरी शिक्षा के लिए जो रुपये ८,०६,४०० रुपया का

[श्री श्रीराम वारी]

प्रावीजन था उसको घटाकर ५ हजार केवल कर दिया। छात्रवृत्ति में देखिए कि पुरुषों के व्यावसायिक महाविद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति जो पिछले बजट में २५,३९,५०० रुपए थी उसकी घटाकर केवल २० लाख कर दी है और ६०,९८,५०० की जगह ५५,४३,२०० कर दिया बालकों के विद्यालयों के छात्रों के लिए। नैशनल केडेट कोर में भी धन की कमी की है। सहायक सैनिक छात्र दल, (आक्जिलरी फोर्स) के लिए कोई धनराशि नहीं रखी गयी। केंद्रीय राज्य पुस्तकालय की धनराशि को आपने कम किया है, और बढ़ाया कहां है, इगलैंड में निर्माण कार्यों के लिए आपने धनराशि १० लाख २७ हजार ६ सौ से बढ़ा कर ११ लाख ७८ हजार ४ सौ रुपये कर दी। यह किसलिए बढ़ायी है? किस के आराम के लिए बढ़ाई है? (व्यवधान) जिला परिषदों में शिक्षा लेकर आप तो विकेंद्रीयकरण से केंद्रीयकरण की ओर जा रहे हैं। प्रजातंत्र में तानाशाहियत हिटलर और मैसोलिनी की नीति पर चलना चाहते हैं (व्यवधान)। (लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे दो मिनट और दिए जायं। श्रीमन्, यह जो मैनेजमेंट की मैनेजिंग ग्रांट का नियम है उसकी वजह से मैनेजिंग रिटर्न में वही घपला होता है जो इलेक्शन रेटर्न में हुआ करता है। (व्यवधान) इसको शिक्षा मंत्री जी सुधारें। इसके अतिरिक्त जिनको वास्तविक धन की आवश्यकता है उनको आप आवर्तक और अनावर्तक दोनों प्रकार की ग्रांट्स दीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूलों की संख्या को कम करने जा रहे हैं, उनकी जांच कराने जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण ही क्यों नहीं कर देते।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

*श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं श्रीमन् का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। सारे प्रदेश में एक प्रांतीय रक्षा दल है। बहुत दिनों से उसका विभाग खुला हुआ है। ऐसा विभाग भारतवर्ष में और कहीं नहीं है। इसी के साथ साथ हमारे यहां एन० सी० सी० की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वह पूरे भारतवर्ष में चल रही है। यह दोनों एक ही प्रकार की चीजें हैं। एन० सी० सी० में बहुत सी सुविधायें उपलब्ध हैं जिन्हें काफी दिनों से प्रांतीय रक्षा दल नहीं पा सका है। मान्यवर, प्रान्तीय शिक्षा दल में बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। जो इसका उद्देश्य रक्खा गया था इस विभाग को चलाने में उसमें काफी मैटीरियल और धन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारी प्रान्तीय सरकार उतना मैटीरियल और उतना धन उपलब्ध नहीं कर पाई है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह विभाग बिल्कुल निरर्थक और बेकार है। जब कि केन्द्रीय सरकार की एन० सी० सी० की स्कीम चल रही है जिसमें एयर, नेवल, आर्टीलरी फोर्स जिसमें शामिल है उसकी शिक्षा स्टूडेन्ट्स को दी जाती है। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसे बेकार डिपार्टमेन्ट को, मेरे ख्याल से समाप्त कर दिया जाय। अब मान्यवर, सवाल यह पैदा होता है कि इतने दिन पुराना यह शिक्षा का अंग रह चुका है उसमें जो कर्मचारी लोग हैं उनका क्या होगा। उसके सिलसिले में मेरा यह सुझाव है कि पी० एस० पी० को शिक्षा विभाग में विलीन कर दिया जाय और जो क्वालीफाइड लोग हैं उनको शिक्षा विभाग में ही स्थान दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जैसे रेड क्रास, जान्स एम्बुलेंन्स, गर्ल्स गाईड, स्काउटिंग आदि चीजें हैं जिससे सामाजिक शिक्षा पर ध्यान हमारे स्टूडेन्ट्स को हो सकता है इन चीजों पर हमें काफी ध्यान देना चाहिये। काउन्सिल आफ स्पोर्टस् जो कि प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत रहता है उसके बारे में मेरी समझ में नहीं आया कि स्पोर्टस तो शिक्षा का ही अंग है। यह प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के अन्दर क्यों रक्खा गया है। इस सिलसिले में मेरा सुझाव है कि इसको भी शिक्षा विभाग में लिया जाना चाहिये।

दूसरे, मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आपने भी अक्सर देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को करीब करीब गधे का बोझ उठाकर जाते हुए। इतने सब्जैक्ट्स हो गये हैं, किताबें हो गई हैं कि जिन किताबों को वे फिजिकली उठा नहीं सकते। जब वे उनको उठा नहीं सकते तो उतनी किताबें वे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये सब्जैक्ट्स का निरीक्षण दुबारा किया जाय और जो ऐसे सबजैक्ट्स हों जो कि ऊंची क्लासेज में पढ़ाये जा सकते हों उनको मान्यवर, छोटी क्लासेज से समाप्त किया जाय।

मान्यवर, इसके अलावा, एडमीशन मिलना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि एक आदमी को रोजी ढूंढ़ने में मेहनत करनी पड़ती है। उस ओर भी शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिये। मैं हर चीज को दोहराना नहीं चाहता कि स्टूडेन्ट्स को पालिटिक्स से दूर रक्खा जाय जो विचार व्यक्त किये गये हैं मैं उसी से सहमत हूं। आखिर में मान्यवर, ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बात और आपके माध्यम से कहता हूं कि कई बार उन्होंने आपत्ति की है २० वर्ष के ऊपर। मैं इधर बैठने वालों से कहूंगा कि वास्तव में उनको बीस साल नहीं हुए हैं। उनको १९ साल सात महीने और १५ दिन हुए हैं। वास्तव में जब ये लोग बीस साल कहते हैं तो उन्हें आपत्ति होती है। इन्हीं शब्दों में मैं समर्थन करता हूं।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहिले मैं ऐलान कर देना चाहता हूं कि हमारे अन्दर भी देश का प्यार कोई कम नहीं है जिससे दूसरे हिन्दू यह न सोचें कि ईसाई या एग्लो इन्डियन देश को प्यार नहीं करते हैं, तो वह गलत है। देश को प्यार करना और सेवा करना खाली हिंदुओं के ही हाथ में है, यह गलत है। शिक्षा का बजट मैं पढ़ नहीं पाया हूं। आपका पूरा बजट हिन्दी में था। यह क्यों हुआ? आपने अंग्रेजी पढ़ने वालों को बिलकुल बेकार समझ लिया है।

हमारे शिक्षा मंत्री जी इन-सीजन ऐंड आउट-आफ-सीजन भाषण करते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। वह कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में चाहे जो कुछ कहें, उनकी मर्जी है। वह रिपोर्ट पार्लियामेंटरी कमेटी और सेन्ट्रल एजूकेशन बोर्ड से उनके विचारों के साथ जब निकलेगी तो मंत्रीजी तब तक पलट जावेंगे। कोठारी कमीशन ने बिलकुल चेंज कर दिया है। जो मंत्रीजी कहते हैं वह और कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन्स डाइमीट्रीकली अपोज्ड हैं। यह कहते हैं कि हाई स्कूल बोर्ड को बरखास्त करेंगे और वह कहते हैं कि दूसरे किस्म से आना चाहिये। यह क्या बात है? मैं खुदा के लिये कहता हूं कि जब आप शिक्षा की बात नहीं जानते हैं तो डोन्ट मेक कनफ्यूजन वर्स कनफाउन्डेड। शिक्षा अब भी काफी खराब है और आप उसे ज्यादा खराब करना चाहते हैं। शिक्षा को उठाना है जड़ों से। लेकिन आप उन्हीं जड़ों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस सरकार ने कोठारी कमीशन को कुल्हाड़ी कमीशन समझ रखा है।

कुछ तो इंडीकेशन मंत्रीजी देते कि वह शिक्षा को कहां ले जाना चाहते हैं। शुरू से आखिर तक उन्होंने मालूम नहीं क्या-क्या कह डाला। कहते हैं कि अंग्रेजी को हटा दो। यह फोबिया है। आप बतलाइये बी० एस० सी० में कोई किताबें हिन्दी में हैं। यह कम्लीटली फोबिया है चूंकि यह फारेन लेंगुएज है, यह फारेन लेंगुएज नहीं है। मैं हिन्दुस्तानी हूं। वह मेरी

[श्री ए० सी० ग्राइस]

भाषा है। इंटरनैशनल लैंगुएज है। तो आप इंग्लिश की बात नहीं कर सकते हैं। टैक्नीकल एजूकेशन, मैडिकल एजूकेशन, कामर्स, ये सब आपके बन्द हो जावेंगे। ला क्लासेज में आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। यह तो वैसी ही बात हो जायगी जैसे अन्धे और हाथी की कहानी है। हाथी के पैर को हाथ लगा दिया तो कह दिया कि पेड़ है। यह सब आप उसी तरह से करना चाहते हैं। हिन्दी में यही होगा। जूनियर हाई स्कूल में क्या हो रहा है? आप हिन्दी सिखा रहे हैं और जब हाई स्कूल में पहुंचते हैं तो फेल हो जाते हैं। इसी से इंडिस्पिलिन हो रहा है। हमारे एंग्लो-इंडियन स्कूल्स में, पबलिक स्कूल्स में, यह सब इंडिस्पिलिन क्यों नहीं है? चूंकि हम लोग उनको डिस्पिलिन सिखाते हैं, उनके अन्दर नाउम्मीदी नहीं आने देते हैं, वे जानते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या बनना है। मैं शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूं कि आप हमारे स्कूलों की तरफ बुरी निगाह मत उठाइये, वरना हम ताला बन्द कर देंगे। वह इल्लीगल बात करने की न सोचें। राधाकृष्णन् कमीशन ने रिकमैंड किया था ला डिपार्टमेंट में एग्जामिन हुआ। उन्होंने कहा कि यह बिलकुल गैरकानूनी है क्योंकि कंस्टीट्यूशन की आर्टीकिल ३९ में बिलकुल साफ है कि कोई माइनारीटी कम्युनिटी अपनी लेंगुएज में स्कूल रख सकती है। अब क्रिश्चियन स्कूलों को जनसंघ वाले कहां ले जावेंगे? हमको माफ किया जाय, इट इज एन ईडियौटिक सजैशन।

फिर कहते हैं कि पबलिक स्कूल्स को हम खत्म कर देंगे। पबलिक स्कूल्स ने देश की क्या सेवा की है, यह आपको मालूम ही होगा। हिन्दी स्कूल्स की सेवा भी आपको मालूम होगी। आप यह न समझिये कि मैं हिन्दी स्कूल्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैंने एक-एक देहात में जाकर देखा है। मैं रावर्टस्गंज गया हूं, दुद्धी गया हूं, सब जगह मैंने देखा है जिन्हें बैकवर्ड कहा जाता है। मैंने देखा कि एक टीचर शुरू के क्लास से लेकर सैविन्थ तक ७० बच्चों को पढ़ाता है। यह कोई एजूकेशन है। मैं बहुत साल से कह रहा हूं कि जिला परिषद् के स्कूल्स एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में आजावें। यह अच्छी बात है। आफीसर क्लास सब पबलिक स्कूल्स से आते हैं। नेता लोग भी पबलिक स्कूल्स से आते हैं। ९० फीसदी अफसर पबलिक स्कूल्स से हैं। पन्तजी और उनके सब बच्चे हमारे स्कूलों से हैं। हमारे जनसंघ के दोस्त कहते हैं कि हिन्दी को फैलाओ। ठीक है, फैलाओं। मगर दूसरों की भाषा तो न मिटाओ। यह गलत है। जनसंघ के हमारे दोस्त हिन्दी को प्यार करते हैं मगर जब उनके बच्चे स्कूल जाने को होते हैं तो हम से ही कहते हैं कि हमारे बच्चे को अपने स्कूल में ले लो। उस वक्त उनका हिन्दी का प्यार कहां चला जाता है? क्यों वह इंग्लिश पबलिक स्कूल्स में अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पढ़ाई अच्छी होती है, वहां इंडिस्पिलन नहीं है। क्यों है आपके हिन्दी स्कूलों में इतना इंडिस्पिलन? यह कभी आपने सोचा है?

कोठारी कमीशन टीचर्स की ट्रेनिंग पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने उसकी जड़ पकड़ ली है। इससे आपकी शिक्षा पूरी सही हो सकती है। वह कहते हैं कि स्कूल बहुत जगह बंटा है। वे कहते हैं कि इकानामिक यूनिट होना चाहिये। मैं कहता हूं कि वह जल्दी से जल्दी हो जाय। मेरा एक सुझाव है। वह यह है कि टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों में प्राविडेंट फंड नहीं मिल रहा है। वे अपने को इनसीक्योर समझते हैं। वह अपने विद्यार्थी को फिर सीक्योरीटी कैसे सिखा सकता है? इसलिये वहां प्राविडेंट फंड होना चाहिये।

आखिर में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान का डिवीजन न कीजिये। हिन्दुस्तान हमारा प्यारा है, अगर आप हिन्दी को लेकर चलेंगे तो हिन्दुस्तान का बटवारा हो जायगा। मैं फिर कहता हूं कि आप सोच लीजियेगा कि हिन्दुस्तान को एक करना है या उसका बटवारा करना है। अगर बटवारा करना है तो हिन्दी को लेकर चलें।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय प्राइस महोदय की बात सुनी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने प्राइस महोदय की बात को सुन कर यह समझा कि उन्हें शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य में सम्भवतः सबसे अधिक हिन्दी की हिमायत खटकी और उन्होंने अपने वक्तव्य के अन्त में यह भी कहा था कि यदि हिन्दी की हिमायत अधिक की गयी तो हिन्दुस्तान की अखंडता के लिये खतरा पैदा हो जायगा। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं उनके कानों तक यह संदेश पहुंचा देना चाहता हूं कि हिन्दी केवल हिन्दुओं की भाषा नहीं है। हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को हिन्दी पढ़ना होगा। जहां पर कुछ स्कूलों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, वहां पर मेरी समझ में सबसे अधिक संख्या में देश में रहने वाले ५० करोड़ मस्तिष्कों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। उन सारे मस्तिष्कों का राष्ट्रीयकरण करके ही हम हिन्दी की महत्ता को समझा सकेंगे। आप यह समझ लें कि हिन्दी किसी सम्प्रदाय या किसी वर्ग विशेष की भाषा हो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि संविधान निर्मात्री परिषद् में सब भाषाओं के बोलने वाले थे और सब ने खूब सोच समझ कर यह रखा कि हिन्दी इस देश की राष्ट्र भाषा होगी। उन्होंने यह भी समझा होगा कि इस देश की विशालता को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा यदि कोई हो सकती है तो वह हिन्दी ही हो सकती है। मैं हिन्दी की महत्ता पर ज्यादा इसलिये नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि शिक्षा मंत्री जी स्वयं कह चुके हैं और प्राइस महोदय को भी अनुभव होगा कि सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को चाहे वे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, उनको हिन्दी की महत्ता के संबंध में कोई सन्देह नहीं हो सकता। हां, यह जरूर है कि शिक्षा मंत्री जी ने बजट और शिक्षा नीति के संबंध में जो वक्तव्य दिया उस वक्तव्य को सुन कर मैंने उसको दो हिस्सों में किया। एक तो यह कि अब तक शिक्षा क्या थी और अब आगे क्या होगी। अधिकांश इसी बात पर था कि अब तक शिक्षा क्या थी और अब आगे क्या होगा इसकी भी कुछ झलक उनके इन उद्गारों से मिलती है कि अतीत की शिक्षा के प्रति उनके मन में प्रेम है और वर्तमान में चलने वाली शिक्षा पद्धति के प्रति उनकी आत्मा के अन्दर क्लेश है, द्वन्द्व है।

अब तक शिक्षा की प्रगति न होने के उन्होंने कुछ कारण भी बतलाये। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षामंत्री जी के कानों तक उन कुछ कारणों व बातों को पहुंचा देना चाहता हूं। शिक्षा में अब तक जो लचरपन या ढीलापन था, उसके कुछ कारण और भी हैं। श्रीमन्, तीन पहिये वाली एक साइकिल हुआ करती है जिसे जब तक बच्चा छोटा रहता है उसे चलाता है। तीन पहिये वाली साइकिल में स्पीड नहीं होती। उसी तरह से सरकार ने शिक्षा के रूप में तीन पहिये की साइकिल बनायी। उनमें एक पहिया तो है स्टाफ, एक मैनेजमेंट और तीसरी स्वयं सरकार। इन तीन पहियों की वजह से उस साइकिल में स्पीड नहीं थी। तो श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि यदि इस प्रदेश की शिक्षा में गति लानी है, यदि स्पीड लानी है तो तीन के बजाय दो पहिये वाली साइकिल को ही रखना होगा। क्योंकि उसका तीसरा पहिया जो मैनेजमेंट है उसने शिक्षा की स्पीड को पकड़ रखा है। प्रबन्धक समिति में भ्रष्टाचार है, यह ठीक है, मैं भी इसको मानता हूं कि जहां बहुत बड़े सिद्धान्त दिखलाये जाते हैं वे केवल कागज पर ही हुआ करते हैं। शिक्षा सरकार को देखनी पड़ रही है और सरकार को ही देखनी पड़ेगी।

माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य सुनने के बाद एक बात मुझे जरूर अनुभव हुई और वह यह कि इस प्रदेश का बुद्धिजीवी वर्ग, जो शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाता है, उसको माननीय शिक्षा मंत्री से बड़ी बड़ी आशायें थी वे आशा करते थे कि आज के दिन आशीर्वाद रूप से आपके द्वारा उनको कुछ मिलता। वे आपसे आशा लगाये बैठे थे। २० साल तक जो लोग इधर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

बैठे हुए थे और आज उधर बैठे हुए हैं, आज उनके हृदय में अध्यापकों का दर्द पैदा हुआ है लेकिन उसके पहले उनकी वे दीवारें बन्द रहीं, शिक्षकों की आवाज उन तक नहीं पहुंच पायी। आज से दो, तीन साल पहले शिक्षकों ने बोर्ड का बहिष्कार किया था उस समय इधर के बैठने वाले सब लोग उनके साथ आये थे, उसमें जनसंघ, एस० एस० पी० आदि सब पार्टियों के लोग काले बैज लगाये थे और शिक्षकों की सहायता से वह काला फीता नीचे को खिसका और लाल फीते में बंध कर उनकी फाइल सामने आयी और वही काला फीता बांधने वाले लोग इधर आकर बैठे, वे शिक्षक आपसे बड़ी आशा लगाए हुए थे लेकिन अगर आपने अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह स्मरण करा देना चाहता हूं कि अब नहीं तो आगे चल कर उनके आश्वासन की पूर्ति वे करें, उनकी आवाज को सुनें।

जिला परिषद् के संबंध में उन्होंने स्वयं ही कह दिया। मैंने अभी बताया कि हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट स्तर तक तीन पहियों की गाड़ी चल रही है। उसी प्रकार से जिला परिषद् के तत्वावधान में भी हो रहा है। एक ओर तो शिक्षकों के ऊपर जिला परिषद् का शासन है और दूसरी ओर सरकार का शासन है। मेरा अपना सुझाव है कि उन पर विभाग का नियंत्रण होना चाहिये। जिला परिषद् अपना निजी काम लेने वाली ही एक ऐजेन्सी रही है और वहां पर शिक्षकों के स्थानान्तरण राजनैतिक दृष्टिकोण से ही किये जाते रहे हैं। इस त्रिगुणात्मक तरीके को समाप्त किया जाय।

इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी चीज है जिसकी ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन करना। जब तक पाठ्यक्रम को नहीं बदला जायगा तब तक मस्तिष्क को नहीं बदला जा सकता। दूसरे विभागों में हो सकता है तब्दीली एक दम लाई जा सके लेकिन इस शिक्षा विभाग में एक दम तब्दीली नहीं लायी जा सकती। अगर एक दम लायी जायगी तो बड़ा भारी नुकसान हो जायगा। इन्डस्ट्री में जहां पुर्जे बनते हैं वहां एक दम परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर शिक्षा में कोई तब्दीली एक दम की गयी तो उसका असर सारे राष्ट्र पर पड़ने वाला है। इसलिये इस परिवर्तन को धीरे-धीरे लाना है। उसके लिये हमें पाठ्यक्रम को बदलना होगा। लेकिन यहां छठी से लेकर एम०ए० तक सब उसी पुरानी परम्परा से रटते चले जा रहे हैं जिसे देखिये वही रट रहा है अकबर महान् था। वह गुलामी का जमाना था, जब हम ऐसा पढ़ते थे। अकबर महान, नहीं था महान वह राणा प्रताप था जो अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहा था और घास खा खा कर अरावली पहाड़ियों में झंडा लहरा रहा था। यदि वास्तव में प्रदेश और देश का कल्याण करना है तो सबसे पहले शिक्षा के पाठ्यक्रमों को परिवर्तन करना होगा। जब तक उनमें यह चीजें नहीं आतीं तब तक प्रदेश का भला नहीं होगा। यह जो आतंक शिक्षा के नाम पर वर्गविभेद पैदा किये जाते रहे हैं उन को हमें तुरन्त समाप्त करना होगा।

छात्रवृत्तियों के नाम पर समाज के अन्दर एक हीनता का भाव पैदा किया जा रहा है, उसे समाप्त करना होगा और जैसा मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि प्रदेश की शिक्षा को एक डिप्लोमा प्रोडयूसिंग फैक्टरी न रखकर उन को शिक्षा संस्थाओं के वास्तविक रूप में लाना होगा। यह संस्थायें नौकर नहीं स्वामी पैदा करेंगी, देशभक्त पैदा करेंगी। अंग्रेजी को एक वैकल्पिक विषय बनाने की बात उन्होंने कही है, ऐसा तो पहले से ही था और अब जो उन्होंने कहा है उस का आशय यही है कि अब उस चीज को एक व्यवहारिक रूप दिया जायगा। पहले अंग्रजी आप्शनल थी लेकिन वह बात लागू नहीं थी। हाईकूल और इन्टर में अंग्रेजी के छात्र को आगे चलकर कोई स्थान नहीं था लेकिन अब हाई स्कूल और इन्टर से अगर अंग्रेजी हटाई जा रही है तो आगे चलकर उच्च श्रेणियों में भी भाषा संबंधी परिवर्तन लागू करना होगा। यह जो अनुशासनहीनता आज दिखाई देती है उसका कारण यह है कि कांग्रेसी कुशासन ने सारे शिक्षा

विभाग में एक निकम्मेपन का वातावरण बना दिया, विद्यार्थी निकम्मे, अध्यापक निकम्मे और चारों ओर एक अद्भुत वातावरण छाया हुआ है। इसलिये अब आमूलचूल परिवर्तन द्वारा सच्ची संस्कृति, सच्चे शौर्य को जगाना होगा। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे प्रदेश और देश के विद्यार्थियों में शौर्य है, हमारी यह परम्परा है परन्तु उस शौर्य को जगाने के लिये समुचित साधन नहीं है, हम वह साधन नहीं दे सके, वह शिक्षा हम अपने विद्यार्थियों को नहीं दे पाये जिस से उनका संस्कार और शौर्य ऊपर आता। इस नई संयुक्त विधायक दल की सरकार और अपने नये शिक्षा मंत्री जी से आशा है कि वह नये प्रकाश के द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों में नव शौर्य जगायेंगे जिससे हमारे यहां नये नागिरक भविष्य में पैदा हों।

श्री विश्वनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे पहली बार सदन में बोलने का अवसर दिया। शिक्षा के अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है उस के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। जब से बजट चल रहा है तब से मैं देख रहा हूं कि इस बजट का जो स्वरूप है और जिस तरह से बजट के और अंग देखकर हमें निराशा हुई थी उसी तरह से शिक्षा बजट में भी निराशा दिखाई दे रही है। हर चीज की एक दिशा होती है और एक गति होती है। हमारे सरकारी पक्ष के जो लोग खड़े होते हैं वे बराबर दुहाई देते हैं कि २० साल के शासन में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और उनका दिमाग हमारी त्रुटियों की ओर तो जाता है लेकिन वह हमारी उपलब्धियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते, उधर भी उन को अवश्य देखना चाहिये। शिक्षा के जगत में हमने काफी प्रगति इन २० वर्षों में की है, चाहें वह प्राविधिक शिक्षा हो या अन्य शिक्षा हो, हर तरफ प्रगति हुई है। औद्योगिक शिक्षा में भी आप देखेंगे कि हमारे देश में पहले टाटा का कारखाना प्रथम स्थान रखता था लेकिन आज वह चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। हमने इस दिशा में भी शिक्षा को काफी आगे बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि यह जो कांग्रेस के लोगों पर बार-बार आक्षेप किया जाता है, गलत है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह दशानन की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। दशानन की सरकार से मेरा अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दशानन के १० मुख थे, उसी प्रकार से सरकार में भी १० पार्टियों के मंत्री हैं। एक पार्टी का मंत्री कुछ कहता है और दूसरी पार्टी का मंत्री कुछ कहता है। इस प्रकार जब दसियों मंत्री वक्तव्य देते हैं तो दसियों प्रकार के वे भाषण देते हैं। जहां तक कांग्रेस सरकार का संबंध है हमने उस समय में शिक्षा में काफी प्रगति की थी।

जहां इन सारी बातों को हम सोचते हैं, मेरा कहना है कि यदि इस ढाई महीने के समय में यह सरकार शिक्षा की दिशा में कुछ भी प्रगति करती तो हमें कोई चिन्ता न होती। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि अगर मुझे यहां से बनारस जाना है, भले ही मैं पैदल जाऊं, रिक्शा से जाऊं, रेलगाड़ी द्वारा जाऊं या हवाई जहाज द्वारा जाऊं उस ओर जाता हूं तो मैं अवश्य ही पहुंच सकता हूं लेकिन अगर मेरे जाने की दिशा ही बदल जाय और मैं सहारनपुर की ओर जाने लगूं तो कभी नहीं पहुंच सकता हूं। यदि हमारी दिशा सही है तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं।

माननीय शिक्षा मंत्री के वक्तव्य को सुनकर और बजट को देखकर जरा भी हमें आशा की झलक दिखायी नहीं देती कि वे इस ओर कोई सक्रिय कदम बढ़ा ने जा रहे हैं। अभी अभी मेरे एक मित्र नें बताया कि वे २ पहिये की साइकिल चलाना चाहते हैं न कि ३ पहियों की रिक्शा, लेकिन उनकी सूचना के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि २ पहियों की साइकिल पर जरा सा झटका लगते ही सवार गिर जाता है लेकिन अगर वह ३ पहियों वाले रिक्शा में बैठा हुआ है तो उसके गिरने की कम संभावना रहती है। वे जिला परिषदों को कलम क ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार और सरकारी शिक्षक हों। अभी अभी हमारे माननीय मित्रों नें कहा कि हमारे देश में ऐसे बहुत से गैर सरकारी स्कूल हैं जो देश को बनाने में बड़े सहायक रहे हैं। मेरे

[श्री विश्वनाथ सिंह]

एक मित्र हैं। वे ये कहते थे कि इलेक्शन में फोकस की बात करो। वे एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और अब कांग्रेस में आगये हैं। उनका फोकस से अभिप्राय यह था कि इलेक्शन में अगर एक पक्ष यह कहता है कि प्रत्येक गांव पंचायत में एक सस्ते गल्ले की दुकान खोली जाय तो तुम २ सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने का लेक्चर दो। इससे जो भाषण को सुनने वाले होंगे वे समझेंगे कि फला आदमी एक दुकान की बात कह रहा है और दूसरा २ दुकानों की बात कह रहा है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों ने पहली तारीख को सरकार के बदलने की बात कहकर फोकस की बात की थी। जब शिक्षा के जगत में शिक्षकों के वेतन का सवाल आया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाय तो वे कहते हैं कि अभी हम विचार कर रहे हैं। भूमि भवन कर की माफी की बात आयी तो उसे माफ कर दिया लेकिन जब किसानों से लगान माफी की बात आयी तो कहने लगे कि हम ५ साल में ठीक कर देंगे।

तो फोकस की बात करके जो सरकार बनी है मैं आप के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उस का शिक्षा का बजट भी फोकस की तरह दिखाई देता है। शिक्षामंत्री से निवेदन है कि शहरों में जो शिक्षा केन्द्र हैं उन को वे कृपा करके देहात की तरफ ले जायं। अमूमन देखा है कि शहरों में जितनी शिक्षा संस्थायें हैं वहां जितने भी विद्यार्थी जाते हैं उनसे बहुत अच्छे वे विद्यार्थी हैं जो शहर से दूर की शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि शिक्षण संस्थाओं को ऐसे दूर स्थान पर ले जायं जहां पर सिनेमा और बच्चों को गिराने वाले अन्य साधन नहीं हैं।

मेरा सुझाव है कि जब शिक्षक की नियुक्ति हो तो जहां पर हम उन के सर्टिफिकेट को देखते हैं वहां पर हम यह देखें कि उस शिक्षक का चरित्र कैसा है। अगर चरित्रहीन अध्यापक है और वह प्रथम श्रेणी में पास किये हुए है तब भी ऐसे चरित्रहीन अध्यापक को नियुक्ति नहीं करना चाहिये। हम को तृतीय श्रेणी का अध्यापक पसन्द है अगर जनता के जरिये से हम को यह पता लग जाय कि यह अध्यापक अच्छे चरित्र का है। अच्छे चरित्र का अध्यापक हमेशा बच्चों को अच्छा बनायेगा। आज प्रथम श्रेणी देख कर मास्टर नियुक्त कर लेते हैं वह मास्टर सिनेमा में बच्चों के साथ पाये जाते हैं, पान सिगरेट पीते हुये पाये जाते हैं। ऐसे अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। अच्छे चरित्र का तृतीय श्रेणी वाला अध्यापक हमारे समाज को ऊंचे उठा सकता है।

बच्चों को हम उपदेश देते हैं कि राजनीति से उन को दूर रखना चाहिये लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम खुद राजनीति के लोग शिक्षा संस्थायें चलाते हैं तो जो शिक्षक हैं विद्यार्थी हैं वे किस तरह राजनीति से दूर रह सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि विद्यार्थी और अध्यापक राजनीति से दूर रहें तो मेरा सुझाव है कि शिक्षण संस्थायें राजनीतिक लोगों से दूर रखी जायं और जो शिक्षा जगत में ख्याति प्राप्त किये हैं उन की देख रेख में शिक्षण संस्थायें चलायी जायें। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि मैं हैरान हो जाता हूं कि वहां का प्रिन्सिपल तो डबल, ट्रिबल एम० ए० होता है उस के मास्टर योग्य होते हैं लेकिन जो मैनेजर होते हैं कोई दर्जा ४ या ५ पास होता है वह जब स्कूल चलाता है समाज की सेवा करने की भावना से तो उसको बेवकूफ बनाया करते हैं प्रिन्सिपल लोग। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत में तरक्की हो तो अध्यापकों को अधिक से अधिक वेतन देना होगा उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा और उन अध्यापकों को अच्छी जगहों पर भेज कर के पहले उन को ट्रेन्ड करना पड़ेगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर बच्चे पैदा किये जायं उन शिक्षण संस्थाओं की तरफ हम कम ध्यान दें। सड़कें, अस्पताल आदि ये सारी चीजें जो बनायी जाती है वे आदमियों के लिये बनायी जाती हैं लेकिन इन से पहले जो आदमी बनाने वाली शिक्षा संस्थायें हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये और अधिक से अधिक पैसा खर्च कर के अधिक से अधिक शिक्षकों को उत्तम से उत्तम जगहों पर ट्रेनिंग दे कर के अच्छे शिक्षक बना कर के ही हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुलायम सिंह (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं शिक्षा के बजट का समर्थन करता हूं। हमारे देश में आजादी आये हुए २० वर्ष हो गये। जनतंत्र आया और शिक्षा जनतंत्र की रीढ़ है। जो अंग्रेजियत का फैशन हमारे समाज में व्याप्त था उसमें परिवर्तन लाने के लिये शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक था, लेकिन २० वर्ष के राज्य में कांग्रेस ने कोई परिवर्तन नहीं किया। अंग्रेजों की जो नीति थी देश के लोगों को क्लर्क बनाना उन्हीं परम्पराओं को कांग्रेस ने चलाया और यह जो सरकार बनी तो देश के लोगों को आशा थी यह कोई विशेष परिवर्तन लायेगी, लेकिन, मुझे अफसोस है कि यह भी शिक्षा में कोई परिवर्तन अब तक नहीं ला सकी। शिक्षा के उद्देश्य को न पहली सरकार निर्धारित कर सकी और न यह सरकार ही निश्चित कर सकी। जब यह सरकार बनी थी तो उसने शिक्षा के भेद को दूर करने के लिये कहा था, लेकिन, वह भेद चला आ रहा है, जब अंग्रेजी शासन था तो उस समय दो प्रकार की संस्थाओं का होना स्वाभाविक था क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सरकार नहीं थी। लेकिन आज अब हमारी राष्ट्रीय सरकार है तो शिक्षा में भेद क्यों है ? या तो सरकार शिक्षा को पूरा-पूरा अपने हाथ में ले ले या शिक्षा को जनता तथा शिक्षकों के हाथ में छोड़ दे। पहले जब यहां का नौजवान शिक्षा प्राप्त कर लेता है उसके बाद भी उसे नौकरी में जाने के लिये टेस्ट देना होता है तो पहली शिक्षा जो वह ग्रहण करता है वह बेकार हो जाती है। लिहाजा यह दोहरा टेस्ट समाप्त होना चाहिये।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग सरकार का प्रचार विभाग रहता है। जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी थे तो किताबों में उनकी फोटो आया करती थी। उसके पश्चात् माननीय कमलापति त्रिपाठी की फोटो आने लगी और मुझे अन्देशा है कि इन्हीं परम्पराओं को अपनाते हुए कहीं श्री राम प्रकाश जी की फोटो न आने लगे। १५ अगस्त अथवा २६ जनवरी जब होती है तो जनता बिलकुल रुचि नहीं लेती। केवल विद्यार्थी और शिक्षक ही नारे लगाते हुए स्वतंत्रता के गीत गाते हैं। इस तरह से मैं यह समझता हूं कि शिक्षा विभाग अभी तक सरकार का प्रचार विभाग रहा है। मेरी मांग है यह सरकार ऐसा न करे और जो असमानता सेकन्डरी स्कूल तथा इंटर मीडिये स्कूल के अध्यापकों के वेतन-क्रम में चल रही है उसे सरकार को दूर करना चाहिये क्योंकि अध्यापकों की न्यूतम आवश्यकतायें समान ही होती हैं। दो भाई हैं। एक प्रोफेसर है यूनीवर्सिटी में। एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है लेकिन दोनों शिक्षक कहलाते हैं।

उनकी घरेलू आवश्यकतायें समान हैं। रिश्तेदारी, खाना पीना सब उनका समान है। उधर एक प्रोफेसर ५०० रुपये पाता है और दूसरा ८०, ९० और १०० रुपये पाता है। नतीजा यह होता है कि उसकी जितनी आवश्यकतायें होती हैं उनको वह पूरा नहीं कर पाता और शिक्षा में जितनी रुचि उसे लेना चाहिये उतना ध्यान उधर नहीं दे पाता बल्कि रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। इसी तरह एक ही स्कूल में पी० टी० आई० और प्रसार अध्यापक भेज दिये जाते हैं और उसी में गैर-सरकारी अध्यापक होते हैं और वे एक दूसरे की असमानता को देखते हैं तो उन्हें कुढन होती है। मुझे भरोसा था कि यह सरकार इस असमानता को दूर करेगी, लेकिन इस सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। कहते हैं कि हमारे पास आर्थिक कठिनाई है। स्कूलों में मानव का निर्माण होता है। लेकिन जब मानव के निर्माण के लिये ही आपके पास पैसा नहीं है जिस मानव के निर्माण से देश की उन्नति होती है तो फिर हमारी उन्नति की क्या आशा की जा सकती है, जब बिहार की सरकार पैरिटी करने जा रही है तो उसने पैसा कहां से पूरा कर लिया? मैं एक शिक्षक के नाते कह सकता हूं कि सरकार की यह नीति होती जा रही है कि जो लड़ाई लड़ेगा उसी की बात सुनी जायगी। जैसे राज कर्मचारियों ने लड़ाई लड़ी तो उनको १० करोड़ रुपया दिया गया। तो मैं कहता हूं कि शिक्षकों को पुनः इस सरकार से भी लड़ना पड़ेगा और यदि उन्होंने लड़ाई शुरू की तो मैं उनका अगुआ बनूंगा। इस लिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह शीघ्र से शीघ्र पैरिटी को अमल में लायें। आप देखिये कि गैर सरकारी और सरकारी अध्यापकों में कितनी असमानता है। बे० टी० सी० के टीचर को १० हजार, सी० टी० को १४ हजार, एल० टी० को २१ हजार और लेक्चरार

[श्री मुलायम सिंह]

को ४६ हजार रुपये कम अपने सेवा काल में सरकारी शिक्षकों को अपेक्षा मिलते हैं। इसी तरह से मेडिकल सुविधाओं में गैर-सरकारी शिक्षक १ हजार से ५ हजार तक का घाटा अपने सेवा काल में उठाता है। इसलिये सरकार को इस असमानता को दूर करना चाहिये। कहा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में अध्यापक पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चुने हुये योग्य होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गैर-सरकारी विद्यालयों में जब थर्ड डिवीजन लड़के प्रवेश करते हैं तो उनको हम फर्स्ट क्लास निकालते हैं और सरकारी स्कूलों में फर्स्ट लास लड़के ले कर थर्ड क्लास निकालते हैं। अगर आप रिजल्ट को देखें तब पता चलेगा कि किसका रिजल्ट अच्छा रहता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि गैर-सरकारी शिक्षक एक ही विद्यालय में बने रहते हैं उनका स्थानान्तरण नहीं होता है यह सुविधा है। १४-१५ साल सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को हो गये हैं और ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं हैं जिसमें १२-१५ साल रहते न हो गये हों। आवश्यकता इस बात की थी कि जो पब्लिक स्कूलों में भेद चला आ रहा है उसको यह सरकार समाप्त करती। लेकिन नहीं कर सकी। क्योंकि यह भी सरकार उसी तरह से कर रही है जिसमें धनवान और ऊंचे लोगों के लड़के स्कूलों में जा कर ऊंची नौकरी पा लेते हैं और गरीब का बेटा कभी ऊंचा अधिकारी नहीं हो सकता क्योंकि जो अंग्रेजी जानता है वही लिया जायगा। आगे शिक्षकों के लड़कों की फीस के बारे में जो सवाल था उसके संबंध में तो हमारे कई साथी कह चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में जो अन्तर चला आ रहा है उसको शीघ्र दूर किया जाना चाहिये। आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा सुधार के लिये सलाह देना आज का एक आम फैशन बन गया है। राजनीतिज्ञ हो, चाहे किसान हो, चाहे मिल मालिक हो, सभी सलाह देते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुवक्किल वकील को अपनी बहस के लिये सलाह देते हैं कि बहस किस तरह करोगे, और रोगी डाक्टर को अपने फोड़े के आपरेशन करने के लिये सलाह देता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री मुलायम सिंह—

इसी तरह से देखा जाता है कि शिक्षा संस्थाओं में जो कमेटी बनती हैं उसमें वही लोग आ जाते हैं, या तो राजनीतिज्ञ हों या अवकाश प्राप्त जज हों। इस परम्परा को समाप्त किया जाय। विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता की बात कही जाती है उसमें अनुशासनहीनता नहीं है, बल्कि उसको अनशासन हीन बनाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधान सभा में जिसमें प्रदेश के भाग्य विधाता बैठे हुये हैं, उनमें कितना अनुशासन पाया जाता है। वह आपकी परम्पराओं को देखता है और आपके आचरण पर ध्यान रखता है इसलिये विद्यार्थियों को अनुशासनहीन कहना सर्वथ अनुचित है। एक मामूली बात है कि विद्यार्थियों को बिना टिकट चलने की शिकायत है अगर इनको आरडेन्टी के साथ निःशुल्क पास दिया जाय तो यह बात नहीं रहेगी।

(श्री रघुनाथ सिंह के नाम पुकारे जाने पर।)

(इस समय ३ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये।)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, जो डिबेट होती है उसमें कट मोशन पेश होता है, उसका क्या महत्व है।

श्री अध्यक्ष—

इसका महत्व यह है कि आपके निर्दिष्ट विषय पर जो शिकायत होती है वह सदन के सामने आ जाती है और कल मैंने कहा था कि सरकार उस पर ध्यान देगी और सदन में यदि बोलने का

अवसर न मिले तो संबंधित मंत्री जी जहां तक संभव होगा और जिनका उत्तर देना उचित समझेंगे देंगे। यह आश्वासन मुख्य मंत्री जी ने दिया था कि जो बातें लिखी होंगी उन पर ध्यान दिया जायेगा और ऐसा माना जायेगा जैसे वे कही गई हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत--

पेश करने वाले के विचार सुने बिना कैसे जान सकते हैं? वे खुदा तो नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दिया। आपका जो मतलब है उसकी तरफ भी ध्यान रखूंगा।

श्री रघुनाथ सिंह--

श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि बजट पर बहस...

श्री अध्यक्ष--

आप व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हुये हैं या भाषण देने। मुझे यह बताया गया कि आप भाषण देने खड़े हुये हैं।

श्री रघुनाथ सिंह--

श्रीमन्, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। सदन में बजट पर बहस चल रही है और इस समय उस से संबंधित न तो मंत्री हैं और न उप मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। मंत्रियों को ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है। किसी भी मंत्री का होना काफी है। वैसे मैं समझता हूं कि संबंधित मंत्री जिनकी मांग हो, उनका यहां रहना अच्छा है और उन्हें रहना चाहिये।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा का बजट माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और उसे प्रस्तुत करते समय जो भाषण उन्होंने दिया उसको मैंने बड़े गौर से सुना। हम लोगों को जो पुस्तिका मिली है "शिक्षा की प्रगति १९६६-६७" उसकी पहली पंक्ति में यह है कि..

श्री अध्यक्ष--

आप जरा माइक को ऐडजस्ट कर लीजिये।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

"स्वतन्त्रता के उपरान्त इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की पिछड़ी दशा को दूर करने के तथा उसमें गुणात्मक सुधार के विशेष और अभूतपूर्व प्रयास आरम्भ किये गये।" इस राज्य को सही माना जाय या माननीय शिक्षा मंत्री ने जो भूमिका प्रस्तुत की अपने बजट को प्रस्तुत करते समय उसको सही माना जाय। इसका साफ अर्थ यह होता है, या तो उन्होंने विभाग को निश्चित निर्देशन नहीं दिया कि किस प्रकार की प्रगति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय, और उनकी नयी सरकार की क्या शिक्षा की नीति है उसके अन्दर रहते हुये किस तरह का प्रस्ताव हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण के प्रथम अंश में जिन समस्याओं की ओर संकेत किया उनको अगर हम सही मान भी लें कुछ समय के लिये, तो यह तो सत्य है कि हमें जिस दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करना चाहिये उसमें संतोषजनक प्रगति नहीं है। इस विषय में इस दल के बैठने वाले लोगों को भी कभी पूर्ण संतोष नहीं रहा, न हमने कभी यह दावा किया कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से प्रगति की है। लेकिन इतना दावा हमारा जरूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

है कि हमने अपनी तरफ से यह कोशिश की कि हमारे संविधान में जो रखा गया है कि १४ वर्ष तक के बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से प्राप्त कर सकें वह शत प्रतिशत हो जाय उस दिशा में तेजी से प्रगति हो अगर हमने पिछले १७-१८ वर्षों में उस प्रतिशत से बढ़ा कर ८५ प्रतिशत कर लिया और जैसी रिपोर्ट है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में १०० प्रतिशत तक हो गया है, यह प्रशंसनीय बात है। इस तथ्य को भी हम छिपा नहीं सकते।

माननीय शिक्षा मंत्री ने कोठारी कमीशन का उद्धरण देते हुये कहा कि उसमें रेवल्युशनरी चेंज की बात कही गयी है। मैं पूछना चाहती हूं कि कोठारी कमीशन को बिठाया किसने था? वह कांग्रेस सरकार के मंत्री की दिमाग की उपज थी, जनसंघ के दिमाग की उपज नहीं थी, कि शिक्षा को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसमें सही अर्थ में प्रगति नहीं हो रही है उसका विश्लेषण करने के लिये एक कमीशन बिठाया जाय। फिर आपने कोठारी कमीशन की बात को कहा। उसमें एक जो विशेष सुझाव था जिसको संयुक्त विधायक दल ने स्वीकार भी किया था, वह यह था कि १५० रुपये कम से कम वेतन प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों का होना चाहिये उन्होंने उसको यह कह कर टाल दिया कि जब तक केन्द्र से ८० प्रतिशत सहायता नहीं प्राप्त होती हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह विवशता थी तो आपने जनता से यह वायदा ही क्यों किया। अगर आप समझते थे कि बिना केन्द्र की मदद के किसी कार्य को नहीं कर सकते तो उसका भी स्पष्टीकरण आप कर सकते थे, लेकिन इस प्रदेश के अध्यापक आशा लगाये हुये बैठे थे कि हमारे संयुक्त विधायक दल के मंत्री और सदस्यगण जिन्होंने पिछले वर्षों में उनको आन्दोलन करने को उभारा, पिछले वर्ष मुझे याद आता है जब मैं स्टेशन से दारुल-शफा की ओर आती थी तो रास्ते में प्लेकार्ड स और तम्बू लगे रहते थे और शिक्षक अनशन किया करते थे और वह अनशन महीनों चलता रहा और उनके साथ बड़ी हमदर्दी बरती जाती थी। उस समय के जो विरोधी दल के लोग थे और जो आज कुर्सियों पर बैठे हैं वे आज उन गरीब अध्यापकों को भूल गये हैं। अगर शिक्षा मंत्री जी यह समझते हैं कि उनके पास इस समय आर्थिक कठिनाई है तो मैं ऊंची शिक्षा देने वाले पोस्ट ग्रेजुएट्स संस्थाओं के अध्यापकों की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहती हूं। आप देखें उनके बारे में यू० जी० सी० ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट में कि उनके स्केल ३०० से ६००, ४०० से ८०० और ७०० से १,१०० रुपये के हों। इसमें बहुत ही स्पष्ट तौर पर यू० जी०सी० ने कहा है कि इसको कार्यान्वित करने के लिये ८० प्रतिशत का व्यय भार वह लेने को तैयार हैं, लेकिन यहां जो वायदा है, और वह तैयार हैं देने को फिर क्या दिक्कत है सरकार को उस पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा संस्थाओं में जो प्राध्यापक हैं उनको वह उक्त ग्रेड नहीं दे पाती है। उनके लिये कितनी कठिनाई की बात है जो पी० एच० डी० फर्स्ट क्लास हैं, मास्टर ग्रेजुएट्स हैं, और डबल हैं फिर भी वे १२-१२ और १४-१४ साल तक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेजों में पढ़ाते रहते हैं और केन्द्रीय सरकार ने उनके लिये एक ग्रेड बनाया जिससे उनको पूरी आशा बंधी थी, लेकिन उनकी आशाओं का हनन हो गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के ऊपर मुझे तरस आता है। आज माध्यमिक शिक्षक संघ का नेतृत्व वही भाई कर रहे हैं जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों के नेताओं के साथ रहे हैं, किन्तु आज उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं यह कहना चाहती हूं कि अब तक आपने जो आग भड़काई थी इस प्रदेश में और जिस जनमत को आप समझते थे कि वह आपके साथ हैं और जैसा कि आज एक सदस्य ने यहां पर कहा है कि हम काला बिल्ला लगाकर आये थे और आज हम उनकी मदद से लाल टोपी लगाकर बैठ गये हैं, जिनके साथ आपने बड़े बड़े वायदे करके उन्हें पूरे नहीं किये हैं वे आपको कुर्सी से उतार देंगे, क्योंकि आपने उनको भुलावे में रखने का प्रयास किया है।

मैं यह बताना चाहती हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने जिन उद्गारों को इस सदन में व्यक्त किया है उन उद्गारों को कार्यान्वित करने के लिये उनको ठोस कदम उठाना पड़ेगा, केवल थोथे वायदे से यह काम नहीं होने वाला है। यों तो कोई नई बात मैंने उनके भाषण में नहीं पढ़ी। उन्होंने

जो कुछ कहा वह कोई ऐसी नई चीज नहीं है, जो वर्षों से कांग्रेसी शासन काल में न कही गयी हो और जिसको करने की दिशा में हमने कदम न उठाये हों। और मैं तो यह कहती हूं कि हम कहते तो कम थे, लेकिन करते ज्यादा थे। जिस समय कांग्रेस काल में कमलापति जी शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जे० टी० सी० और एल० टी० वाले अध्यापकों के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के ग्रेड में एकता कर दी थी और वह वेतन-क्रम की एकता सन् ६५ तक चली। यह तो आप लोगों की कृपा है कि आपने इस तरह से अध्यापकों को बहकाया, आपने उनको गुमराह किया और जब आज आप कुर्सियों पर बैठे हैं उनकी पैरिटी की बात भूल गये। डी०ए० समस्या के बारे में पे-राशनलाइजेशन कमेटी ने सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के जो वेतन-क्रम निश्चित किये थे, उनसे जो पहले केवल तीन स्केल थे, उसमें और भी खाईं चौड़ी हो गई। इसलिये आप जो अध्यापकों को सब्ज बाग दिखा रहे थे वह आपने कदापि पूरा नहीं किया है। ५ करोड़ की इस बजट में जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को यदि आप गौर से देखें तो यह वृद्धि वही है जो रुटीन वे में हर वर्ष सरकार को करनी ही पड़ती है। अध्यापकों के वेतन में जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, जो स्कूलों के लिये साजसज्जा होती है वह अनिवार्य रूप से करने होते हैं और उसमें यह बढ़ेगा ही बहुत सी ऐसी मदें हैं जिनमें बढ़ना चाहिये उसमें वह कर नहीं सकते और उन्होंने किया भी नहीं इस बजट के अन्दर। जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सुधार होने चाहिये थे जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ऐफीशियेंसी आ सकती थी उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। मैं एक छोटी सी बात ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से बताऊंगी। इलाहाबाद और झाँसी डिवीजन एक डिप्टी डाइरेक्टर के अंडर है। लेकिन आज बुन्देलखंड का इलाका विस्तृत हो चुका है। जहां सन् ४७-४८ में केवल एक कालेज था वहां बहुत से कालेज बन गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह था कि बुन्देलखंड के लिये एक अलग डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति होगी और मुझे भी व्यक्तिगत अनुभव है कि इलाहाबाद में शिक्षा निदेशालय का दफ्तर है, कितना अधिक कार्य वहां पर अफसरान को रहता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन वहां होना चाहिये था वह नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद की सेन्ट्रल लाइब्रेरी की ग्रांट को काट दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि किस दिशा में ये शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से आपको लाइब्रेरी की आवश्यकता अनुभव नहीं होती और इसीलिये आपने लाइब्रेरी की ग्रांट को काट कर रख दिया।

शिक्षा मंत्री जी ने विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को अपने हाथ में लेकर और शिक्षा संस्थाओं में जो अनियमिततायें हैं उनको दूर करके अच्छाई लाने की कोशिश करेंगे। आप यह बात कह कर फिर नवयुवक वर्ग को उभाड़ने जा रहे हैं। मैं आगाह करना चाहती हूं कि आप चिनगारी मत रखिये और यह मत सोचिये कि आप इस तरह से उनको गलत रास्ते पर ले जाकर कुर्सियों पर बैठे रहेंगे।

मुल्क को चलाने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति में मोड़ लाया जाय लेकिन मोड़ को लाने के लिये जरूरी है कि गम्भीरता के साथ उन खामियों को देखे जिससे वास्तव में शिक्षा की दिशा में सुधार हो सके।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आज शिक्षा अनुदान पर बहस चल रही है। जो शिक्षा की व्यवस्था आज यहां है और उसके कारण जो दुर्गति आज समाज की हो रही है विशेष कर अध्यापकों और छात्रों की वह सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ सुझाव जो मैं देने जा रहा हूं वह ऐसे हैं जिन पर हर व्यक्ति को गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों के बारे में मैं कह रहा हूं कि उनको बहुत आशा थी कि अब संयुक्त विधायक दल की सरकार बनेगी तो उनकी दशा में सुधार होगा लेकिन उस सम्बन्ध में हमें काफी निराशा हुई है। मान्यवर, एक बात हमारे सम्मुख विचारणीय है और वह बेरोजगारी फैलाने वाली शिक्षा के सम्बन्ध में है।

[श्री राम नरेश पांडये]

हमारे विद्यालयों में से जो विद्यार्थी निकल रहे हैं वे इधर-उधर ठोकर खाते फिरते हैं उनके लिये नौकरी का बड़ा सवाल है। उधर सबका ध्यान जाना चाहिये। हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय ने जो शिक्षा के विषय में रूप रेखा उपस्थित की है उसमें इस बात का संकेत नहीं है कि वह किस प्रकार से शिक्षा में प्रगति स्थापित करना चाहते हैं। हम देखते है कि चारों तरफ शहरों में लखनऊ या दूसरे शहरों में विद्यार्थी नौकरी के लिये चक्कर काटते दिखाई देते हैं। मेरा निवेदन है कि जो उनके पैरेन्ट का प्रोफेसन है हाई स्कूल पास करने के बाद उनको उसमें एफिशियेन्सी लाने का प्रयत्न करना चाहिये। सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिये। यह मैं समझता हूं कि यदि सरकार इस ओर अपना ध्यान दे तो उन लोगों को कुछ मदद हो सकती है। यदि कोई कारीगर है या लुहार है या इसी तरह का दूसरा कोई काम करता है तो उसमें उस लड़के को लगकर उन्नति करनी चाहिये। यदि इस तरह से इस पर ध्यान देकर काम किया जाय तो इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है।

इसी प्रकार से हमने शिक्षा संग्रहालय की बात देखी है। सरकार से उसको अनुदान भी मिलता है। मेरा यह कहना है कि इसके साथ ही यदि शहीद संग्रहालय भी उसमें हो जाय तो इससे समाज में एक राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। इसलिये हमारा यह कहना है कि यदि यह सरकार समाज को राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत करना चाहती है तो उधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इस बजट में उसके लिये भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार अपना ध्यान उधर आकर्षित करके शिक्षा संग्रहालय के साथ शहीद संग्रहालय भी स्थापित करे। इससे हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता लाने में मदद मिल सकती है। आयरिश पार्लियामेंट के सामने एक बहुत बड़ा शहीद स्मारक है जिससे समाज में राष्ट्री ता लाने में मदद मिलती है। हमारा ऐसा ख्याल है कि शिक्षा ऐसा विषय है जिस पर खुले दिमाग से विचार होना चाहिये। अगर हम शिक्षा को राष्ट्रीयता से दूर ले गये तो इससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। जिस तरह से आज नदियों पर बांध बन रहे हैं उसी तरह से शिक्षा का महत्व उससे कम नहीं है यह शिक्षा जगत में किसी प्रकार से असन्तोष रहेगा तो हम समाज को जो राष्ट्रीय रूप देना चाहते है वह नहीं दे सकते हैं। इसलिये शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वह समाज को कुछ दे सके और शिक्षक सन्तुष्ट हो सकें।

एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर कमलापति जी त्रिपाठी शिक्षा मन्त्री थे उनके समय में एक इन्टरमीडिएट ऐक्ट पास किया गया था। उससे अध्यापकों को काफी राहत दी गई थी। उससे राहत उनको मिली भी, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट के चंगुल से कभी-कभी वे छुटकारा नहीं पाते हैं और उनके पंजे के शिकार हो जाते है। बहुत सी संस्थायें खुली हुई है जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि आज वह व्यापारी संस्था हो गई है तो उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इन शिक्षा सं थाओं का जब तक यहां पर राजनैतिक दृष्टिकोण रहेगा तब तक वह राजनैतिक अड्डा बना रहेगा और उस समय तक शिक्षा का विकास भी यहां पर नहीं हो सकता है। इसलिये मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस बात को देखे और यह चीज दूर करे।

एक बात मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय रामायण राय जी ने यह कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में घसीट लेने के बाद शिक्षा संस्थाओं में दूषित वातावरण पैदा हो जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों को राजनीति में घसीट लेने का प्रश्न नहीं है। जब डेमोक्रेटिक एक्सपैरिमेंट हमारे मुल्क में हो रहा है और हमको अपने देश में या अपने प्रदेश में इस जनतंत्र को चलाना है तो फिर किसी के लिये घसीटने का प्रश्न नहीं है। जब कोई उधर अपनी रुचि रखेगा तो वह स्वयं उधर आयेगा। विद्यार्थी भी इसी प्रकार से उधर अपने आप ही आयेंगे। हम इस सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि पैट्रायट (Patriot) में एक स्थान पर सी० डी० देशमुख जी का वक्तव्य छपा हुआ है जिसमें

उन्होंने लिखा है कि "मेरी शिकायत यह है कि विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेता है।" राजनीति में सक्रिय भाग लेने का मतलब यह है कि वह झंडा लेकर चले या अपनी ड्यूटी न करें। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग देनी है तो उसको ऐसे माहौल में अलग रख कर उसके लिये ऐसी ट्रेनिंग देने की बात हम नहीं सोच सकते हैं।

अभी शिक्षा मन्त्री जी ने जिला परिषदों की ओर से जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया। इसको भी हम अलग रख कर शिक्षा बढ़ाने की बात को नहीं सोच सकते हैं इसमें कोई दो रायें नहीं सकतीं कि हमारे जिला परिषद् के अध्यापक आज राजनीतिक कारणों के शिकार हैं। लेकिन उनकी व्यवस्था कैसे होगी यह समझ में नहीं आता। आप कैसे वहां पैसे की बर्बादी को रोक सकेंगे, कैसे उनका प्रबन्ध करेंगे इसका पूरा नकशा यहां सामने आना चाहिये था। यह सही है कि जब तक आप शिक्षा का प्रान्तीयकरण नहीं करेंगे और सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के बीच की खायी को नहीं समाप्त करेंगे, जब तक हम कांवेंट और दन टाइप स्कूलों की व्यवस्था को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी एजूकेशन दे ही नहीं सकते।

मान्यवर, आप तो शिक्षा शास्त्री हैं। जो तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनके अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसके लिये सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं। उस दिशा में अमेंडमेंट ऐक्ट एक सराहनीय कदम था। वैसी ही कुछ बात सरकार की ओर से आयी होती तो कुछ राहत मिलती, लेकिन उस कानून के बावजूद भी, उसमें जो कमियां और खामियां रह गयी हैं उनकी ओर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये था। चाहे कोई भी सरकार हो इधर की या उधर की, अगर प्रदेश का अध्यापक असंतुष्ट रहेगा तो काम चल नहीं सकता और यदि वह असंतुष्ट रहा तो वह किसी भी सरकार को चैन से चलने नहीं देगा। मैं एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। "देयर इज ए लल बिफोर दि स्टार्म।" अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता जुड़ा होता है। बिना अध्यापक के विद्यार्थी की मर्यादा नहीं रहती और बिना विद्यार्थी के अध्यापक आगे चल नहीं सकता। सरकार ने हमारे असंतोष की शान्ति के लिये कुछ भी नहीं किया है और इसलिये किसी भी दिन अध्यापक सिर उठा सकता है।

हायर सेकेंडरी स्कूल की एजूकेशन हमारे शिक्षा की रीढ़ है। यू० जी० सी० की रिपोर्ट, हमारे डा० राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट आदि जो सामने हैं, चाहे वह पोलिटिकल फिलासफर हों अथवा एजूकेशनिस्ट, सभी ने कहा है कि शिक्षा की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये। इस बात से संतोष होता है, लेकिन इस ओर हमें कोई संकेत इस बजट में नहीं मिला। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भाषण में इम्मोशनल इंटीग्रेशन की बात कही। तो क्या उर्दू को हमेशा के लिये उपेक्षित छोड़ दिया जायगा? हमें उत्तर प्रदेश की भाषाओं को पनपने देना चाहिये और इसके लिये उनको अवसर मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने उर्दू के साथ सलूक ठीक नहीं किया। उसे वही दर्जा मिलना चाहिये कि जो अन्य भाषाओं का है। इसलिये उर्दू की तालीम और तरक्की की व्यवस्था होनी चाहिये जैसे अन्य भाषाओं की है। अन्त में एक लाइन ही कहूंगा कि कान्वेंट और दून टाइप स्कूल तोड़े जायं, फैशन परस्त, स्कूल तोड़े जायं और धूल धूसरित गांव के रहने वाले विद्यार्थी और शहर के बीच में रहने वाले विद्यार्थियों के बीच में जो अन्तर है उसे समाप्त किया जाय और हायर सेकेंडरी अध्यापक की मांग ऐसी नहीं है कि जिसे कोई सरकार नजर अन्दाज करे, अगर उसे नजर अन्दाज किया जायगा तो बुरा होगा।

श्री चन्द्र सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनने का मौका मिला और जो भाषण हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया उसको भी मैंने समझने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि....

श्री रामायण राय--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में न तो इस समय शिक्षा मंत्री जी हैं और न उप शिक्षा मंत्री जी और आप ने व्यवस्था दी है कि इन लोगों को इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहिये। मान्यवर, आप को स्मरण होगा कि आज से दो दिन पहले ऐसे ही अवसर पर लोक सभा के विरोधी दलों ने जिस समय तक वहां वांछित मंत्री आ नहीं गये उस समय तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग के मंत्रियों को बुलाने के लिये तो इनसे कहें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बधाई देता हूं कि आप संतुलित ढंग से काम करना चाहते हैं लोक सभा के लोगों से, ऐसा आपका इरादा है। मैं इसके बारे में कह चुका हूं। इस सदन में कई दफा पिछले सालों में जब यह प्रश्न आया तो हमेशा यह कहा गया कि अगर और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं तो काफी हैं। लेकिन मैंने अभी कहा था कि यह बिलकुल ठीक है, उचित और शोभनीय यही है कि जिस संबंधित मंत्री की डिमांड यहां प्रस्तुत हो उनका यहां रहना अच्छा है—यही मैं दोबारा कह सकता हूं।

उद्योग उप मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)—

मैं माननीय सदस्य के सुझाव नोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप ही नहीं, और भी कर रहे हैं। मैंने इसलिये अधिक नहीं कहा क्योंकि मंत्रिमंडल की सामूहिक रेस्पांसिबिलिटी होती है। जब ३–४ मंत्री बैठे हैं तो काफी हैं, लेकिन वांछनीय यही है कि जिस मंत्री का अनुदान इस सदन में उपस्थित हो वह कम से कम, अथवा उनके सहायक उप मंत्री कोई तो होने चाहिये।

श्री चन्द्र सिंह रावत—

अध्यक्ष महोदय, मेरे समय का ध्यान रखियेगा। जो इंटरफियरेंस हो गया उसका कुछ समय मिलना चाहिये। मैंने विस्तारपूर्वक शिक्षा के विषय पर उनके विचार सुने और कुछ मुझे अपील किये हैं, लेकिन मुझे महान खेद है कि जिस देश की शिक्षा आज भी दुनियां की सारी कौमों के अन्दर पुराना इतिहास जिसकी गौरव गाथा उपस्थित करता है उस देश की शिक्षा की आज यह हालत हो। हमारे देश की शिक्षा केवल इंसान की जिन्दगी ही को ऊंचा उठाने के लिये उपयुक्त नहीं थी, बल्कि मौत के बाद की जो दूसरी जिन्दगी है उसके उत्थान के लिये भी व्यवस्था हमारे शिक्षा में थी और उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारे पूर्वज कह गये कि हमारी जो अविद्या थी वह तो मृत्यु के जाल से उसको पार कर दिया करती थी और जो विद्या थी वह अमृतत्व को प्रदान कराती थी। इसलिये हमारी विद्या केवल इस जिन्दगी को सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि मौत के बाद भी हमारी आत्मा को शान्ति प्रदान करने की शिक्षा हमारे देश के अन्दर थी। यह अनोखी शिक्षा केवल भारत वर्ष के अन्दर थी, अन्यत्र नहीं थी। आज उस शिक्षा की यह हालत हो गयी कि भले ही शिक्षा का विस्तार हुआ, प्रसार हुआ इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें जो तब्दीलियां लायी गयीं, जो हेर-फेर कर दिया गया, मैनेजमेंट डी० ए०, सेलरी और कंट्रोल में तब भी शिक्षा के कंटेंट्स में, जो पाठ्यक्रम है, जो हमारे बच्चों के फिजिकल, मेंटल, और मारल तीनों डेवलपमेंट्स को हेल्प कर सकती है उसमें क्या तबदीली लाई गयी, मैं पूछना चाहता हूं? हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे शिक्षा के मंत्री रहे और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रहे, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैंने देखा कि बहुत से वाइस चांसलर एक्सेंट्रिक्स थे उनके दिलो दिमाग बुझे हुए थे, वह मुल्क को क्या जीवन प्रदान कर सकते थे? हमारी सरकार ने

सब विभागों में प्लानिंग को अडाप्ट किया, लेकिन यही एक विभाग है जिसमें प्लानिंग नहीं हुआ ? हमारे बच्चों का मेंटल, फिजिकल, मारल डेवलपमेंट भी इसी कारण से नहीं हो सका। बताइये, कौन सी शिक्षा पद्धति आपने अपनायी ? उनके मारेल को डवलप करने के लिये कौन सी पद्धति आपने अपनायी ? मुझे अफसोस है कि अंग्रेजी जमाने की उधार खाते की शिक्षा पद्धति आज भी पनप रही है। मैं आपके द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी सिस्टम्स आफ एजूकेशन हैं वे अगर वहां की सर जमीन के मुताबिक नहीं है तो वे कहां पनप नहीं सकते। योरोप की शिक्षा पद्धति को अगर आप भारतवर्ष में लागू करेंगे तो वह शिक्षा यहां के लिये बेकार साबित होगी। लोगों की जीनियस के मुताबिक यहां की सरजमीन के मुताबिक यहां की शिक्षा पद्धति जब आप लागू करेंगे तभी प्रदेश का भला होगा। अगर आप अच्छे इतिहासकारों को पैदा करना चाहते हैं, अगर आप स्वतंत्र दिमाग के लोगों को पैदा करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक अपने यहां पैदा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी शिक्षा के कन्टेन्ट को बदलना होगा, शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। जिन लोगों के दिमाग में अब भी अंग्रेजी की बू भरी हुई है, मैं कहना चाहता हूं उनके दिमाग खोखले हो गये है। जहां फरिश्ते, श्रीमन्, कदम रखते हुये भय खाते हैं, वहां बेवकूफ स्वच्छन्द होकर घूमा करते हैं।

आज हम इतने जो पिछड़ गये हैं उसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि हम लोगों में सहनशीलता नहीं रह गयी है। हमने किताबें तो पढ़ी है, मगर किताबों के कन्टेन्ट को समझा नहीं है। हमने वेदों को पढ़ा है मगर उनको समझा नहीं है। इस मानी में हमारी यूनिवर्सिटी फेल हो गयी है। उसने इन्सान नहीं पैदा किया, स्वार्थी पैदा किये। मैंने एक बार यहां कहा था कि फौज में किस प्रकार के लोगों को भर्ती किया जाता है। मैने सन ५४ में अपने विचार प्रकट किये थे। मैंने कहा था कि आपने गलत लोगों को गलत जगह पर रखा है। इसलिये गलत जगह पर गलत लोगों को रख देने से कभी आपका देश तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो तूफान बोता है उसको तूफान काटना पड़ता है। हमारे जनसंघ के भाइयों ने जनता को बहकाया है, उसको उभारा है, तूफान आपके सामने आया। अगर हमारे जनसंघ के भाइयों ने मुल्क के रिसोर्सेज को देखा होता और उसी तरह से आश्वासन दिये होते तो आप फलीभूत हो सकते थे। क्या झूठे आश्वासनों से भूखों को रोटी मिल सकती है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, मुझे थोड़ा सा समय और दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप एक मिनट और बोलिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

माननीय शिक्षा मंत्री ने पहाड़ों और चट्टानों पर रहने वालों का कोई खयाल नहीं किया। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार हम पहाड़ों के रहने वालों को भार समझती है ? अगर भार समझती है तो इस भार को हटा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

***श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--**

अध्यक्ष महोदय, आज जिस ग्रान्ट पर कटौती का प्रस्ताव है मैं उसका विरोध करता हूं। आज अभी हमारे पूर्व साथी जो बोल रहे थे उनको ज्यादा समय अगर मिलता सदन को ऐसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू बदरे]

इच्छा थी। वे बड़े ही जोश में और बहुत ऐसी बात कह रहे थे जिससे हम लोग समझ रहे थे कि इनको भी कुछ तकलीफ पहुंची थी पिछली सरकार से। वे भूल गये। और किसी और तरीके से फिर विचार रखने लगे। शिक्षा के ग्रान्ट पर शिक्षा मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया है। उसमें सही है कि माध्यमिक शिक्षा संघ के लोगों को थोड़ा खेद पहुंचा है। वे इस ग्रान्ट से बहुत ज्यादा आशा रखते थे कि हमारी कुछ मांगें यह सरकार पूरी करेगी। जिस तरीके से अपनी तमाम मजबूरियों के बावजूद इस सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दस करोड़ रुपया दिया इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा संघ के लोगों को भी देंगे। जब उनको केवल आश्वासन ही मिला तो केवल निराशा ही आई। इसी तरीके से हमारे कानपुर के मिस्टर ग्राईस साहब थे। उन्होंने अपनी तकरीर में अंग्रेजी की वकालत की। शायद उनको यह पता नहीं है कि इस देश और प्रदेश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। मैं जानता हूं कि उनको अपनी प्राईमरी जबान की वकालत करने का हक हासिल है। यह नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी का खयाल नहीं किया गया तो देश का बंटवारा हो जायेगा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने एक उदाहरण कमेटी का दिया था कि उसमें सभी धर्म, मजहब और खयाल के लोग थे जिन्होंने यह कहा कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो। जहां कमेटी की सिफारिश में सूबाई भाषा और प्रान्तीय भाषाओं का जिक्र भी किया गया था उसमें वित्त मंत्री ने उर्दू को भी कमेटी का सहारा दिया था, उसमें कुछ तसल्ली थी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने उसका कोई जिक्र अपने भाषण में नहीं किया है। मैं समझता हूं कि उनको करना चाहिये था। २० साल के बाद कांग्रेस सरकार का जो पतन हुआ उसके कुछ खास कारण हैं। कुछ बुनियादी चीजें थी जिनको ये लोग आजादी के जोश में, गद्दी के जोश में भूलते चले गये जिससे इस देश और प्रदेश के लोगों में उनके प्रति अविश्वास सा पैदा होने लगा।

जहां तक भाषा का ताल्लुक है मैं जिस जोरदारी से अंग्रेजी को हटाने की बात कहता हूं उसी जोरदारी से इस सूबे में उर्दू की हिमायत करता हूं। जिस तरह से हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है उसी तरह से उर्दू भी यहां की सेकेंड जबान है। इसके साथ लगातार नाइन्साफी होती चली आयी है। कानपुर में सियासत नाम का एक अखबार है, जब विरोधी पक्ष को अपनी कोई बात रखनी होती है तो वे सियासत को लाकर सामने रख देते हैं। उर्दू केवल यहां के मौलवी लोगों की भाषा नहीं है बल्कि प्रदेश में जो भी हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान या पंजाबी या ईसाई रहते हैं उन सबकी जबान है। जो जिस जबान को पढ़ता है उसका हक होता है कि वह उस जबान के मामले में अपनी राय दे। अगर कांग्रेस के लोग संयुक्त विधायक दल के साथ इस तरह की बात करना चाहते हैं तो उनको जो मांगें हैं उनमें दूसरे लोगों को मदद करनी चाहिये। इस मामले में जब भी कोई आवाज उठाई जाती है तो हमेशा भाषा के मामले में हम देखते हैं कि कांग्रेस के लोग जातीयता के आधार पर सारी बातों को देखते हैं। यह मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता, लेकिन यह सच है कि मौलवी टाइप के मुसलमानों को ही उन लोगों ने बढ़ावा दिया। यह तो उन सब लोगों की जबान है जो उर्दू पढ़ते लिखते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट अपना दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने उर्दू को मुसलमानों की भाषा मान कर ही उसे अक्लियत की भाषा कहा है। मुसलमानों की नजर से उन्होंने यह बात कही है, सही है लेकिन मेरे खयाल से इस सूबे के अधिकतर लोग हिन्दी के बाद उर्दू को ही पढ़ते हैं इसलिये हिन्दी के बाद सेकेंड जबान उर्दू ही होनी चाहिये।

हमारे एक साथी ने कहा कि अंग्रेजी के बगैर इस देश व प्रदेश का काम ही नहीं चल सकता है। मैं समझता हूं कि जब तक लोगों के दिमाग में यह बात रहेगी कि अंग्रेजी के बगैर इस देश का काम नहीं चल सकता है उस वक्त तक कोई सही बात लोगों के कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। यह मेरी राय अकेले की नहीं है, हाउस के लोगों की भी है। मैं हमेशा सही बात कहता हूं। उर्दू के दोस्तों को बड़ी आशा थी कि यह सरकार उर्दू को इस सूबे की सेकिंड जबान करार देगी, लेकिन मालूम होता है कि सरकार के दिमाग में यह बात है कि यह अकेले मुसलमानों की ही जबान

है। मान्यवर, मेरे दोस्त लोग उर्दू मुहाफिज दस्ते के नाम पर कुछ लोगों से उर्दू के नाम पर अनशन करवा रहे ह लेकिन उससे क्या होना है।

मेरे एक दोस्त ने अकबर बादशाह को महान अकबर कहा है; लेकिन मैं अकबर को महान नहीं मानता क्योंकि अकबर बादशाह ने हमारे देश के चरित्र को गिराया। सब लोगों को यह अच्छी तरह मालूम है कि चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, जब तक धार्मिक तरीके से उसकी शादी न हो उसकी औलाद को जायज औलाद नहीं माना जाता। अकबर बादशाह की औलाद जो जहांगीर था वह उसकी नाजायज औलाद ही थी। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे जीवन में एक जहर डाल दिया और उस जहर का असर अब तक मौजूद है। मुगल खानदान में औरंगजेब को बदनाम किया गया है, लेकिन वही तो शाही बादशाह था। हो सकता है कि पंडित और मुल्ला लोग उससे नाराज रहे हों, लेकिन इतिहास बताता है कि उसने सदा अपनी ही कमाई का पैसा खाया, ईमानदारी से रहा लेकिन इतिहास ने अकबर को ऊंचा बताया है और वह समाज को गिराने के लिये ही किया गया। ऐसे इतिहास से देश को नुकसान हुआ है क्योंकि इसीलिये तो उसको तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। कांग्रेस के लोगों ने भी इस जहर के बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन हमने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। उसीका नतीजा है कि आज देश में दुर्व्यवस्था है। मैं कहता हूं कि अगर यह सरकार ही कुछ सुधारना चाहेगी तो सुधार होगा और अगर नहीं चाहेगी तो अभी नहीं हो पायेगा। लेकिन उसके द्वारा जो सुधार हो रहा है, उससे आशा है कि सुधार अवश्य होगा। अगर यह सरकार या जनसंघ के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों को उर्दू के बारे में कुछ करना ही चाहिये था जिन लोगों ने वोट लेने के लिये उनसे वायदा किया था। आज उनका वह दिमाग और दिल कहां है? लेकिन उनको यह बात कहने का हौसला कहां है? जब तक इस देश में वोट के लिये ही कोई बात कही जाती रहेगी, तब तक देश का सुधार नहीं हो पायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस ग्रान्ट का जो प्रस्तुत की गयी है, समर्थन करता हूं।

लोक लेखा, प्राक्कलन एवं ३५ स्थायी समितियों के निर्वाचनार्थ परिवर्तित कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

अब मैं सूचना देना चाहता हूं। विधान सभा द्वारा जो समितियों का चुनाव होने वाला था, उसके लिये नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि ६ जुलाई थी। लेकिन मेरे पास दोनों पक्षों की ओर से एक सम्मिलित प्रार्थना आयी है। वे चाहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हो पाया, इसलिये इसका समय आगे बढ़ा दिया जाय। मैंने उसको स्वीकार कर लिया है, यद्यपि मैं यह समझता हूं कि जब एक बार कार्यक्रम घोषित हो जाय तो यह प्रयत्न होना चाहिये कि उसका पालन हो और उसमें परिवर्तन न करना पड़े। लेकिन विशेष परिस्थितियों को समझ कर मैंने उसको स्वीकार कर लिया है और १४ जुलाई उसके लिये अन्तिम तिथि रखी है। कार्यक्रम इस प्रकार होगा:—

१४ जुलाई, १९६७—सायंकाल ४ बजे तक	..	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय।
१७ जुलाई, १९६७—सायंकाल ३ बजे	..	नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा। (सचिव विधान सभा के कमरे में)
२० जुलाई, १९६७—सायंकाल ५ बजे	..	नाम वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय।
२७ जुलाई, १९६७—१२ बजे से ५ बजे तक	..	विधान वाचनालय में निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय नेकराम शर्मा की आयी थी, लेवी के संबंध में होने वाली ज्यादतियों के बारे में। इस पर कई बार सदन में बातचीत हो चुकी है। इसलिये मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, इस में कुछ नये तथ्य दिये गये हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस घरों में जाकर छापे मार रही है।

श्री अध्यक्ष---

अभी तो कई मांग आयेंगी, उस समय आप कह सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा---

अगर उस मांग पर बोलने का मौका नहीं मिला तो किस प्रकार से वह अपनी बात कह सकेगा। लोक सभा में, जेल में हुई घटना के संबंधमें अभी एक कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। बहस हुई और उसकी ग्राउंड आगे आने वाली थी। जो अनुदान आगे आने वाले हैं उससे संबंध की बात नहीं है.....

श्री अध्यक्ष---

लोक सभा के निर्णयों से अव्वल तो हम बाध्य नहीं हैं, लेकिन लोकसभा के और यहां के मामले में इस विषय में अंतर यह है कि इस विषय पर यहां तो काफी बहस अब तक हो चुकी है, तथ्य तो बदलते रहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा---

जब उप मुख्य मंत्री की बात होती है तो आप लोक सभा की परम्परा को मान लेते हैं और इस मामले में आप वहां की बात को यहां नहीं मान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह ठीक है कि हम लोक सभा से प्रकाश लेते हैं, लेकिन उनके निर्णयों से हम बाध्य नहीं हैं, यहां की परिस्थिति और तथ्यों में भेद हो सकता है। अब आप बैठें।

मिर्जापुर जिले में खरीफ की बोवाई के लिए बीज एवं तकावी न दिए जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास नियम ५१ में कुछ सूचनायें आई हैं इन सब में से मैंने एक श्री रामनाथ पाठक, मिर्जापुर की सूचना को स्वीकार किया है। यह मैं मंत्री जी के पास वक्तव्य के लिये भेज रहा हूं। यह सूचना इस प्रकार है---"मिर्जापुर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सरकार ने खरीफ की बोआई के लिये बीज देने का एलान किया था किंतु पानी बरसने के बाद और जुलाई की दूसरी तारीख तक किसानों को बीज और तकावी नहीं दी जा सकती है। इतना ही नहीं, पता यह भी चला है कि सरकार ने इस भयंकर सूखा ग्रस्त इलाके में भी केवल ६ एकड़ बोने तक के लिये ही बीज दिया जा रहा है। सरकार की इस नीति से मिर्जापुर जिले के किसानों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है।" क्या मंत्री जी इस पर अभी वक्तव्य दे सकेंगे?

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

सोमवार को शाम को वक्तव्य हो जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर))---

सोमवार तो अभी काफी दूर है, हम चाहते हैं कि मंत्री जी बुआई का बीज अब जल्दी ही वहां पहुंचवायें.....

श्री अध्यक्ष---

जो वक्तव्य होगा उससे तो बीज नहीं मिलेगा, ध्यान आकृष्ट करने का ध्येय था और वह हो गया । जो किसानों के हित में होगा वह हो जायगा और वक्तव्य भी सोमवार को हो जायगा ।

(व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमन्, यह जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर अगर किसी कार्यवाही की कोई आवश्यकता हुई तो फौरन ही आदेश दे दिये गये हैं कि वह की जाय । अगर सूचना सही होगी तो सारी कार्यवाही रिपोर्ट आने के पहले हो जायगी ।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)---

मैं बीज के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मंत्री जी यह व्यवस्था कर दें कि बीज वहां फौरन पहुंच जाय, अगर एक सप्ताह तक बीज नहीं पहुंचा तो बहुत खेती का नुकसान हो जायगा ....,

श्री अध्यक्ष---

पाठक जी, आप बैठें ।

मंत्री जी ने जो कहा उसके बाद मैं समझता हूं कि अब कुछ कहने की कोई गुंजायश नहीं रहती। सोमवार को वक्तव्य देना निश्चित हो गया है और मंत्री जी ने अभी यह भी आश्वासन दे दिया है कि यदि इस सूचना के आधार पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो रिपोर्ट का इन्तजार किये बगैर आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जायगी। इसके लिये मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये और संतुष्ट होना चाहिये ।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

इसके बाद यह एक और मेरे पास कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से आया है, इस में बाबू बदरे भी हैं । इसमें है कि कानपुर के अन्तर्गत लक्ष्मी रतन काटन मिल के मजदूर लम्बे अर्से से मिल बन्द रहने के कारण भूखे मरने की हालत में हो गये हैं। इस संबंध में मैं यह निवेदन कर दूं कि जब नियम ५१ के अन्तर्गत मैं एक सूचना को स्वीकार कर चुका हूं तो फिर दूसरी को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है । लेकिन पर्याप्त महत्वपूर्ण समझते हुये मैं कुछ सूचनाओं को माननीय मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज देता हूं । शेष भी जितने मेरे पास आते हैं, उनको मैं सरकार के पास भेज देता हूं ताकि जिस बात की ओर माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो जाय।

श्री राजाराम पांडेय (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मेरी भी छितौनी बांध के बारे में एक प्रार्थना थी । पिछले वर्षों में वहां पर कई बार बाढ़ आयी है । लाखों रुपये की क्षति हुई है । लाखों आदमी बेघर बार हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पांडेय जी, आप कृपया बैठें। मैं हर माननीय सदस्य की बात सुनने को तैयार हूं लेकिन नियमों के अन्दर ही ऐसा हो सकता है।

श्री राजा राम पांडेय—

श्रीमन्, जो आदेश आपने दिये, वे तो शिरोधार्य हैं, लेकिन मेरा कहना है कि.....

श्री अध्यक्ष—

जो सूचनायें नियम ५१ के अन्तर्गत मेरे पास आती हैं, अगर उन पर सारे माननीय सदस्य अपनी-अपनी सूचनाओं के पक्ष में समर्थन करने लगें तो बड़ा मुश्किल हो जायगा। नियमानुसार मैंने एक सूचना स्वीकार कर ली है। यह माना कि यह भी महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। इसको भी मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है और उनका ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री राजा राम पांडेय—

श्रीमन्, कृपया इस पर भी एक वक्तव्य दिला दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पांडेय जी, मैं मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता हूं। अगर वे स्वयं कोई सूचना देना चाहते हैं तो दे दें ?

श्री राजा राम पांडेय—

इस समय मंत्री जी तो यहां नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

तो यह दुर्भाग्य है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, यह एक अहमियत का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, यदि छितौनी बांध के संबंध में कुछ सूचना देना चाहते हैं तो दे दें ?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

हमें छितौनी बांध के संबंध में जो करना था वह हमने कर दिया है। यह भी पता चला है कि भविष्य में जो बाढ़ आने की आशंका है उससे उसको कोई खतरा नहीं होगा। फिर भी जो सूचना माननीय सदस्य देना चाहें विभाग की लापरवाही के बारे में या और कोई तो उससे मुझे अवगत करा दें, मैं देख लूंगा।

श्री राजाराम पांडेय—

श्रीमन्, वहां पर व्यक्तिगत सूचनायें हैं।

श्री अध्यक्ष—

सूचना का सवाल नहीं है। एक परिपाटी का सवाल है। मैंने आपके आग्रह से माननीय मंत्री जी से कहा था कि अगर वे कुछ कहना चाहें तो कह दें। उन्होंने अपने वक्तव्य में कह दिया है कि यदि आपको कोई सूचना हो या आपको कोई खतरा अनुभव होता हो तो उससे उनको आप अवगत करा दें। मैं पब्लिसिटी का माध्यम नहीं बनना चाहता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनायें आपके पास आती हैं, नियमानुसार आप उनमें से एक को स्वीकार करते हैं और शेष को माननीय मंत्री जी के पास भेज देते हैं। मेरा निवेदन है कि यह तो माननीय सदस्य स्वयं ही भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजने में एक महत्व होता है। मेरी प्रार्थना है कि जो सूचनायें माननीय मंत्री जी को भेजी जायं, उनके बारे में कम से कम आपको या माननीय सदस्य को बता दें कि उस पर क्या हुआ है। १५ साल से यह चला आ रहा है और आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया कि क्या कार्यवाही हुई। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि या तो आप यह कर दें कि एक ही आपके पास सूचना दी जाय और या यह कर दें कि जो आप संबंधित मंत्री के पास भेजते हैं, उसके बारे में उस पर क्या कार्यवाही हुई है, आपको या संबंधित माननीय सदस्य को बता दें कि उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, जो बात आपने कही उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि नियमों के अन्तर्गत मेरे ऊपर दायित्व है कि मैं जितनी सूचनायें मेरे पास आयें, उनमें से एक को स्वीकार कर सकता हूं। एक से ज्यादा नहीं। उस के बाद मैं यह समझता हूं कि वह सूचनायें अगर मेरे कार्यालय में रह जायं तो जो माननीय सदस्यों का लक्ष्य है वह उतनी हद तक पूरा नहीं होता। इसलिये मैं सरकार के पास भेज देता हूं। उस में भी कभी अगर मैं आवश्यक समझता हूं विशेष कार्यवाही के लिये, तो वक्तव्य करवा देता हूं। अब नयी सरकार की परम्परा आप देखें। अगर आप को असंतोष हो तो आप प्रश्नों से पूछें या नियमों में परिवर्तन करें। लेकिन जब तक नियम हैं उन से बाहर जा कर मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

मेरी नियम ५१ की एक सूचना थी.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

१९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा (क्रमागत)

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अनुदान पर माननीय शिक्षा मंत्री का भाषण बड़े गौर से सुना। इस सदन में शिक्षा मंत्री आपके कहने के अनुसार इस वक्त भी सदन में शायद मौजूद नहीं हैं। वह सदन से चले गये। कोई बात नहीं।

(आवाजें—बैठे हैं)

शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई बात नहीं बतायी जिससे यह संतोष होता कि शिक्षा के संबंध में कोई आमूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। उनके भाषण से यह भी पता नहीं चलता कि शिक्षा का आदर्श वह क्या स्थापित करने जा रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने केवल यह कहा कि हमारी शिक्षा का आदर्श केवल यह रहेगा कि जो कुछ गलतियां हैं उन को ठीक कर पायेंगे तो वह हमारी शिक्षा का आदर्श रहेगा। दूसरे यह बताया कि शिक्षा के अन्दर क्या परिवर्तन करेंगे। छः महीने के शासन के पश्चात् माननीय शिक्षा मंत्री जी ने समय-समय पर इस प्रदेश में जा कर जो घोषणायें कीं, उन का इनके भाषण में कुछ भी प्रतिबिम्ब नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड को समाप्त करने जा रहे हैं लेकिन आज के भाषण में श्रीमन्, उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

जिक्र नहीं हुआ शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम जितने भी कालेजेज हैं उन कालेजेज के प्रिंसिपल्स की पोस्ट को प्रोविन्शियलाइज करने जा रहे हैं। लेकिन आज उनके भाषण में केवल हेड मास्टर, जो प्राइमरी स्कूलों के हैं उन्हीं के बारे में जिक्र आया है कि उनके ऊपर विचार कर रहे हैं। उन से बड़ी आशाएं थीं बड़ी पार्टी के वह उप मुख्य मंत्री हैं और उसी पार्टी का खास तौर से इस प्रदेश में शासन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब अपना भाषण आप कल जारी रखें। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
५ जुलाई, १९६७ ।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

(१) नया बाजार द्वारा खरीद के भाव

१—२३० कु० गेहूं रु० ८९ प्रति कु० के भाव से
२—६९५ कु० गेहूं रु० ९० प्रति कु० के भाव से
३—१४७ कु० चावल रु० १५४–५० प्रति कु० के भाव से
४—६९३ कु० चावल रु० १४९–५० प्रति कु० के भाव से

(२) लखनऊ केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार चौक द्वारा खरीद के भाव

१—२३० कु० गेहूं रु० ६८ प्रति कु० के भाव से
२—२२६ कु० गेहूं रु० ७४–१४ प्रति कु० के भाव से
३—२१८ कु० गेहूं रु० ७१–४२ प्रति कु० के भाव से

(३) नया बाजार द्वारा बिक्री के भाव

१—५१–६० कु० गेहूं रु० १०० प्रति कु० के भाव से
२—४–६५ कु० चावल रु० १८० प्रति कु० के भाव से

(४) लखनऊ केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा बिक्री के भाव

	मात्रा (क्विंटल) (१)	दर (२)
१—गेहूं	२९८–१७–७००	७८ रु० प्रति क्विंटल
	५८–७०–८००	८१ रु० प्रति क्विंटल
	१०२–७०–२००	८४.५० रु० प्रति क्विंटल
	१०८–०९–००	८६ रु० प्रति क्विंटल
	७३–३१–९००	८८ रु० प्रति क्विंटल
	३३–१२–५००	९० रु० प्रति क्विंटल
	१७०–८५–८००	९१ रु० प्रति क्विंटल
	८४५–०७–९००	
२—चावल	८–८३–४००	१६३ रु० प्रति क्विंटल
	५८–४–५००	१६५ रु० प्रति क्विंटल
	२७–३३–३००	१६८ रु० प्रति क्विंटल
	३१–४८–३००	१७० रु० प्रति क्विंटल
	३३–५८–८००	१७५ रु० प्रति क्विंटल
	१५९–२८–३००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ १९९ पर)

अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तुत माने गये अन्य कटौती के प्रस्ताव

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री श्रीराम तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री रामायण राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—परीक्षा पद्धति में सिद्धांत विहीन परिवर्तन की नीति की ओर जाने के प्रयास तथा दसवीं दरजे की फीस माफ न कर सकने एवं सरकारी अध्यापकों के वेतन मान के बराबर गैर सरकारी विद्यालयों का वेतन मान न करने की आलोचना।
३	इन्द्रमणी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य—निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना— (१) पर्वतीय जिलों खास कर टिहरी गढ़वाल में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान न दिया जाना (२) टिहरी गढ़वाल में डिग्री कालेज की स्थापना के लिये कोई ध्यान न दिया जाना। (३) टिहरी गढ़वाल के शिक्षकों की समस्या को हल करने की दिशा में कोई कदम न उठाया जाना।
४	श्री चन्द्रबली	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) दसवीं व १२ वीं कक्षा में सिर्फ अंग्रेजी में फेल छात्रों को पास कराना। (२) उर्दू को प्रदेश की दूसरी जुबान करार देना। (३) प्रारम्भिक पाठशालाओं की एकरूपता हेतु सुझाव देना तथा पुरानी नीति की आलोचना करना।
५	श्री चन्द्रसिंह रावत	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये पाठशालाओं का विस्तार, अध्यापकों की वेतन वृद्धि तथा अध्यापकों की कमी को दूर करने के विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
६	श्री कृष्ण सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---अध्यापकों की वेतन वृद्धि, शिक्षा में क्रांतिकारी मोड़ के अभाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाना ।
७	श्री राज किशोर तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---शिक्षा नीति की आलोचना तथा सुझाव जैसे कि--- (१) सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों के वेतन क्रम में अन्तर की ओर ध्यान दिलाना, (२) समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित करना, और (३) छात्रों की शिक्षा को हाई स्कूल तक निःशुल्क किया जाना ।
८	श्रीलालबहादुर सिंह	शिक्षा के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---शिक्षा नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
९	श्री राजनाथ सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---शिक्षा संबंधी नीति की आलोचना करना और शिक्षा क्षेत्र में प्रगति लाने के लिये समुचित सुझाव देना ।
१०	श्री राम दुलारे	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---सामान्य चर्चा और आलोचना।
११	श्री कालीचरण अग्रवाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—(१) शिक्षा प्रणाली एवं परीक्षाओं के ढंग में आमूल चूल परिवर्तन करने पर चर्चा, (२) विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासन के कारणों पर प्रकाश डालना तथा अनुशासनहीनता समाप्त करने पर प्रभावशाली सुझाव, (३) शिक्षकवर्ग के वेतन बढ़ाने पर चर्चा करना और किताबों के छपवाने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालना ।
१२	श्री वीर बहादुर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		कमी करने का उद्देश्य—निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना— (१) निर्धन एवं योग्य छात्रों को छात्र-वृत्ति की संख्या में बढ़ोत्तरी अत्यधिक नहीं किया गया है। (२) १० वीं कक्षा तक लड़कों की फीस माफ नहीं की गई है। (३) छात्राओं की शिक्षा में उदासीनता की ओर संकेत है। (४) सरकारी तथा गैरसरकारी अध्यापकों के वेतन को समानता नहीं दिया गया है। (५) विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा कृषि पढ़ने वाले छात्रों की सीट अधिक नहीं बढ़ाई जा सकी है।
१३	श्री रामायण राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
१४	श्री चतुर्भुज शर्मा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—शिक्षा नीति की आलोचना एवं सुझाव।
१५	श्री गुप्तार सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—रचनात्मक आलोचना तथा नीति के प्रतिपादन और प्राइमरी व माध्यमिक वर्ग के शिक्षकों के उचित वेतन पर सुझाव।
१६	श्री रामायण राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—योजना-बद्ध शिक्षा पद्धति, जो बेकारी दूर कर सके, के समावेश का प्रयास करने की चर्चा करना।
१७	श्री गोविन्द सहाय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करन का उद्देश्य—शिक्षा विधि में परिवर्तन की घोषणा करके कोई परिवर्तन न करने तथा शिक्षा विभाग का प्रयोग राजनैतिक लाभ के लिये करने की आलोचना करना।
१८	श्री प्रभु दयाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—प्रदेश में गिरते हुए शिक्षा-स्तर की तरफ शिक्षा मंत्री का ध्यान खींचना।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		कमी करने का उद्देश्य—कान्यकुब्ज इंटर कालेज व डिग्री कालेज, लखनऊ के संबंध में स्पेशल आडिट से उत्पन्न अव्यवस्था और संस्था की बदकर और अविश्वसनीय हालत पर चर्चा उठाना ।
१९	श्री माता प्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—जिला परिषदों के प्राथमिक पाठशालाओं में ३ वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे अदीक्षित अध्यापकों का मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की भांति किसी को नौकरी से अलग न करके नियुक्ति के क्रम से सभी को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना ।
२०	श्री राम समझावन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—शिक्षा संबंधी त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना तथा बोर्ड की परीक्षा को सरकार द्वारा न कराने पर उसकी खराबियों की ओर सरकार की आलोचना ।